राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ६] द्वितीय विधान सभा के नवम् सत्र, १९६० का चौथा दिवस [संख्या ४

गुरुवार, २५ अगस्त, १९६०

विधान सभा की बैठक म० पू० ११ बज कर ५ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[आबकारी, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, सिंचाई, पंचायत, स्वायत्त शासन, पशुपालन, यातायात, कृषि, आयुर्वेद, वित्त, गृह, श्रम एवं सहकारिता-विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

प्रश्न संख्या १०५

महाराज श्री हुकमसिंह।

(अनुपस्थित)

नेक्स्ट।

सिरोही जिले में मद्य निषेध

१०६. **श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी** (डीग) : क्या मंत्री आबकारी विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह तथ्य है कि पहले बम्बई राज्य द्वारा सिरोही जिले में मद्यपान निषिद्ध तथा दंडनीय घोषित किया गया था ?

(ख) क्या यह भी तथ्य है कि उक्त जिले के राजस्थान में विलीन होने के उपरान्त भी उसको शुष्क क्षेत्र ही माना गया था ?

(ग) क्या यह बात सही है कि इस वर्ष जिला सिरोही के अन्तर्गत आबू पर्वत पर अनुमति लेकर सुरापान करने की छूट दे दी गई थी ?

(घ) क्या इससे यह सिद्ध नहीं होता कि सरकार ने अपनी मद्य निषेध नीति को शिथिल कर दिया है ?

(ङ) क्या सरकार यह अनुभव नहीं करती है कि इस नीति से मद्यपान को प्रोत्साहन मिला है ?

आबकारी मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी): (क) पूरा सिरोही जिला कभी भी बम्बई राज्य

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

में नहीं रहा। केवल आबू ताल्लुका बम्बई राज्य में रहा जिसका १६५६ में राजस्थान में विलय हुआ और इस ताल्लुके में मद्य निषेध लागू रहा।

(ख) केवल आबू ताल्लुका को शुष्क क्षेत्र माना गया।

(ग) जब आबू बम्बई में था उस समय बम्बई प्रोहीबिशन एक्ट के अन्तर्गत परमिट होल्डर्स शराब बम्बई प्रदेश से लेते थे। राजस्थान में विलय होने पर यह सुविधा बन्द हो गई थी। इसलिये आबू में परमिट होल्डर के शराब मिलने की व्यवस्था करना जरूरी था।

(घ) पहले भी बम्बई राज्य में परमिट पर शराब मिलती थी अब भी उसी प्रकार मिलती है। इस तरह नीति में कोई अन्तर नहीं पड़ा।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : मैं समझता हूं इस प्रश्न के भाग दो में "क्या यह भी तथ्य है कि उक्त जिले के राजस्थान में विलीन होने के उपरान्त भी उसको शुष्क क्षेत्र ही माना गया था?" एक वक्त उसको ड्राइ एरिया मान लिया और कुछ दिनों बाद उसको वैट एरिया बनाया?

श्री रामचन्द्र चौधरी : बम्बई प्रान्त में जब आबू था उस समय भी परमिट से शराब दी जाती थी। जब वह राजस्थान में आया उस वक्त वैसे तो वह ड्राइ एरिया नहीं था लेकिन परमिट का भी रिवाज़ नहीं था। कुछ दिनों तक उसको ड्राई एरिया रखा लेकिन टूरिस्ट वगैरह वहां बहुत आते हैं और वे शराब की मांग करते हैं उनको इसलिये मना करना अच्छा नहीं रहता इसलिये एस० डी० एम० को यह अख्तियार दिया गया कि वे उनको इसके लिये परमिट दें।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : टूरिस्ट्स के अलावा लोकल लोग अफसरान वगैरह वहां जाते हैं, वे क्या नहीं ले सकते?

श्री रामचन्द्र चौधरी : अफसरान का इससे कोई ताल्लुक नहीं। एस० डी० एम० जिसको परमिट देना उचित समझें उसके द्वारा दिया जा सकता है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : बम्बई में जब यह ताल्लुका था उस समय केवल टूरिस्ट्स के लिये ही यह सिस्टम था किन्तु राजस्थान सरकार के आधीन आने पर टूरिस्ट्स के साथ साथ लोकल लोगों को भी शराब पीने की छूट दे दी गई है?

श्री रामचन्द्र चौधरी : उस समय भी परमिट सिस्टम था टूरिस्ट्स के लिये मैंने। इसलिये अर्ज किया कि टूरिस्ट्स वहां पर बहुत ज्यादा तादाद में आते-जाते हैं इसलिये उनको देना बहुत जरूरी होता है। वैसे तो राजस्थान में सभी जगह ड्राई एरिया नहीं है लेकिन चूंकि आबू बम्बई में था और बम्बई प्रान्त में जो सुविधा वहां थी वही सुविधा हमने प्रदान कर दी है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी बता दें कि स्थिति आबू ताल्लुका की बम्बई राज्य के

Page No.3

(श्री अध्यक्ष)

समय थी उससे ज्यादा रिलेक्सेशन तो नहीं किया गया है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : उतना ही रखा है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : उस समय तो केवल टूरिस्ट्स के लिये शराब पर्मिट द्वारा प्रोवाइड की जाती थी अब तो सब के लिये प्रोवाइड की जाती है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : उस समय भी पर्मिट था और अब भी पर्मिट द्वारा दी जाती है।

श्री अध्यक्ष : पर्मिट भी हरेक को नहीं मिलता है, या तो जो हेबीच्युअल ड्रंकार्ड्स हों या मेडिकल ग्राउन्ड पर चाहते हो उन्हीं को पर्मिट मिलता है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : जहां तक मुझे मालूम है यह केवल टूरिस्ट्स के लिये ही नहीं और न हेबीच्युअल ड्रंकार्ड्स के लिये ही बल्कि जो लोग राजस्थान के हैं, टूरिस्ट नहीं हैं वे भी खुले आम, पब्लिकली पी सकते हैं क्या ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : जिनके लिये आवश्यक समझा जाता है उनको पर्मिट दिया जाता है। खुले आम पीने का सवाल दूसरा है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : नक्की झील में डोंगी पर बैठ कर जो पीते हैं उसे आप पब्लिकली मानेंगे या प्राइवेट ?

श्री अध्यक्ष : यह तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है।

(विराम)

नेक्स्ट।

तहसील रतनगढ़ के सरकारी अस्पताल

१७७. श्री किशनाराम (रतनगढ़) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(क) तहसील रतनगढ़ में कुल कितने राजकीय औषधालय व डिस्पेन्सरियां चालू हैं ?

(ख) क्या यह सही है कि रतनगढ़ तहसील के ग्रामों में जनसंख्या को देखते हुए पर्याप्त राजकीय औषधालय व डिस्पेन्सरीज़ नहीं हैं ? यदि हां, तो सरकार कब तक व कहां कहां औषधालय व डिस्पेन्सरी खोलने का इरादा रखती है ?

(ग) क्या यह भी सही है कि रतनगढ़ तहसील की जनसंख्या को देखते हुए वहां वेक्सीनेटर भी अपर्याप्त हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इनकी संख्या बढ़ाने का इरादा रखती है ?

(घ) क्या यह भी सही है कि राजलदेसर, जिला चुरू की डिस्पेन्सरी में आने वाले रोगियों की संख्या को देखते हुए वहां दो कम्पाउन्डर व दी जाने वाली दवाइयां अपर्याप्त हैं ? यदि हां, तो सरकार इस विषय में क्या कदम उठा रही है ?

(ङ) क्या यह यही है कि राजलदेसर के मौजूदा डॉक्टर के खिलाफ वहां के नागरिकों ने सरकार को व डी० एम० एण्ड एच० ओ०, रतनगढ़ को शिकायतें प्रेषित की थीं ?

Page No.4

(श्री किशनाराम) :

यदि हां, तो इस मामले की जांच कराई गई या नहीं ?

(च) पड़िहारा की डिस्पेन्सरी में सन् १९५९ में कितने रोगी दवा हेतु आये; वहां कुल कितने कम्पाउन्डर्स हैं; इसी प्रकार सन् १९५९ में राजलदेसर डिस्पेन्सरी में कितने रोगी दवा हेतु आये ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता): (क) रतनगढ़ तहसील में दो राजकीय चिकित्सालय हैं, पड़िहारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा राजलदेसर डिस्पेन्सरी, एक आयुर्वेदिक औषधालय भी है।

(ख) यह सही नहीं है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में डिस्पेन्सरी खोलने का प्रावधान नहीं है। इसके अतिरिक्त जिला परिषदों से किस किस जगह औषधालय हैं, अनुरोध किया गया है उनके प्रस्ताव अनुसार औषधालय खोलने की कार्यवाही की जावेगी।

(ग) हर पंचायत समिति में एक एक वेक्सीनेटर लगाया गया है, इससे अधिक संख्या में वेक्सीनेटर उपलब्ध करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

(घ) हाल में राजलदेसर डिस्पेन्सरी में आने वाले रोगियों की संख्या को देखते हुए कम्पाउन्डर व दवाइयां पर्याप्त हैं।

(ङ) जी हां। जांच करने के बाद यह शिकायत निराधार साबित हुई।

(च) पड़िहारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में सन् १९५९ में १०५३१ रोगी दवा लेने आये तथा वहां पर ६ कम्पाउन्डर्स हैं। राजलदेसर में सन् १९५९ में ५१४३५ रोगी दवा लेने हेतु आये तथा वहां २ कम्पाउन्डर्स हैं।

श्री किशनाराम : आपने जो शिकायत के बारे में फरमाया कि निराधार पाई गई, तो क्या आप यह बताने की कृपा करेंगे कि किस विषय में शिकायत की गई थी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह शिकायत की गई थी कि उनको रात को बीमार को दिखाने के लिये ले जाया गया और फीस की बात हुई। उन्होंने कहा, इतनी फीस होगी। फिर दुबारा बुलाने नहीं गया और डॉक्टर नहीं आया तो शिकायत की।

श्री किशनाराम : सरकार द्वारा कितनी फीस है नियत डॉक्टर की रात को और दिन को देखने के लिये बाहर जावे तो ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह तो नहीं बता सकता। पर निर्धारित फीस है वही मांगी गई थी और वापिस फिर दुबारा डॉक्टर को बुलाने नहीं गया।

श्री किशनाराम : निर्धारित फीस कितनी है, यह पूछ रहा हूं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह तो मालूम नहीं है।

श्री किशनाराम : फिर आपको कैसे मालूम हो गया कि यह निर्धारित फीस का मामला है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरे पास जांच होकर जो रिपोर्ट आई उसके आधार पर कह रहा हूं।

श्री किशनाराम : मैं विश्वास दिलाता हूं कि यह सही है शिकायत कि उसने निर्धारित फीस नहीं मांग कर काफी ज्यादा फीस मांगी और मांगने पर कहा कि आपकी वाजिब फीस जो हो वह ले लो। उन्होंने ज्यादा मांगी इसलिये गया नहीं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : तो फिर मैं पूछना चाहता हूं आप ही बता दीजिये कि कितनी ज्यादा फीस मांगी ?

श्री किशनाराम : जब आपको ही मालूम नहीं कि निर्धारित फीस कितनी है तो फिर जितनी भी उसकी मर्जी हो उतनी ही मांग ले सकता है; दस मांग सकता है, बीस मांग सकता है।

श्री दलपतसिंह (आबू) : यह भी बिल्कुल वाजिब शिकायत है कि डिस्पेन्सरियों में जो डॉक्टर रहते हैं वे मनमानी फीस मांग लेते हैं। क्या सरकार की तरफ से ऐसा कोई अंकुश उन पर नहीं है कि वे अधिक फीस न मांग सकें ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सरकार की तरफ से पूरी पूरी हिदायतें हैं और जब कोई डॉक्टर रात को अथवा दिन को बाहर बीमार को देखने जाता है तो उसकी अलग अलग फीस है और डिस्पेन्सरी में बीमार आते हैं तो उनको देखने की कोई फीस नहीं है।

श्री दलपतसिंह : पर प्रेक्टिकली यह बहुत कम होता है। वह तो हम जो बाहर रहते हैं वे जानते हैं। अधिकतर डॉक्टर लोग मनमानी फीस मांगा करते हैं। तो या तो वे इम्मोरल हैं या फिर ऐसा हो कि फीस न लें। पर आपके इन ऑर्डर-वॉर्डर से तो कुछ चलेगा नहीं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऑर्डर से ही चलनेवाला है। मेरे पास आज तक एक भी शिकायत ऐसी नहीं आई कि किसी डॉक्टर ने अधिक फीस ली हो। आप गोलमाल कहें तो इससे क्या हो सकता है ?

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : डॉक्टर, नर्स, कम्पाउन्डर वगैरह की फीस निश्चित कर रखी है क्या ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जी हां।

श्री किशनाराम : वही पूछ रहे हैं कि कितनी है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री लक्ष्मीचन्द।

लूणी नदी पर बांध योजना

१०८. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या जालोर जिले की सांचोर तहसील में लूणी नदी पर बांध बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कहां कहां पर और क्या उसकी सर्वे हो चुकी है ? यदि हां, तो उस सर्वे का क्या परिणाम रहा और इस योजना के कब तक कार्यान्वित होने की आशा है ?

सिंचाई मन्त्री (श्री भीखाभाई) : जी हां। जालोर जिले की तहसील सांचोर

Page No.6

(श्री भीखाभाई)

में झाव गांव के पास संखड़ी व सागी पर एक बांध बनाने की योजना पर अनुसंधान चल रहा है।

कमान्डेड एरिया की सर्वे लगभग पूरी हो चुकी है और अब यह पता लगाया जा रहा है कि बांध बनाने की जगह नदियों में कब कब और कितनी मात्रा में पानी पहुंचता है और बिना बान्ध बनाये यह पानी कितनी जमीन को फायदा पहुँचाता रहा है।

ऊपर बताई गई हाइड्रोलोजिकल सर्वे में कुछ समय और लगेगा और सब आंकड़े तैयार होने पर ही इस योजना का फैसला किया जा सकेगा। इस कारण इसके कार्यान्वित करने में कोई निश्चित तिथि नहीं बताई जा सकती।

श्री लक्ष्मीचन्द : यह कितने समय से सर्वे का काम शुरू हो रहा है ?

श्री भीखाभाई : इस योजना में जो सर्वे हुआ है वह पहले अलग अलग जगह पर हुआ है। पहले लो लेवल पर हुआ था, फिर बाद में जहां दोनों नदियां मिलती हैं वहां हुआ और यह सर्वे नवम्बर, ५६ से प्रारम्भ किया गया था।

प्रश्न संख्या १०६

श्री अध्यक्ष : श्री अर्जनदास ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ११०

श्री रावतराम ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या १११

श्री लादूराम सुलाणिया ।

(अनुपस्थित)

रावराजा श्री सरदारसिंह ।

सरपंच, पंचायत नगर (टोंक) के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव

११२. रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : क्या मन्त्री, पंचायत विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि सरपंच, पंचायत नगर के खिलाफ पंचायत के पंचों ने नियमानुसार अविश्वास का प्रस्ताव पास कर दिया था और कलेक्टर, टोंक तथा सम्बन्धित ऑफिसरों के पास प्रतिलिपियां प्रेषित कर दी थीं ?

(ख) अगर हां, तो कब और उस पर क्या निर्णय लिया गया ? अगर नहीं, तो निर्णय नहीं लेने का क्या कारण है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) अविश्वास का प्रस्ताव पास होकर कलेक्टर, टोंक के पास २६।४।६० को आया। नियमानुसार नहीं था, इसलिये अस्वीकार कर दिया गया।

(ख) इसका उत्तर 'क' में दिया जा चुका है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या यह सही है कि प्रस्ताव पास होते समय बो.डी.ओ. और पंचायत एक्सटेन्शन ऑफिसर भी वहां

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

मौजूद थे और उन पर उनका वेरीफि-केशन है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह मैं नहीं कह सकता पर प्रस्ताव का नोटिस दिया गया १४।४।६० को और रूल्स के मुताबिक ८ दिन का नोटिस होना चाहिये और प्रस्ताव पास हुआ २१ को। इसलिये इस तरह छः दिन का ही क्लियर नोटिस था इसलिये यह इल्लीगल माना गया।

रावराजा श्री सरदारसिंह : जब विकास अधिकारी मौजूद था, पंचायत एक्सटेन्शन ऑफिसर मौजूद था तो उनकी मौजूदगी में वोटिंग हुआ और नोटिस भी उनकी मौजूदगी में दिया गया और उस पर उनकी वेरीफिकेशन है तो आप कैसे कहते हैं कि हमारे रूल्स के अनुसार उनको अधिकार नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अधिकारी भी अगर गलती पर हों और रूल्स के खिलाफ काम करें तो वह भी काम गलत ही होगा। डेट्स एडमिटेड हैं। डेट में झगड़ा नहीं है। तो ८ दिन का जो क्लियर-कट नोटिस चाहिये था वह नहीं दिया गया।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या यह सही है कि कलेक्टर ने इसको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास प्रस्ताव भेजा है और इसलिये भेजा है कि यह मालूम करे कि यह नियमानुसार है या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह डेट्स का परीक्षण करने के लिए है, पर डेट में कोई

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

डिस्प्यूट है नहीं, १४ को नोटिस दिया गया और २१ को पास किया, डेट को वेरीफाई करने के लिए भेजा।

रावराजा श्री सरदारसिंह : तो क्या मजिस्ट्रेट ने परीक्षा करके रिपोर्ट कर दी कि नियमानुसार नहीं है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह तो डेट में ही डिस्प्यूट है। हमारे पास जो इन्फोर्मेशन आई है इसमें डेट में डिस्प्यूट नहीं है। डेट को ही वेरीफाई करने को भेजा है। तो जब डेट में डिस्प्यूट नहीं है तो फिर नियमानुसार नहीं है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : अस्वीकृत कर दिया क्या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ने, क्या इस तरह की सूचना उसमे मिल गई आपको ? मैं यह कहता हूं कि कलेक्टर ने अविश्वास के प्रस्ताव को अभी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास भेजा है एन्क्वायरी के लिए कि यह नियमानुसार है या नहीं। मैं पूछता हूं कि भेजा है या नहीं, और मजिस्ट्रेट ने राय दे दी है या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : एक प्रस्ताव पास किया गया, पर कलेक्टर को अधिकार है उसे देखने का कि यह नियमानुसार है या नहीं। अब कलेक्टर जांच करता रहे, पर जब डेट में डिस्प्यूट नहीं है तो मैं ही यहां डिपार्टमेंट से कार्यवाही कर दूंगा। डेट में डिस्प्यूट हो तो आप चैलेन्ज करिये। नहीं तो फिर दुबारा प्रस्ताव लाइये लाना है तो।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैं निवे-दन करूं कि कलेक्टर को पॉवर है, खुद कर

(रावराजा श्री सरदारसिंह).

सकता है, पर स्वयं ने न करके टाइम गुजारने के लिये फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास भेजा है, यह सच है या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने कहा, कलेक्टर ने नहीं माना। डेट में कोई डिस्प्यूट नहीं था, डेट वेरीफाई कर ली ; अगर नहीं की होती तो अब तक वह सरपंच हट गया होता।

रावराजा श्री सरदारसिंह : अध्यक्ष महोदय, कभी तो कहते हैं कि अस्वीकार कर दिया गया और कभी कहते हैं एन्क्वायरी के लिए भेजा है, तो आया यह पेंडिंग में है मामला अभी तक, आपका मतलब यही है !

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : प्रस्ताव को पारित नहीं माना, यह माना है। यह कलेक्टर की राय है और वही जांच कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : इस चीज़ की निश्चित घोषणा कर दी गई है क्या कि प्रस्ताव नहीं माना गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : घोषणा तो नहीं की गई है।

श्री अध्यक्ष : इतनी स्पष्ट चीज है तो कलेक्टर को इतना सोचने की क्या जरूरत पड़ रही है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कलेक्टर ने कहा कि नियमानुसार नहीं है, पर डेट को वेरीफाई करेगा।

श्री अध्यक्ष : जब डेट ही देखनी है तो फिर और क्या वेरीफाई करेगा, जब कि आप कहते हैं डेट वेरीफाइड है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : डेट को वेरीफाई कर रहा है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : वहां १४ सरपंच हैं। उनमें से ११ ने—एक उप सरपंच और सरपंच को छोड़कर ११ ने अविश्वास का प्रस्ताव पास किया है और इसको सरकार अब तक टल्ला देती रही है और आप कहते हैं कि अस्वीकृत कर दिया है। मैं कहता हूं कि अस्वीकृत नहीं किया है। तारीख की तफतीश मजिस्ट्रेट से करा रहे हैं तो क्या कलेक्टर स्वयं नहीं कर सकता है ? यह क्या पॉलिसी है सरकार की ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : तारीख को कलेक्टर वेरीफाई कर रहा है। आप तारीख को डिस्प्यूट कर रहे हों तो आप फरमाइये। आप तारीख को डिस्प्यूट करिये, मैं कहता हूं। मैं कलेक्टर को कह दूंगा कि आप डिस्प्यूट करते हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या यह सच है कि इसी सरपंच के खिलाफ ११४) रु० के गबन के और ११६) रु० के गबन के कागजात मन्त्री महोदय के पास केस चलाने की स्वीकृति के लिये आये हुए हैं ?

एक माननीय सदस्य : यह अलग सवाल है।

Page No.9

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह अलग सवाल है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : आप ऐसा जब कहते हैं तो पब्लिक को इस बात का भी शक होता है कि सरकार भी इनसे मिली-जुली होगी।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : यह तो आजकल की प्रेक्टिस है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री दयाकृष्ण विजय।

मेडिकल कॉलेज, जयपुर में मलेरिया रोग की शिक्षा में रुकावट

११३. **श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा)** : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि मेडिकल कॉलेज, जयपुर में मलेरिया रोग के लिए रक्त जांच हेतु स्लाइड्स के अभाव में शिक्षार्थियों को भली प्रकार मलेरिया रोग की शिक्षा नहीं दी जा रही है?

(ख) क्या राजस्थान में मलेरिया का समूल उन्मूलन हो गया है तथा इस योजना में तक कितनी राशि व्यय हो चुकी है?

(ग) क्या सी० एम० ओ० के द्वारा समस्त चिकित्सालयों को मलेरिया रोगियों की चिकित्सा के सम्बन्ध में कुछ निर्देशन दिये गये हैं? यदि हां, तो क्या?

(घ) क्या यह सही है कि मलेरिया रोगियों का नाम उसके रक्त की जांच किये बिना रजिस्टर नहीं किया जाता है?

(ङ) क्या यह रक्त जांच निःशुल्क की जाती है?

चिकित्सा मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता): (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं, अब तक इस योजना में मई, १९६० तक के आंकड़ों के अनुसार ३८-३९ लाख रुपये व्यय हो चुके हैं।

(ग) हर अस्पताल व डिस्पेन्सरी को सर्विलेन्स स्कीम के अन्तर्गत इस कार्यालय द्वारा यह आदेश दिये गये हैं कि वे हर मलेरिया से पीड़ित रोगी के रक्त की जांच करायें।

(घ) जी हां, जब तक उनके रक्त की जांच रिपोर्ट यह नहीं बताती कि वह रोगी मलेरिया से पीड़ित है तब तक वह रोगी मलेरिया से पीड़ित नहीं समझा जाता है।

(ङ) जी हां।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह सही है कि आजकल चिकित्सालयों में मलेरिया से पीड़ित लोगों को इसलिए दाखिल नहीं किया जाता कि राजस्थान सरकार यह समझती है कि हमने मलेरिया को राजस्थान से बिल्कुल हटा दिया है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इनको दाखिल करने से सम्बन्ध नहीं है। उनको दाखिल नहीं

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

करते बल्कि उनकी तो जांच करते हैं। जहां कहीं जाते हैं मलेरिया से पीड़ित बीमार नजर आते हैं तो उनका ब्लड लेकर लेबोरेटरी में भेज देते हैं, यह जांच होने के लिये कि यह रोगी मलेरिया से पीड़ित है या नहीं। अगर पीड़ित होता है तो अस्पताल में भेज देते हैं।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह सही है कि मलेरिया के रोगियों को तो बुखार आता है तो फिर उससे रक्त लेकर उसकी जांच करवाकर उनको परेशान क्यों किया जाता है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हर मलेरिया के रोगी को बुखार आता हो, वह बात नहीं है?

श्री दयाकृष्ण विजय : मलेरिया के बीमार हैं उनको तो अस्पताल में भर्ती करना चाहिये। मलेरिया की तो मोटी सी पहिचान है कि उसके रोगी को एक दिन छोड़कर एक दिन बुखार आता है। फिर उसके रक्त की जांच करवाकर रोगी को क्यों परेशान किया जाता है? उसको क्यों नहीं मालूम पड़ते ही दाखिल किया जाता?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैंने उत्तर बहुत स्पष्ट दिया है लेकिन माननीय सदस्य उसको समझना नहीं चाहते हैं। जो मलेरिया की जांच करने के लिये फील्ड पर जाते हैं तो रक्त लेकर लेबोरेटरी में भेज देते हैं कि यह रोगी मलेरिया से पीड़ित है या नहीं। लेबोरेटरी कोई हर गाव में तो होती नहीं है। अगर कोई उस जांच से मलेरिया से पीड़ित पाया जाता है तो उसको अस्पताल में दाखिल कर लिया जाता है।

श्री दयाकृष्ण विजय : इसके अन्दर ४८,००० रुपये खर्च करने के बाद क्या सरकार यह कहने की सामर्थ्य रखती है कि वह कह सके कि हमने राजस्थान से मलेरिया का उन्मूलन कर दिया है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने निवेदन किया कि वह प्रोग्राम चल रहा है। मै दावा नहीं करता कि मलेरिया को उन्मूलन करने का पूरा हो गया है या नहीं।

डॉ० बहादुरसिंह (धोलपुर) : इन रुपयों में से आप कितना तो मेडिसिन्स पर और कितना एस्टेब्लिशमेन्ट पर खर्च करते हैं?

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा।

चम्पावती-बांध क्षेत्र में आने वाले ग्रामों का पुनःस्थापन

११४. श्री रामनारायण वर्मा (पीपल्दा–सु०) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(क) तहसील लाडपुरा (कोटा) में चम्पावती (आलनिया) नदी पर जो बांध बांधा जा रहा है उसमें कितना व्यय होगा? उक्त बांध से कोटा जिले के किन किन ग्रामों को पानी दिया जानेवाला है?

(ख) क्या आलनिया गांव के अन्तर्गत कुछ ग्राम भी डूबने वाले हैं? यदि हां, तो कौन कौन से और कितने?

(श्री रामनारायण वर्मा)

(ग) क्या डूब में आने वाले ग्रामों को कहीं अन्यत्र बसाये जाने की सरकार की योजना है ? क्या उन्हें अपनी भूमि एवं मकानों का मुआवजा दिया जावेगा ?

सिंचाई मंत्री (श्री भीखाभाई) : (क) चम्पावती (आलनियां) नदी पर जो बांध बांधा जा रहा है उसमें ३५,४५,४००) रुपये खर्च होने का अनुमान है और उससे सिंचित होने वाले गांवों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(ख) आलनियां बांध में डूब में आने-वाले ग्रावों के नाम इस प्रकार हैं :—
तहसील लाडपुरा: (१) इनोतिया (२) सारंगपुरा (३) रेन का खेड़ी और (४) पचपहाड़ ।

(ग) डूब में आनेवाले ग्रामों को और जगह बसाया जावेगा और उनकी डूब में आने वाली जमीन, मकान व कुओं का मुआवजा दिया जायेगा ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा): क्या इसका सारा एस्टीमेट बनाया गया है कि कितना मुआवजा इन लोगों को दे देंगे ?

श्री भीखाभाई : जी हां । इसका एस्टी-मेट बना कर मकान का १ लाख २७ हजार मुआवजे का देना आता है जो जमीन का अवार्ड है वह कलेक्टर की तरफ से आया नहीं है । जहां बसाने की जगह है वह कसार नाम का एक गांव है ।

श्री दयाकृष्ण विजय : तो जो लोग हटाये जायेंगे और जिन लोगों को कसार में बसाया जायेगा तो क्या वहां जमीन है ताकि उसको रिक्वीज़िट करके पहले लोगों को जमीन दी जा सके और वह अपना काम चला सकें ?

श्री भीखाभाई : जब बसाने के लिये जगह है तो उसका अर्थ ही यह निकलता है कि उनको जमीन दी जावेगी ।

श्री दयाकृष्ण विजय : लेकिन केवल जमीन देकर कह दिया जाये कि तुम यहां बसो तो इसका मतलब यह नहीं है कि जमीन अलॉट नहीं की जायेगी तो वह अपना पेट कैसे पालेंगे ? जिन लोगों को हटाया जाता है तो उनके खाने-पीने का प्रबन्ध कैसे होगा इसके लिए पहले उनको जमीन ही मिलनी चाहिये ।

श्री भीखाभाई : इसके लिए तो सरकार सोच रही है! आप क्यों चिन्ता कर रहे हैं ?

श्री दयाकृष्ण विजय : आप पहले कसार में अलॉटमेंन्ट करें ताकि वे वहां काम कर सकें और अपने लिए जमीन को काम लायक बना सकें ।

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह ।

राजस्थान विश्वविद्यालय-एरोड्रॉम सड़क निर्माण कार्य

११५. रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या सरकार को विदित है कि राम-निवास बाग से विश्वविद्यालय तक मानसिंह हाइवे के दोनों तरफ बहुत गंदगी रहती है ? अगर हां, तो सरकार इसके डेवलपमेंट के लिए क्या कदम उठा रही है ?

(ख) क्या यह सही है कि यह सड़क विश्वविद्यालय से एरोड्रॉम तक जोड़ी जावेगी?

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

अगर हां, तो कब तक यह कार्य चालू हो जायेगा ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) जी नहीं, जैसा बताया गया है गंदगी इस सड़क के दोनों तरफ कतई नहीं रहती है। जयपुर में शीघ्र ही अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बन रहा है उसके बनने पर इसके डेवलपमेंट का कार्य भी किया जा सकेगा।

(ख) जी हां। यह विषय सरकार के निर्माण विभाग के विचाराधीन है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : यह कब तक कार्यान्वित हो जायेगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह तो पी० डब्ल्यु० डी०के विचाराधीन है। जल्दी ही कार्यान्वित हो जायगा।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैं आपसे कहता हूं कि रामनिवास बाग से युनिवर्सिटी तक सफाई का काम हुआ है लेकिन मैं कहता हूं कि राजस्थान कॉलेज जहां पहले डम्ब एण्ड डीफ का स्कूल था। वहां से लेकर युनिवर्सिटी तक बहुत गन्दगी है। बड़े बड़े टीबे हैं जिनकी वजह से लोग वहां पर टट्टी जाते हैं और आये दिन चोरियों का भी तांता लग रहा है। तो मैं कहता हूं कि उसकी सफाई के बारे में क्या सोच रहे हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह तो म्युनिसिपैलिटी का एरिया है। उसको सफाई करनी चाहिए।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या मंत्री महोदय यह कहने की स्थिति में हैं कि नया अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट कब तक बन जावेगा ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

प्रश्न संख्या ११६

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री लक्ष्मीचन्द।

सांचोर की विलेज स्कीम तथा वेटरनरी विभाग स्टाफ की सर्विस बुक्स

११७. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या पशुपालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

जिला जालोर के सांचोर की विलेज स्कीम के स्टाफ व वेटरनरी विभाग के स्टाफ में से किन किन व्यक्तियों की सर्विस बुक्स पंचायत समिति को सौंप दी गई और किन किन व्यक्तियों की सर्विस बुक्स नहीं मिल रही हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

आबकारी मन्त्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : सब ही व्यक्तियों की सर्विस बुक्स भेजी जा चुकी है। सूची सदन की मेज पर है। केवल एक व्यक्ति श्री मदनलाल की सर्विस बुक जो इन्चार्ज, वेटरनरी डिस्पेन्सरी, सांचोर को संभलाई गई थी यह उन द्वारा मिसप्लेस होना जाहिर हुआ है जिसकी तलाश जारी है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री लक्ष्मीचन्द : सर्विस बुक्स नहीं मिलने से क्या कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलेगी ?

Page No.13

श्री रामचन्द्र चौधरी : उनकी सर्विस बुक की तलाश की जा रही है और अगर नहीं मिलेगी तो भी तनख्वाह तो मिलेगी ही।

श्री लक्ष्मीचन्द : सर्विस बुक की तलाश नहीं कर रहे हैं। दस-दस महीने तक तनख्वाह नहीं मिली, यह बहुत आश्चर्य की बात है !

श्री रामचन्द्र चौधरी : उसको लास्ट पे स्लिप मिल गई है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री पी० के० चौधरी।

यात्री-सड़क-यातायात बसेज का राष्ट्रीयकरण

११८. **श्री पी० के० चौधरी** (फुलेरा): क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) Is it correct that the State Government has taken decisions to nationalise passenger transport on certain routes in the State ? If so, what are these routes and in how many of them the Government has actually started operating buses ?

(2) How many State Carriages are plying on each of these nationalised routes ?

(3) How many State Carriages have so far been acquired by the State Government for the purpose and how many the Government proposes to acquire during the year 1960-61 ?

(4) Which Government body has made these purchases and from which dealers ?

(श्री पी० के० चौधरी)

(5) What are the makes and models of these carriages and whether any tenders were called before effecting the deal and whether any quotations were invited from the manufacturers of these carriages ? The quotations from the dealers and the manufacturers may be stated. Whether these quotations are inclusive of Sales Tax or not and the places of delivery of the carriages may be furnished? What is the extent of orders placed with each of these dealers and manufacturers ?

(6) With whom the contract for the body-building of these carriages was or is placed and what are the experience of these firms in the line ? What are the terms and conditions the Government has entered into with these body-builders and what is the magnitude of the orders placed with each of these body-building firms ?

(7) What is the amount of payment already made to the various suppliers of the stage carriages as well as the body-building firms ? The dates on which the payments had been made and also the dates on which the corresponding articles were supplied may be furnished :

(8) Has the Government set up any organisation or machinery for operating the buses on the nationalised routes and if so, what is it and who are its members ?

Page No.14

यातायात मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास):

1. It is correct that the State Government has taken a policy decision to nationalise passenger Road Transport Services in this State according to a phased programme. In the first phase of nationalisation, about 1000 road miles are to be nationalised The final decision regarding nationalisation of particular routes is to be taken according to the provisions of Section 68-C and 68-D of the Motor Vehicles Act. In pursuance of the above decision, the State Transport Undertaking "Rajasthan State Roadways" has published schemes of the following routes:—

1. Jaipur—Alwar.
2. Alwar—Delhi.
3. Jaipur—Ajmer.
4. Jaipur-Tonk—Deoli-Kotah.
5. Ajmer—Kotah.

By the time these schemes could be finalised by the Government, the High Court issued Stay Orders in the first instance and subsequently held that the one week's time given for inviting objections and suggestions to the Draft Raiasthan State Road Transport Services (Development) Rules, 1959 was too short, and hence the Rules had to be republished again. It would thus appear that no scheme of nationalisation on any route had so far been finalised. As an adhoc arrangement 4 Buses on Jaipur-Delhi route and 4 buses on Jaipur-Pilani route are being operated at present.

2. The question does not arise.

3. 100 buses have so far been acquired in the financial year 1959-60 and 100 vehicles are proposed for the year 1960-61.

4. These purchases were made by the High Power Committee, after obtaining technical advice, from the following manufacturers:—

1. M/s. Tata Locomotive & Engineering Co. Ltd., Bombay with their works at Jamshedpur.

2. M/s. Ashok Leyland Ltd., Madras.

5. The above bus chasis are of 1959 Tata Mercedes Bens LP/312 and Leyland 'Comet' makes. Sealed tenders for the above purchases were called. Tenders were received from the following firms whose quotations are mentioned against each :-

(श्री रामकिशोर व्यास)

1. M/s. Tata Locomotive & Eugineering Co. Ltd.
   - (i) Orders for 100 or more units. Rs. 27,239/-
   - (ii) Orders for less than 100 units. Rs. 27,372/-

(Subsequently the D. G. S. D. rates were reduced to Rs. 26,972/-.)

2. M/s. Ashok Leyland Ltd., Madras.
   - (i) with 6 Nos. 9. OOx20-10 ply tyres (for order from 1 to 49). 34,200/-
   - (ii) with 6 Nos. 9. OOx20-10 ply tyres (for orders from 50 to 99). 34,030/-

3. M/s. Premier Automobiles Ltd., Bombay.
   - (a) Dodge/Fargo 89 p6 190" W. B.

Orders for 1 to 49 units.	25,450/-
Orders for 50 to 99 units.	25,212/-
Orders for 100 and above.	25,088/-

These rates are D. G. S. & D. rates and are exclusive of Sales Tax. The places of delivery were Jamshedpur, Madras and Bombay respectively.

Orders for the purchase of chsis were placed with the following firms to the extent indicated against each :—

Name of the firms.	No. of chasis.
1. M/s. Tata Locomotive & Engineering Co. Ltd.	60
2. M/s. Ashok Leyland Ltd.	40

(M/s. Ashok Leyland Ltd. could supply only 26 chasis and as such 14 more Tata Mercedes Benz chasis were purchased.)

The contract of bus body building was given to the following firms :—

	No. of bodies.
1. M/s. Hyderabad Allwyn Metal Works Ltd., Hyderabad.	60
2. M/s. Jeyanand Khira& Co. (Pr.) Ltd., Bombay.	20
3. M/s. Ruby Industries, Bombay.	20
4. U. P. Roadways Central Workshop, Kanpur.	14

(श्री रामकिशोर व्यास)

The above firms are standard bus body builders and have been doing this business since long. This deptt. have apart from entering into an agreement for proper execution of the work, obtained Trust Roceipt Bond and guarantee for the period the property remained with them.

7. A sum of Rs. 42, 75, 256. 42 N. P. has already been paid to the suppliers of stage carriages as well as for body building as detailed below The dates of payment and the dates of supply of the vehicles are also mentioned against each :—

Name of firm.	Amt. paid.	Date of payment.	Date of supply No.	Date
1. M/s. Tata Locomotive & Engineering Co.	16,63,776.00. 3,81,214.40.	24.12.59. 16. 3.60.	20-5 10-7.	12.59. 12.59.
2. M/s. Ashok Leyland Ltd.	7,69, 782.13. 1,39, 960. 39.	4. 3. 60. 31. 3.60.	14-8. 1-1. 3-10. 10-2. 8-12. 4-12.	2.60. 12.59. 12.59. 16,0. 1.60. 3.60.
3. M/s. Jeyanand Khira & Co.	2,62,600.00	9.3.60	5-17. 5-27. 5- 3. 5-10.	1.60. 1.60 2.60. 2.60.
4. M/s. Hyderabad Allwyns Metal Works.	4,49,173.50 1,27,020.00 53,530.00	8.3.60. 31.3.60. 1.7.60.	10-19. 23.1.60. 30.1.60. 13.2.60.	1.60.
5. M/s. Ruby Industries, Bombay	2,60,200.00	31.3.60.	5.19. 5.21. 5.16. 5.25.	1.60. 1.60. 2.60. 3.60.
6. U. P. Government Roadways Central Workshop, Kanpur.	1,56,000 12,000.	31.3.60. 25.4.60.	14-31.	3.60.

8. The State Government have decided to run the Passenger Road Transport Services departmentally and have accordingly set up Department of Rajasthan State Roadways under the supervision of a General Manager who is assisted by Service Manager, Accounts Officer and Regional Manager at present. To expedite policy decisions and matters involving financial implications the Government have also appointed a High Power Committee for the Roadways.

Page No.17

श्री पी० के० चौधरी : यह जो आपने थाउज़ेन्ड माइल्स पर बसेज चलाने का प्रोग्राम बनाया तो इसके लिये हण्ड्रेड बसेज़ का आपने कैसे एस्टीमेट किया कि थाउज़ेन्ड माइल्स के लिये हण्ड्रेड बसेज़ चाहिये ?

श्री रामकिशोर व्यास : अभी जैसा मैंने आपको पार्ट ए में बताया, जितनी इसमें लग जातीं वे तो यहां लगा देते, जो बाकी बचतीं उन्हें और जगह पर लगा देते।

श्री पी० के० चौधरी : शुरू २ में और रूट्स का प्रोविजन नहीं था। फिर भी हण्ड्रेड बसेज़ क्यों पर्चेच कीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : हण्ड्रेड बसेज़ लगाने का इरादा था, इसलिये खरीदी गई थीं।

श्री पी० के० चौधरी : जब आपने बसेज़ पर्चेज़ कीं तो उससे पहले उनके गैरेजिंग, शैल्टर वगैरह का आपने इन्तजाम किया ?

श्री रामकिशोर व्यास : शुरू में तो इन्तजाम नहीं किया था।

श्री पी. के. चौधरी : जब आपने हण्ड्रेड बसेज़ खरीदीं तो उनके शैल्टर का कोई इन्तजाम क्यों नहीं किया ?

श्री रामकिशोर व्यास : पहले तो नहीं किया था, लेकिन अब करीब करीब हो गया है।

श्री पी. के. चौधरी : आपने इन्तजाम कब किया ?

श्री रामकिशोर व्यास : बाद में किया है।

श्री पी० के० चौधरी : कब किया है ?

श्री रामकिशोर व्यास : कुछ तो हो गया है और जो थोड़ा बाकी है वह जल्दी ही पूरा हो जायेगा।

श्री पी. के. चौधरी : मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि धूप में, सर्दी में बसेज़ के पड़ी रहने से जो उनके टायर्स को नुकसान पहुँचा है तो कितना नुकसान हुआ है, यह आपने एसेस किया है ?

श्री रामकिशोर व्यास : अभी तक ऐसा कोई ऐरेंजमेंट नहीं हुआ है।

श्री पी. के. चौधरी : यह करना क्या आप उचित समझते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : अरेंजमेंट करा लेंगे, कोई हर्ज की बात नहीं है।

श्री पी. के. चौधरी : ऐसा नहीं 'कि लगा लेंगे;' आप कमिटमेंट कीजिए।

श्री रामकिशोर व्यास : कमिटमेंट ही है। हिसाब लगाने में कोई हर्ज नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : Who was the man in-charge of this whole Scheme ?

श्री रामकिशोर व्यास : जनरल मैनेजर की एडवाइस पर ; General Manager, Roadways.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Die the General Manager not give some report to the Government that some arrangement for shelter should be made in advance ?

श्री रामकिशोर व्यास : बसेज़ खरीदने के बाद ही उनके प्रपोज़ल्स आ गये थे लेकिन फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने में समय लग गया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ी सीरियस बात है। सौ बसें खरीद ली गईं और वे सर्दी, धूप और बरसात में पड़ी रही। माननीय मन्त्री स्वयं जानते हैं कि जब वे अपनी गाड़ी को शेड में खड़ी करते हैं तो भी उस पर कपड़ा डालते हैं, उसे खुली नहीं छोड़ते, फिर इन बसेज़ को इस तरह धूप-बरसात में क्यों पड़ा रहने दिया ? अब वहां शायद शैड बनने जा रहा है टेम्पोरेरी, पुल के पास। लेकिन अब तक वे खुली पड़ी रही जिससे उनके सारे ट्यूब-टायर खराब हो गए हैं, उनका सारा रंग खराब हो गया है, बोडी खराब हो गई हैं। मैं समझता हूँ कि लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है। इतने बड़े नुकसान के लिये कौन रेस्पोन्सिबल है। इसके लिये जो रेस्पोन्सिबल हो उनके खिलाफ आपको एक्शन लेना चाहिये कि इसके लिये पहले से क्यों नहीं सोचा ? जब इतनी बड़ी तादाद में बसें खरीदने चले तो उनकी रिपेयर्स कहां पर होंगी, उनके लिए वर्कशोप कहां पर होगा, उनके शैल्टर का क्या इन्तजाम होगा, क्या यह सब पहले सोचना जरूरी नहीं था ? आपने बयांलीस लाख का पेमेंट कर दिया और इतना नुकसान हो गया, फिर भी आप एक्शन नहीं लेना चाहते तो फिर तो कोई सवाल ही नहीं उठता।

श्री पी० के० चौधरी : मैं यह जानना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : पहले इसका उत्तर तो आने दीजिये।

श्री रामकिशोर व्यास : इसमें कोई तकरीर का तो सवाल नहीं है। वैसे मैं आपसे कहूं कि वर्कशोप बनाने की स्कीम तो थी। और फिर ये बसेज़ तो रीजनल ट्रैफिक सेंटर्स पर रहने वाली थी। जो सौ बसें खरीदी गईं तो वे सब जो एक जगह रहने वाली नहीं थीं, लेकिन आपका यह फरमाना है कि धूप और बरसात में रही हैं, जो फैक्चुअल पोज़ीशन है वह तो है ही। यह ज्यादातर इस वजह से भी हुई कि ये जितनी बसेज़ हैं ये अलग २ रूट्स पर जाने वाली थीं....

श्री मोहरसिंह (चुरू) : सुनाई नहीं पड़ता, क्या बोल रहे हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : कुछ मैं जोर से कहता हूं, आप कुछ गौर से सुनिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह आपकी गर्दन 'हां' और 'ना' में एक तरह हिलती रहती है।

(विराम)

श्री रामकिशोर व्यास : गर्दन कैसे भी हिले लेकिन लफ्ज़ों में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वर्कशोप बनाने, रीजनल डिपोज़ बनाने की स्कीम तो पहले ही चॉक आउट हो चुकी थी।

Page No.19

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वर्कशोप बनाने की आपकी स्कीम कहां की थी ? यह तो आपकी स्कीम नहीं चली, लेकिन यदि आपकी स्कीम चल जाती और हाई कोर्ट से स्टे नहीं मिलता तो जब ये बसें चलने लग जाती तो इनकी रिपेयर्स कहां पर होती ?

श्री रामकिशोर व्यास : वह तो कोई इतना जरूरी नहीं था अपने ही गैरेज में हो सकता था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप पर्मिट देते हैं प्राइवेट केरियर और पब्लिक केरियर को, तो वर्कशोप का पूछते हैं कि कहां पर ठीक करायेगा।

श्री रामकिशोर व्यास : वह स्टेट गैरेज है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : स्टेट गैरेज में १०० नहीं रखी जा सकती हैं और न ही रिपेअर हो सकती हैं।

श्री पी० के० चौधरी : क्या यह सही है कि बसेज़ के टायर्स को धूप से भी ढकने का इन्तजाम नहीं किया था, केनवास या और किसी से उनको ढकने का कोई इन्तजाम नहीं किया गया था ?

श्री रामकिशोर व्यास : जैसा कि आपने फरमाया कि उनके खड़े रहने की वजह से क्या लोस हुआ है उसका अरेंजमेंट करा लेंगे।

श्री पी. के. चौधरी : वह तो करायेंगे ही। लेकिन सवाल तो यह था कि even with the common sense the General Manager could have got those tyres etc. covered with some garments etc.

श्री रामकिशोर व्यास : टायर तो मोटर से कवर्ड रहते ही हैं वैसे

(हंसी)

बोडी को कवर करने की जरूरत पड़ सकती है। वह कवर हुई या नहीं, उसकी स्पेसिफिक जानकारी करके आपको बता दी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इन बसेज़ में से कितनी बसेज़ काम में लीं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन ! ऑर्डर प्लीज़ !!

श्री पी० के० चौधरी : One more question, Sir.

श्री अध्यक्ष : No more questions please. We have got a lot of questions...

श्री पी० के० चौधरी : But one part of the question has not at all been touched...

श्री अध्यक्ष : You are insisting on one point only about which the Hon'ble Minister has already answered. Why don't you come to another point, if any ?

श्री पी० के० चौधरी : One more point बॉडी बिल्डिंग का कॉन्ट्रेक्ट दिया था तो क्या राजस्थान में बोडी बिल्डिंग करने के काबिल कॉन्ट्रेक्टर नहीं था कि हैदराबाद, बम्बई और कानपुर वालों को दिया ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसमें काबलियत और नाकाबलियत का सवाल नहीं है। जो टेन्डर आये उनमें से जो ठीक था उसको दिया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इन बसेज़ में से कितनी बसें रूट के अलावा कहां कहां काम में आ रही हैं, जैसे शिक्षा विभाग इत्यादि में ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह अलग प्रश्न है। इसकी जानकारी करके बताया जा सकता है। लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है २०–२२ बसेज हैं जो गवर्नमेंट ने आबू में भेजी हैं, और ८, मैंने बताया, जयपुर से दिल्ली रूट पर चल रही हैं और कुछ जयपुर बीकानेर रूट पर चल रही हैं।

श्री पी० के० चौधरी : बसेज़ की बोडी जो ऑल स्टील की बनाई तो किसी एक्सपर्ट या टूरिस्ट से एडवाइस लेकर बनाई थी या जनरल मैनेजर की एडवाइस पर ही ?

श्री रामकिशोर व्यास : टूरिस्ट की एडवाइस नहीं ली। जो एक्सपर्ट्स थे और जनरल मैनेजर की राय थी उस पर बनाया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Body according to...

श्री अध्यक्ष : Next question.

श्री पी० के० चौधरी : I wanted a specific answer of this question, Sir.

श्री अध्यक्ष : No, I have allowed you only one question. We have got a lot of questions. You can debate upon it some other time.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसके ऊपर हाफ एन ऑवर का डिस्कशन हो जाय। ४५ लाख का पेमेन्ट कर दिया और किसी ने सर्टीफाई ही नहीं किया कि बोडी बिल्डिंग जितना हुआ है वह स्पेसिफिकेशन के हिसाब से हुआ है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा।

भदूण ग्राम, तहसील रूपनगढ़, में पंचों के रिक्त स्थानों का उपचुनाव

११६. **श्री रामनारायण वर्मा** (पीपल्दा-सु०) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(क) क्या यह सही है कि ३०. १. ६० को भदूण ग्राम, तहसील रूपनगढ़ में रिक्त स्थानों के पंचों का उपचुनाव हुआ था ?

(ख) क्या यह भी सही है कि डॉ० कर्णसिंह, वार्ड नं० ११ सिंगोदिया ग्राम से निर्विरोध चुने गये थे ?

(ग) क्या यह भी सही है कि उन्होंने दिनांक ३०. १. ६० को ही अपने पद की शपथ ले ली थी ? यदि हां, तो उनका नाम कौन सी तारीख के गजट में प्रकाशित हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) :

(क) जी हां, यह सही है।

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

(ख) उप क्षेत्र सिंगोदिया, वार्ड नं० ११ का उप-चुनाव नहीं होना चुनाव अधिकारी ने अंकित किया है ।

(ग) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

श्री वी० के० माथुर, फोडर डेवलपमेंट ऑफिसर

१२०. श्री भैरोंसिंह [श्री माधोपुर-श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) द्वारा पूछा गया] : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि श्री वी. के. माथुर, फोरड डेवलपमेंट ऑफिसर के पद पर नियुक्त किये गये हैं ? यदि हां, तो कब और किस ग्रेड में ?

(ख) क्या यह सही है कि श्री माथुर का सुपरिन्टेन्डेन्ट, केटल ब्रीडिंग फॉर्म के पद पर सिलेक्शन हो चुका है ? यदि हां, तो कब तथा इस पद पर उनका कन्फर्मेशन कब हुआ है ?

(ग) श्री माथुर की क्वालिफिकेशन क्या है तथा फोडर डेवलपमेंट ऑफिसर के लिये किस प्रकार की योग्यता चाहिये ? इस योग्यता का निर्धारण कब, किसके द्वारा और किस आधार पर किया गया है ?

(घ) क्या यह सही है कि श्री माथुर के विरुद्ध एन्टीकरप्शन डिपार्टमेंट तथा विभाग द्वारा कई मामलों की जांच की जा रही है ? यदि हां, तो कब से और किन २ मामलों की ? इन जांचों का क्या परिणाम रहा ?

पृथक राजस्व मन्त्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : (क) जी हां, श्री वी. के. माथुर दिनांक ६ जून,५६ से अस्थाई तौर पर फोडर डेवलपमेंट ऑफिसर नियुक्त किये गये थे ? उस समय इस पद की वेतन श्रृंखला निर्धारित नहीं की गई थी ।

(ख) जी हां, दिनांक ५-५-५६ को राज्य सेवा आयोग द्वारा इनका चुनाव सुपरिन्टेन्डेन्ट केटल ब्रीडिंग फार्म के पद पर हुआ है; परन्तु अभी तक कन्फर्मेशन नहीं हुआ है ।

(ग) श्री माथुर इण्डियन डेयरी डिप्लोमा पास हैं । फोडर डेवलपमेंट ऑफिसर के पद की योग्यता का निर्धारण शासन के दिनांक २६-४-६० को घोषित किया है । प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(घ) जी हां, सारा रेकॉर्ड भ्रष्टाचार विरोधी विभाग में जा चुका है । इस कारण अधिक उत्तर नहीं दिया जा सकता ।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह फोडर डेवलपमेंट ऑफिसर की क्या क्वालिफिकेशन है जिसके ऊपर कि राज्य सरकार ने उनको नियुक्त किया था ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : इसकी सूची दी गई है । एम. एससी. या बी. एससी. सेकिन्ड क्लास और २ साल का उनका एक्सपीरियन्स हो, और जिन्हें एग्रोनामी का काफी एक्सपीरियन्स हो; ऐसे आदमी को यह पद दिया जाता है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ५-५-५६

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

को पब्लिक सर्विस कमीशन ने इनको केटल ब्रीडिंग फार्म के लिये सिलेक्ट किया था तो फिर उनको ६ जून को फोडर डेवलपमेंट ऑफिसर कैसे नियुक्त किया ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : उस वक्त पोस्ट खाली थी। सुपिरिन्टेन्डेन्ट, केटल ब्रीडिंग फार्म का इन्टरव्यू हुआ उसमें यह सर्वप्रथम थे और सब से सीनियर थे, और काफी अरसे से काम कर रहे थे, और वर्ष शुरू होने से नया घास लगाने की वजह से इनको उस वक्त अस्थायी तौर पर अपोइन्ट कर दिया था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह माना जाय कि जब, ५. ५. ५६ को पब्लिक सर्विस कमीशन ने इनको सुपरिन्टेन्डन्ट, कैटल ब्रीडिंग फार्म की कोई पोस्ट नहीं थी ?

श्री रामचन्द्र चौधरी :उस वक्त खाली थी। दूसरी जगह भी खाली थी लेकिन इनके पास कोई आदमी नहीं था इसलिए अस्थायी तौर पर इनको नियुक्त किया गया था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उसका और इसका ग्रेड डिफरेन्ट है फोडर डेवलपमेंट ऑफिसर और सुपरिन्टेन्डेन्ट, कैटल ब्रीडिंग फार्म का ?

श्री रामचन्द्र चौधरी उस वक्त फोडर डेवलपमेंट ऑफिसर का कोई ग्रेड नियत नहीं था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसमें है। आपने लिखा है।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : (घ) का पूरा जवाब नहीं दिया। आपने बताया कि एन्टीकरप्शन डिपार्टमेंट को दिया गया है,लेकिन इसमें लिखा था, 'यदि हां, तो कब तक और किन किन मामलों की ? इन जांचों का क्या परिणाम रहा, इसका जवाब नहीं दिया।

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैंने निवेदन किया की सारा रेकॉर्ड एन्टी करप्शन डिपार्टमेंट में भेजा हुआ है, वहां पर पड़ताल अभी तक जारी है।

श्री पी० के० चौधरी : लेकिन कब से भेजा है ? एन्टी करप्शन में जो भेजा है वह २ महीने पहले भेजा है या साल भर पहले भेजा है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : इसकी इन्फॉर्मेशन इस वक्त मेरे पास नहीं है।

श्री पी० के० चौधरी : It was clearly written, Sir in the question क्या यह सही है....

श्री अध्यक्ष : Yes, that is true.

श्री पी० के० चौधरी : डिपार्टमेंट ने कब इन्कवायरी की ?

श्री अध्यक्ष : श्री लादूराम सुलाणिया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक क्वेश्चन और है। फोडर डेवलपमेंट ऑफिसर के वास्ते जो क्वालिफिकेशन प्रेस्काइब्ड, जो लिस्ट दी है, उसमें हैं, तो क्या यह सही है कि यह क्वालिफिकेशन इन सज्जन में नहीं थी जिनको आपने अपोइन्ट किया है ?

Page No.23

श्री रामचन्द्र चौधरी : क्वालिफिकेशन नहीं थी इसलिये हटाकर सुपरिन्टेन्डेन्ट, कैटल ब्रीडिंग फार्म बनाया गया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह तो अब आपने किया है लेकिन इनीशियली उनको फोडर डेवलपमेंट ऑफिसर कैसे किया जब कि वह क्वलिफिकेशन्स को फुलफिल नहीं करते थे ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : मई, १६५६ में उनको लिया था और क्वालिफिकेशन जो प्रेस्क्राइब की है वह अप्रेल, १६६०, में।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १२१

श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १२२

श्री लादूराम जुलाणिया।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

डॉ० बहादुरसिंह।

राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, धौलपुर में रोगी शय्याओं की व्यवस्था

१२३. डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या धौलपुर के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय मे रोगी शय्याओं की व्यवस्था है ? यदि हां, तो कितनी शय्याओं की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(ख) उक्त चिकित्सालय किस श्रेणी का है ? क्या राज्य में और भी ऐसे चिकित्सालय हैं, जो इस श्रेणी के हैं तथा जिनमें शय्याएं नहीं हैं ?

(ग) क्या यह सत्य है कि श्री राधागोविन्द वैद्य उक्त चिकित्सालय में रोगियों के रखने के स्थान पर स्वयं रहते हैं ? यदि हां, तो क्या राजकीय नियमानुसार उनसे किराया लिया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(घ) उक्त वैद्य कब से राजकीय भवन में निवास करते हैं तथा वे क्या वेतन पाते हैं ?

आयुर्वेद मंत्री (श्री भीखाभाई) : (क) जी नहीं।

(ख) धौलपुर आयुर्वेदिक चिकित्सालय 'अ' श्रेणी में आता है।

(ग) जी हां, किराया इस कारण नहीं लिया जाता है कि प्रधान वैद्य का तात्कालिक चिकित्सा सुविधा हेतु वहीं रहना अनिवार्य है।

(घ) २६ नवम्बर, १६५६ से २५०+४०=२६० रुपया पाते हैं।

डॉ० बहादुरसिंह : मैंने रोगी शय्याओं की व्यवस्था के बारे में पूछा था कि क्या है इस अस्पताल में।

श्री भीखाभाई : रोगी शय्याएं जो हैं वे धीरे धीरे बढ़ाई गई हैं।

डॉ० बहादुरसिंह : अब तक कितनी हैं ?

श्री भीखाभाई : जो कुछ आपकी जानकारी में होगी वही होंगी।

डॉ० बहादुरसिंह : उसमें कभी रोगी शय्या की व्यवस्था नहीं की है इसलिए पूछ रहा हूं कि कितनी रोगी शय्याएं हैं।

श्री भीखाभाई : आप पूरी जानकारी रखते हैं कि धौलपुर स्टेट के वक्त से जिस प्रकार का औषधालय आया है उसी प्रकार का है। वित्तीय अभाव के कारण जो औषधालय इन्टिग्रेटिंग स्टेट्स से मिले हैं उनको बढ़ाया नहीं है। उसका अफसोस आपको भी है और हमको भी है।

डॉ० बहादुरसिंह : स्टेट के जमाने में वह सेन्ट्रल औषधालय था लेकिन उसके बाद में उसको 'ए' ग्रेड का कर दिया। वह एक बड़ी ग्रेड का अस्पताल था। उसको 'ए' ग्रेड कर दिया और जो औषधालय 'ए' ग्रेड के हैं उनके बराबर सुविधा नहीं है, इसका क्या कारण है ?

श्री भीखाभाई : इसके बारे में अर्ज कर चुका हूं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

अर्बन इम्प्रूवमेंट एक्ट को जयपुर नगर में लागू करना

१२४. **डॉ० चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) अर्बन इम्प्रूवमेंट एक्ट से सम्बन्धित नियम-उपनियम कब बनकर तैयार हुए ?

(ख) उक्त एक्ट राजस्थान में कब से लागू हुआ ? इसके तहत अब तक किन किन नगरों में किन किन तारीखों को विकास मंडल स्थापित किये जा चुके हैं ?

(ग) क्या जयपुर नगर में उक्त एक्ट लागू है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(घ) क्या यह सच है कि इस एक्ट के न लागू होने से बोर्ड के अलॉटमेंट आदि के अधिकार सरकार ने अपने हाथ में ले रखे हैं ? यदि हां, तो कब से ?

(ङ) सरकार कब तक एक्ट के अनुसार जयपुर नगर में बोर्ड का निर्माण कर उसे यह अधिकार दे देगी ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसादगुप्ता) :

(क) नियम-उपनियम सरकार के विचाराधीन हैं।

(ख) तारीख ३.८.१९५९ से एक ट्रस्ट अलवर में माह—जून, १९६० में बनाया गया है।

(ग) जी हां। एक्ट की प्रकाशित तारीख से यह एक्ट समस्त राजस्थान में लागू है।

(घ) जमीन बेचने के अधिकार तारीख १७.२.५९. से ही समाप्त कर दिये गये थे।

(ङ) सरकार शीघ्र ही जयपुर में ट्रस्ट बना रही है।

Page No.25

डॉ० चन्द्रकला : जब नियम और उप-नियम सरकार के अभी तक विचाराधीन हैं और अभी तक किसी और नगर में अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड नहीं बना है तो अलवर में ही सबसे पहले कैसे बनाया जा रहा है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्योंकि मंत्रीजी वहां के हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अलवर का नाम 'अ' से शुरू होता है इसलिए।

डॉ० चन्द्रकला : जयपुर में जब तक नया बोर्ड नहीं बन जाता तब तक पुराने बोर्ड को जो अधिकार थे वे क्यों रोके गये ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: नया एक्ट आने के बाद पुराना बोर्ड काम नहीं कर सकता।

डॉ० चन्द्रकला : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने अभी यह बताया कि जिस दिन से एक्ट लागू हुआ उस दिन से मौजूदा अधिकार ले लिया गया; तो फिर 'कानून जारी है' से क्या मतलब ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जमीन बेचने का अधिकार कानून बनने से पहले ही काम में लाने की मनाई की म्युनिसिपल बोर्ड्स को कर दी थी लेकिन अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड को मना नहीं किया था।

डॉ० चन्द्रकला : क्या मंत्रीजी यह बताने की कृपा करेंगे कि ये नियम और उप-नियम कब तक बन जायेंगे ? कोई अवधि तो ऐसी हो जब जयपुर शहर में बोर्ड बन कर काम करना शुरू कर दे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : दोनों ही जल्दी बनने वाले हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

मत्स्य निरीक्षकों की नियुक्ति

१२५. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : Will the Agriculture Minister be pleased to state :—

(1) What qualifications have been prescribed for the post of Fisheries Inspector, and how many persons have been appointed on these posts ?

(2) Is it a fact that Mr. Pooran-Singh has been promoted to this post ? If so, what are his qualifications ?

(3) Have the aggrieved persons represented for their priority in this promotion ? If so, what action has been taken in this regard ?

पृथक राजस्व मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के बारे में अभी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है; इसलिये इसे अगली टर्न पर रख लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय।

राजस्थान सर्विस रूल्स के नियम २४८ में 'गवर्नमेंट सर्वेन्ट' के स्थान पर 'ऑफिसर' शब्द का संशोधन

१२६. श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा): क्या वित्त मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

Page No.26

(श्री दयाकृष्ण विजय)

(क) क्या यह सही है कि राज्य सरकार की आज्ञा संख्या ७५८।५८।एफ० ७ ए. (१२) एल. डी. ए., दिनांक २६.६.५६ के द्वारा राजस्थान सर्विस रूल्स की धारा २५८ में 'गवर्नमेंट सर्वेन्ट' शब्द के स्थान पर 'ऑफिसर' शब्द का संशोधन किया गया है ?

(ख) यदि हां, तो क्या इस परिवर्तन से जो सुविधायें पहले प्रत्येक राज्य कर्मचारी को प्राप्त थीं अब वे प्राप्त नहीं हो सकेंगी ?

उप-मंत्री, वित्त (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (क) जी नहीं। केवल राज्य कर्मचारी के बजाय ऑफिसर शब्द का प्रयोग किया गया है।

(ख) जो सुविधाएं राज्य कर्मचारियों को पहिले प्राप्त थी वे अब भी जारी रहेंगी क्योंकि ऑफिसर व राज्य कर्मचारी में कोई अन्तर नहीं है।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह सही है कि गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स के लिये और ऑफिसर्स के लिये जो नियम बने हुए हैं वे भिन्न भिन्न हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : आप यह क्यों भूल जाते हैं कि हरएक गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट ऑफिसर है।

राजस्थान राज्य रोडवेज तथा राजस्थान स्टेट गैरेज का एकीकरण

१२७. **डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) :** क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) राजस्थान राज्य रोडवेज़ और राजस्थान स्टेट गैरेज के एकीकरण के सम्बन्ध में सरकार का क्या निश्चय है ?

(ख) यदि सरकार विलीन करना चाहती है तो गैरेज के टैक्निकल और क्लेरीकल स्टाफ के सम्बन्ध में क्या नीति रहेगी ?

यातायात मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास): (क) अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री पी० के० चौधरी (फ़ुलेरा) : यह प्रश्न विचाराधीन है या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : ऐसा कोई प्रपोज़ल ही नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाज़ार, जयपुर) : क्या यह माना जाय कि गैरेज अलग फंक्शन करेगा और रोडवेज़ अलग ?

श्री रामकिशोर व्यास : आज के दिन भी ऐसा ही है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ऐसी हालत में रोडवेज़ की गाड़ियों की रिपेयर्स कैसे होंगी ?

श्री रामकिशोर व्यास : रिपेयर्स कीमत देकर कराई जा सकती हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

सब इन्सपेक्टर पुलिस, थाना बगड़ी द्वारा ग्राम पंचायत खारची के पंचों के विरुद्ध दर्ज किये गये मुकदमें

१२८. श्री **बेनाराम गहलोत** (खारची) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि पुलिस थाना बगड़ी, जिला पाली के सब-इन्सपेक्टर ने ग्राम पंचायत कन्टालिया, तहसील खारची के पंचों के खिलाफ १८६, ३६२ ताजीरात हिन्द में मुकदमा दर्ज किया ?

(ख) क्या यह भी सही है कि पंचों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया कि दिनांक २३.११.५६ को एक गाड़ी घास जो पुलिस थानेदार अपने कब्जे में लेना चाहते थे वह घास ग्राम पंचायत के पंचों ने पुलिस थानेदार को कब्जे में नहीं लेने दिया ?

(ग) क्या यह भी सही है कि उसी घास की चोरी बाबत मुस्तगीस नारायणसिंह ने ग्राम पंचायत के समक्ष दरख्वास्तदी थी और ग्राम पंचायत ने २४ रु० की घास की कीमत मान कर दफा ३७६, ४०३ का मुकदमा पंचायत में दर्ज कर घास को ग्राम पंचायत ने रूबरू मोतबिरान के दिनांक २१.११.५६ को ही अपनी तहबील में ही ले रखा था ?

(घ) क्या यह भी सही है कि २५) रु० तक की चोरी के मामले ग्राम पंचायत में ही दर्ज होते हैं और पुलिस को उसमें इमदाद देना कानूनी वाजिब होता है ?

(ङ) क्या इसी मामले को लेकर पुलिस सब इन्सपेक्टर दिनांक २८.११.५६ को गांव कन्टालिया पंचों को गिरफ्तार करने की नीयत से गये ?

(च) क्या इस प्रकार की शिकायत ग्राम पंचायत ने नायब सरपंच द्वारा पाली जिले के पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट को दिनांक २६.११.५६ को पेश की थी ?

(छ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई और क्या नतीजा रहा ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) ऐसा ही आरोप लगाया गया है। परन्तु पुलिस के अनुसन्धान से ज्ञात हुआ है कि पुलिस के मामले से बचाव के हेतु पिछली तिथियों में पंचायत द्वारा कार्यवाही किया जाना बाद में बनाया गया।

(घ) जी हां। परन्तु पुलिस को सूचित मामला धारा ३६२, ३४१ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत था और माल का मूल्य ६०२ रुपये था जो पंचायत के अधिकार के बाहर का है।

(ङ) जी नहीं। एस.एच.ओ. ने दिनांक २३.११.५६ को ही जब कि पन्चों ने कानून अपने हाथ में ले लिया और पुलिस अनुसंधान में बाधा डाली, अनुसंधान बंद कर दिया था।

(च) जी हां।

(छ) अनुसन्धान सी. आई., सोजत को दिया गया था जिसने सब १४ दोषारोपित व्यक्तियों के विरुद्ध धारा १८६ भारतीय दंड

(श्री रामकिशोर व्यास)

संग्रह का अपराध साबित पाया, परन्तु इस विषय में आगे की कार्यवाही विवादास्पद खसरा नं० ६६७ के धारा १४५ भारतीय दंड संग्रह की दंडन्यायकीय न्यायालय में विचाराधीन का कार्यवाही की समाप्ति तक रोक ली गई है।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : आपने फरमाया कि जांच के बाद में मुकदमा दर्ज किया गया तो उसकी जांच किस अधिकारी द्वारा कराने के बाद में मुकदमा दर्ज हुआ ?

श्री रामकिशोर व्यास : इन्वेस्टिगेशन से पता चला।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : आपने प्रश्न के उत्तर में बताया है कि घास की गाड़ी ६०२ रु० की थी। उसमें ऐसा कौनसा घास था जिसकी कीमत ६०२ रु० एक ही गाड़ी की हो सकती है ?

श्री रामकिशोर व्यास : इन डिटेल्स में मैं नहीं जा सकता।

श्री शंकरलाल : यह तो आप मानते हैं कि एक ही गाड़ी थी ? तो आप यह बता सकते है कि ऐसी कौनसी घास थी ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैं ब्यौरे में नहीं जा सकता। घास में गाड़ी भी शामिल थी या क्या था ?

श्री शंकरलाल : क्या मंत्रीजी आश्वासन देने को तैयार हैं कि ६०२ रु० जो कीमत बताई गई है वह गलत है और उसकी जांच कराई जायगी। २४ रु० उसकी कीमत न मानकर पंचों पर मुकदमा बनाने की कार्यवाही की गई है।

श्री रामकिशोर व्यास : यदि पंचायत समझती है कि उसके जुरिस्डिक्शन का मामला है तो वह केस को ट्राइ करे।

श्री शंकरलाल : पंचायत ऐसा समझती थी तभी तो उसने ऐसा किया था।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

नगरपालिका रायसिंहनगर द्वारा रायसिंह नगर में डी. ई. ब्लॉक्स में रिहायशी अहातों की नीलामी

१२६. श्री भैरोंसिंह [श्री माधोपुर—श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) द्वारा पूछा गया] : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि नगरपालिका रायसिंहनगर ने रायसिंहनगर में डी. ई. ब्लॉक्स में नियमानुसार रिहायशी अहाते नीलाम किये थे ? यदि हां, तो कब ?

(ख) क्या यह सही है कि इन ब्लॉक्स में तामीर कराये जाने के कार्य को कलेक्टर, गंगानगर ने रोक दिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(ग) क्या यह सही है कि नगरपालिका हाल के समीप श्री निरंजनसिंह आदि कुछ व्यक्तियों ने नाजायज़ तौर पर तामीर का कार्य शुरू किया जिसको नगरपालिका द्वारा रोका गया, परन्तु कलेक्टर द्वारा नगरपालिका के इस आदेश को कैन्सिल कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) जी हां, दिनांक १२.६.५८ को।

Page No.29

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

(ख) जी नहीं।

(ग) जी हां, क्योंकि जमीन पर एक भवन जो करीब ४० हज़ार की लागत का बन चुका था और उसको गिरा देने में राष्ट्रीय सम्पत्ति को हानि पहुंचती थी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

कारखानों में कार्य करनेवाले चौकीदारों तथा चपरासियों के प्रति फैक्ट्री एक्ट को लागू किया जाना

१३०. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या सरकार ने किसी फैक्ट्री या कारखाने में काम करने वाले चपरासियों एवं गेट-कीपरों को फैक्ट्री एक्ट के तहत नहीं माना है ?

(ख) अगर हां, तो उनको किस श्रेणी में माना गया है ?

(ग) क्या व्यापारिक संस्थान उद्योग एक्ट भी चौकीदारों एवं चपरासियों की सर्विस पर लागू नहीं होता ?

(घ) अगर हां, तो क्या सरकार ने उनकी सर्विस के लिए भी कोई एक्ट बनाया है जिसके कारण वे अपने सर्विस हक प्राप्त कर सकें ?

श्रम मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) जी हां, चपरासी और गेट कीपर फैक्ट्रीज़ एक्ट में वर्णित वर्कर की परिभाषा में नहीं आते हैं। अत: यह कानून उन पर लागू नहीं होता है।

(ख) गेट कीपर तथा चपरासी राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम, १९५८ के अंतर्गत आते हैं तथा यह कानून उन पर प्रचलित हो चुका है। इसके अतिरिक्त ये कर्मचारी औद्योगिक अधिनियम, १९४७ के अनुसार वर्कर (श्रमिक) की परिभाषा में भी आते हैं और अधिनियम की सम्पूर्ण धाराएं उन पर लागू हैं।

(ग) चौकीदार एवं चपरासी राजस्थान दूकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम, १९५८ के अंतर्गत आते हैं।

(घ) प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या सरकार ने इस प्रकार की आज्ञा जारी की है कि शोप एंड कॉमर्शियल एक्ट फैक्ट्री के चपरासियों और चौकीदारों पर लागू नहीं होता इसलिये उनके लिये विशेष रूप से ध्यान रखा जाय ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वे इस कानून के अंतर्गत आते हैं और वह इन पर लागू होता है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

बनास नदी बांध योजना

१३१. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि सरकार बनास

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

नदी का बांध बंधवाने की सोच रही है ? अगर हां, तो किस स्थान पर ?

(ख) क्या यह सही है कि उपरोक्त बंध के पेटे में बहुत ज्यादा ग्राम आते हैं ? अगर हां, तो कौन कौन से और उनको कितना मुआवजा देना पड़ेगा ?

(ग) उपरोक्त बंध से कितनी जमीन पीवल होगी और कितनी सालाना आमदनी होगी और क्या सर्फा होगा ?

(घ) उपरोक्त बंध को मेटीरियल सप्लाई के लिये सरकार किस तरह ट्रान्सपोर्ट का प्रबन्ध करेगी ?

सिंचाई मंत्री (श्री भीखाभाई) : (क) बनास नदी पर बांध बांधने के लिए मुआयना व अनुसंधान किया जा रहा है। यह अभी बिसलपुर गांव के पास हो रहा है।

(ख) जी हां, इस बांध के पेटे में ग्राम आते हैं। गांवों की सूची संलग्न है। मुआवजे के लिए तखमीना बनाया जा रहा है जिसके पूरा होने पर ही मुआवजे की रकम का पता लग सकेगा।

(ग) इससे करीब २,००,००० एकड़ भूमि सालाना आबपाशी होगी। सालाना आमदनी करीब १३,५०,०००) रु० होगी। सर्फे का ठीक अनुमान अनुसंधान पूरा होने पर ही लग सकेगा। ऐसी आशा है कि योजना लगभग साढ़े सात करोड़ रुपयों की लागत से तैयार हो जायेगी।

(घ) अनुमानतः इस बांध के लिये मेटीरियल नजदीक ही से प्राप्त हो जायेगा जो कि ट्रकों द्वारा बांध पर लाया जायेगा।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

रावराजा श्री सरदारसिंह : आपने अभी फरमाया कि अभी इसका अनुसंधान जारी है इसलिये डेफिनिटली मालूम नहीं है कि कितने गांव इसमें आयेंगे, लेकिन आपने जो ३६ गांवों की लिस्ट दी है क्या वह डेफिनेट है या इससे भी ज्यादा या कम गांव इसमें आयेंगे ?

श्री भीखाभाई : मैंने कहा अभी सर्वे जारी है। बहुत सा हो चुका है और बाकी जारी है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : आपने फरमाया कि करीब ७ करोड़ की लागत का काम है और मेटीरियल नज़दीक ही से प्राप्त हो जायगा। मैं पूछना चाहता हूं कि उधर कोटा है, इधर नसीराबाद है जहां रेलवे है तो भी क्या वहां से ट्रकों से मंगाया जायगा ?

श्री भीखाभाई : माननीय अध्यक्ष, सवाल बहुत साफ है और उत्तर भी साफ है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : ७ करोड़ की लागत का काम कम्पलीट कब होगा ?

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

थाना थोई, जिला सीकर के इलाके से एक माली की लड़की को उड़ाया जाना

१३२. श्री भैरोंसिंह [श्री माधोपुर— श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाज़ार,

(श्री भैरोंसिंह)

जयपुर) द्वारा पूछा गया] : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि थाना थोई, जिला सीकर के इलाके में से इस वर्ष किसी माली की लड़की को कुछ व्यक्ति भगा कर ले गये ? यदि हां, तो कब और कौन कौन ?

(ख) क्या यह भी सही है कि इस लड़की के भगाने में पुलिस सिपाही भी शामिल थे ? यदि हां, तो कौन कौन ?

(ग) इस मामले में अब तक किन किन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और कब कब ? इसकी तफतीश कौन कर रहा है तथा तफतीश का क्या नतीजा रहा ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) सांवला जाट, कन्हैया माली, गनेशा माली, मूला गूजर........

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सुनाई नहीं देता है ।

श्री रामकिशोर व्यास : सुनाई नहीं दे रहा है ?

(१) सांवला जाट, कन्हैया माली, गनेशा माली, मूला गूजर, निवासी थाना वास-थाना नागल चौधरी का सिपाही रणजीतसिंह एवं बहादुरसिंह थाना थोई द्वारा मुसम्मात पतासी को दिनांक २४.१२.५६ को भगा ले जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी ।

(२) सिपाही रणजीतसिंह या बहादुर-सिंह थाना थोई के विरुद्ध ऐसे आरोप लगाये गये थे ।

(३) केवल उपरोक्त दोनों सिपाहियों को ही गिरफ्तार किया गया । बहादुरसिंह को दिनांक १.१.६० को व रणजीतसिंह को दिनांक २२.१.६० को । इसकी तफतीश सब इन्सपेक्टर, थोई कर रहे हैं । तफतीश जारी है ।

श्री दलपतसिंह (आबू) : श्री बहा-दुरसिंह अभी तक कहां है ?

श्री रामकिशोर व्यास : कहां है, यह पता नहीं, अन्डर सस्पेन्शन है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : दोनों सिपाही अन्डर सस्पेन्शन हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी हां ।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभुलाल पुरोहित ।

सहकारी क्रय-विक्रय संघों द्वारा गोदामों का निर्माण

१३३. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लाल-सोट) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) सहकारी क्रयवि-क्रय संघों द्वारा गोदामों का निर्माण करने के लिए जयपुर जिले में किन किन स्थानों के लिए ज़मीन की मांग आई है ?

(२) उक्त गोदामों के लिए अब तक जमीन क्यों नहीं दी गई ?

(३) क्या यह सही है कि जमीन के अभाव में गोदामों की धनराशि लैप्स हो जाने की संभावना है ?

आबकारी मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी): (१) विभाग में जयपुर जिले के किसी भी सहकारी क्रय-विक्रय संघ द्वारा गोदाम का निर्माण करने के लिये कोई जमीन की मांग नहीं आई है। भूमि का अलॉटमेंट नगरपालिकाओं अथवा जिलाधीश द्वारा होता है।

(२) चौमू सहकारी क्रय-विक्रय संघ का एक मामला गोदाम के निर्माण हेतु जमीन मिलने के लिये नगरपालिका चौमू में चल रहा है, जिसके शीघ्र मिल जाने की आशा है।

(१) ज़मीन के अभाव में गोदामों की धनराशि लैप्स नहीं होती है क्योंकि गोदाम न बनने की अवस्था में जो धन राशि दी जाती है वह वापिस की जा सकती है।

श्री अध्यक्ष : श्री मोगजी भाई।

टी० बी० अस्पताल, जिला बांसवाड़ा

१३४. श्री मोगजी भाई (बांसवाड़ा) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा जिला टी. बी. अस्पताल में डॉक्टर, कम्पाउन्डर और वार्ड बॉय की नियुक्ति सरकार ने की थी?

(ख) उक्त टी. बी. अस्पताल में मरीजों की भर्ती सन् १६५६-६० में कितनी की गई है?

(ग) उक्त अस्पताल में मरीजों के लिये कितनी खाटों की व्यवस्था है?

(घ) क्या यह सही है कि उक्त टी. बी. अस्पताल में मरीजों को कपड़े पहिनने को दिये जाते हैं, तथा उन कपड़ों की धुलाई दूसरे मरीजों के कपड़ों के साथ होती है? यदि हां, तो क्यों?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) जी नहीं। बांसवाड़ा में कोई टी. बी. अस्पताल नहीं है।

(ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(घ) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्री मोगजी भाई : क्या यह सही है कि टी. बी. अस्पताल पांच साल से बना हुआ है और उसमें मरीजों को भर्ती किया जाता है। आपने फर्माया टी. बी. अस्पताल नहीं है?.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : बांसवाड़ा में अस्पताल नहीं है, टी. बी. क्लीनिक जरूर खोला है।

श्री अध्यक्ष : डॉ० चन्द्रकला।

श्री मोगजी भाई : टी. बी. अस्पताल का....

श्री अध्यक्ष : डॉ० चन्द्रकला।

निम्बाहेड़ा हत्याकांड जांच हेतु नियुक्त समिति का प्रतिवेदन

१३५. डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या निम्बाहेड़ा हत्याकांड की जांच के लिये नियुक्त समिति ने अपना प्रतिवेदन

(डॉ० चन्द्रकला)

सरकार को दे दिया है ? यदि हां, तो कृपया प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(२) इस प्रतिवेदन में मूलचन्द सुनार की मृत्यु का क्या कारण बताया गया है और उसके लिये कौन जिम्मेवार है ?

(३) अपराधी व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) जांच के लिए किसी समिति की नियुक्ति नहीं की गई।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

(३) मुकदमा सेशन में चल रहा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : इसकी जांच किसके द्वारा की गई है, निम्बाहेड़ा हत्याकांड की किसके द्वारा जांच कराई है ?

श्री रामकिशोर व्यास : ऑफिसर करते हैं, कमेटी नहीं बैठी थी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ऑफिसर करते हैं, कमेटी नहीं बैठी थी, इस टेक्निकल ग्राउन्ड पर आप अवोइड क्यों करते हैं ? जांच की रिपोर्ट क्या है, वह जानना चाहते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : इन्वेस्टीगेशन हुआ, उसका चालान हुआ और सेशन में चला गया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : चालान पुलिस के कितने कर्मचारियों के खिलाफ किया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : पांच आदमियों के खिलाफ।

डॉ० चन्द्रकला : यदि समिति ने जांच नहीं की, तो किसी भी तरह हत्याकांड की जांच सरकार ने कराई है ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने अर्ज किया कि सेशन में मुकदमा चल रहा है। वह जांच होने के बाद ही चल रहा है।

डॉ० चन्द्रकला : इसका भाग दो है, उसका उत्तर जांच के आधार पर ही दिया जा सकता है। मृत्यु का कारण क्या बताया गया है ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने अर्ज किया कि मुकदमा चालान हुआ और सेशन में चल रहा है।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहब्बतसिंह।

कालन्द्री एवं सरूपगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

१३६. **श्री मोहब्बतसिंह** (सिरोही) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) Is it a fact that Primary Health Centres at Kalandri and Sarupganj in Sirohi District are without class I or class II Doctors ?

(2) Is it also a fact that class III Compounders are put in-charge of these Primary Health Centres by even

(श्री मोहब्बतसिंह)

withdrawing Class II Compounders who were there ?

(3) If so, why these facilities have been withdrawn when the dispensaries are upgraded as Primary Health Centres ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (1) Reply to no. 1 was given yesterday.

(2) Yes, but no Compounders have been withdawn.

(3) The question does not arise.

श्री मोहब्बतसिंह : Is it a fact that class two Compounders, who were there whetn this dispensary was existing, were withdrawn when the dispensary was upgraded as a Primary Health Centre ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : This is not a fact. They are still there.

श्री मोहब्बतसिंह : I still challenge that it is a fact that Class three compounders have been posted there by withdrawing class two Compounders. People have been deprived of those existing facilities by upgrading the dispensary.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : My information is like this. But if you insist, I will make official enquiry into the matter.

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। . . . . . .

गांधी अस्पताल, जोधपुर में मरीजों तथा स्टाफ की संख्या

१३७. **श्री शंकरलाल** (रायपुर) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) जोधपुर गांधी अस्पताल की स्थापना कब हुई ? उस समय मरीजों की संख्या कितनी थी और स्टाफ कितना था ?

(ख) इस अस्पताल में मौजूदा मरीजों की संख्या कितनी है और स्टाफ कितना है ? प्रत्येक श्रेणी के स्टाफ की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(ग) क्या यह सही है कि मरीजों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए स्टाफ की कमी है ? यदि हां, तो क्या सरकार स्टाफ में वृद्धि करने का विचार रखती है ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) ६ सितम्बर, १६३२ में स्थापना हुई थी। उस समय के मरीजों की संख्या की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। १६३२ में कितना स्टाफ था, इसकी सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) मौजूदा मरीजों की संख्या की सूची १६५८-५६ की रिपोर्ट के अनुसार सदन की मेज पर रख दी गई है। मौजूदा स्वीकृत स्टाफ की सूची भी सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ग) अवेलेबल स्टाफ को देखते हुए कोई कमी नहीं है, फिर भी स्टाफ की वृद्धि का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

श्री शंकरलाल : आपने उत्तर में फरमाया कि कमी नहीं है व इसमें दिया है कमी है। मुझे जो सूची दी गई है, इसमें है कि 'कमी है।'

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हमारे पास जो स्टाफ अवेलेबल है, उसकी ओवर ऑल पोज़ीशन देखते हुए कमी नहीं है लेकिन वृद्धि करने का सवाल विचाराधीन है।

श्री शंकरलाल : जो मुझे उत्तर मिला है, उसमें लिखा है कि 'कमी है'। आप कह रहे हैं कि कमी नहीं है। यह दो प्रकार के उत्तर कैसे हैं ?

श्री अध्यक्ष : श्री हीराभाई।

श्री शंकरलाल : १६३२ के स्टाफ की सूची उपलब्ध क्यों नहीं है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हमारे पास रेकॉर्ड १६३२ का उपलब्ध नहीं है, जब इन्टिग्रेशन हुआ उस समय का है, उसके पहले का नहीं है।

श्री शंकरलाल : स्टाफ की कमी है तो कितनी है और उसके लिए क्या कार्यवाही कर रहे हैं, किस हिसाब से कितनी होनी चाहिए, क्या कार्यवाही होनी चाहिए ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जितने राजस्थान में अस्पताल हैं उनमें मरीजों की संख्या बढ़ गई है। सब जगह हमने स्टाफ ज्यादा प्रोवाइड किया है, बहुत सी पोस्ट्स बढ़ा दी हैं। लेकिन बहुत स्टाफ अवेलेबल नहीं है, इसलिये जरा मजबूरी है और कोई दिक्कत नहीं है। जितनी आवश्यकता होगी उतना स्टाफ दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष : श्री हीराभाई।

श्री मोगजी भाई : अध्यक्ष महोदय, १३८ का जवाब दिया जाय।

चतुर्थ श्रेणी जेल कर्मचारियों का अवकाश

१३८. **श्री हीराभाई** [कुशलगढ़–श्री मोगजी भाई (बांसवाड़ा) द्वारा पूछा गया]: क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या राजस्थान चतुर्थ श्रेणी के जेल कर्मचारियों को छुट्टियां दी जाती हैं ? अगर हां, तो कौन कौन सी छुट्टियां दी जाती हैं ?

(२) यदि नहीं, तो क्या छुट्टी के दिन काम लेने का मुआवजा उनको दिया जाता है ? अगर हां तो किस हिसाब से ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) राजस्थान चतुर्थ श्रेणी के साधारण कर्मचारियों को, जिनका कि ग्रेड २५.१.४० है, गजेटेड छुट्टी का लाभ दिया जाता है। किन्तु वार्डरान जिनका कि सम्बन्ध जेल की सुरक्षा से है और जिनका कि ग्रेड भी दूसरे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से अधिक यानि ३०. १. ५० है, जेल मेनुअल के अनुसार उनको हर समय यानि ड्युटी के समय के बाद भी जेल के अहाते के अन्दर ही सुरक्षा की दृष्टि से रहना पड़ता है और यदि वे बाहर जाना चाहें तो स्वीकृति लेकर निश्चित् अवधि के लिए बाहर जा सकते हैं।

(२) चूंकि वार्डरों का वेतन दर दूसरे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के मुकाबले अधिक है जैसा कि ऊपर के प्रश्न में बयान

(श्री रामकिशोर व्यास)

किया गया है, छुट्टी के दिन काम लेने के मुआवजे का प्रश्न नहीं उठता।

श्री मोगजी भाई : क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि जेल मेनुअल के अनुसार उनको ड्युटी पर रहना चाहिये, इससे अधिक ड्युटी ली जाती है, उसका कोई नियम है ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने कहा वह पार्ट ऑफ दी ड्युटी है। मेनुअल के अनुसार ज्यादा टाइम ड्युटी ली जा सकती है, इसलिए पे भी ज्यादा रखी है।

श्री मोगजी भाई : २३ घंटे ड्युटी ली जाती है ?

श्री रामकिशोर व्यास : २४ घंटे भी रहते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभुलाल पुरोहित।

तहसील लालसोट में पुलिस चौकियों का अभाव

१३६. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सच है कि तहसील लालसोट में करीब तीन सौ गांव है और उसमें सिर्फ एक ही थाना हैं और कोई चौकी नहीं है जिसके कारण चोरियां, डाके ज्यादा होते हैं ?

(ख) अगर हां, तो क्या सरकार एक चौकी राहुवास व एक चौकी दौलतपुरा में कायम करने का विचार रखती है ? अगर हां, तो यह चौकियां कब तक कायम कर दी जायेंगी ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) थाना लालसोट के अन्तर्गत २३७ ग्राम हैं और एक भी पुलिस चौकी नहीं है। किन्तु यह कहना सत्य नहीं है कि एक भी चौकी नहीं होने के कारण अपराध भी अधिक होते हैं।

(ख) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : दो साल में कितनी, चोरियां हुई हैं, साहब और कितने डाके पड़े हैं ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री शंकरलाल (रायपुर) : २३७ गांव है, मंत्री महोदय उचित नहीं समझते कि एक चौकी हो ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या मंत्री महोदय यह मानते हैं कि पुलिस चौकियां हो जाती हैं तो अपराध हो जाते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : मेरा मानना नहीं है। आपने जबाब फर्माया, इसलिए अर्ज कर दिया।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): क्या इसकी रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी बनाई है कि इतने थाने कर दिये जायं ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी हां, आपका फरमाना सही है, यह गवर्नमेंट के जैर गौर है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । महाराज हुकुमसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री अर्जनदास ।

(अनुपस्थित)

श्री रावतराम ।

श्री मोहरसिंह (चुरू): अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर दे दिया जाना चाहिये।

पुलिस चौकी सिद्धमुख (चुरू) का भवन

११०. **श्री रावतराम** [चुरू-मु० श्री मोहरसिंह (चूरू) द्वारा पूछा गया] : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि ग्राम सिद्धमुख, तहसील राजगढ़, जिला चूरू में पुलिस चौकी है जिसने एक सार्वजनिक धर्मशाला पर अधिकार कर रखा है ?

(ख) क्या यह सही है कि उक्त सार्वजनिक धर्मशाला ग्रामवासियों ने बरातादि एवं अतिथियों के लिए ठहरने हेतु बनाई थी और उसमें पानी का एक कुन्ड भी बनवाया था ?

(ग) क्या यह सही है कि गत दो साल से ग्रामवासी यह कोशिश कर रहे हैं कि उक्त धर्मशाला को खाली कर दिया जाय परन्तु उच्चाधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं ?

(घ) क्या यह सही है कि मार्च, १९५८ में माननीय मुख्य मंत्री जब सिद्धमुख पधारे थे उस समय उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि यदि ग्रामवासी पुलिस चौकी के लिए नया मकान बनवा दें तो धर्मशाला को खाली कर दिया जायगा तथा इस अवसर पर जिलाधीश व एस. पी. चूरू भी मौजूद थे ?

(ङ) क्या सरकार को विदित है कि ग्रामवासियों ने लगभग चार हजार रुपये खर्च करके रेलवे स्टेशन के पास पुलिस चौकी के लिए नया मकान बनवा दिया है, जिसको कलेक्टर एवं एस. पी. चूरू को भी दिखा दिया गया था ?

(च) यदि हां, तो फिर भी धर्मशाला खाली न करने का क्या कारण है और वह अब कब तक खाली कर दी जायगी ?

गृह मन्त्री(श्री रामकिशोर व्यास) : (क) जी हां, किन्तु १३ कमरों में से केवल ५ कमरे ही चौकी के अधीन हैं ।

(ख) जी हां ।

(ग) अधिकारी इस ओर पूरा ध्यान दे रहे हैं किन्तु चौकी के लिए दूसरा उपयुक्त भवन उपलब्ध नहीं है ।

(घ) माननीय मुख्य मंत्रीजी ने क्या आश्वासन दिया, इसकी जानकारी इस विभाग को नहीं है ।

(ङ) चौकी के लिए ग्रामवासियों ने नया भवन अवश्य बनाया है किन्तु उसमें एक तो पानी का कुन्ड नहीं है, द्वितीय कुछ हिस्सा बारिश की वजह से गिर जाने से भवन असुरक्षित है और तृतीय उसके कुछ कमरे श्री धोकल व श्री मोती जाट को किराये पर दे रखे हैं ।

(श्री रामकिशोर व्यास)

(च) उक्त भवन की पुख्ता मरम्मत होते ही तथा पानी का कुन्ड बनते ही या स्टेशन स्थित धर्मशाला से पानी देने का आश्वासन होते ही तथा किराया दिया हुआ हिस्सा खाली होते ही वह चौकी स्थानान्तरित कर दी जावेगी।

श्री मोहरसिंह : यह कब तक बन जावेगा ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह तो जिन्होंने मकान बनाया है वे जानें।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : धर्मशाला है फिर पुलिस ने उसे कैसे ले लिया है और उसको पुलिस कैसे ले सकती है ?

श्री रामकिशोर व्यास : वह तो गांववालों की राय से ली हैं।

डॉ० चन्द्रकला : जब उन्होंने गांववालों की मर्जी से ले ली है तो अब गांव वालों की मर्जी से ही उनको छोड़ देना चाहिये।

श्री मोहरसिंह : धर्मशाला तो एक सार्वजनिक चीज है उस पर कब्जा करना कौन से कानून के अन्तर्गत है ?

श्री रामकिशोर व्यास : गांव में कोई दूसरा मकान था नहीं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री लादूराम सुलाणिया।

(अनुपस्थित)

नेक्स्ट, श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

संचालक, सार्वजनिक सम्पर्क विभाग द्वारा की गई हवाई यात्राएं

११६. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल(जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) सन् १९५९ में संचालक, सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय ने कितनी यात्रायें हवाई जहाज से कीं और कब कब और कहां कहां को तथा किस कार्य हेतु ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) इन यात्राओं के लिए कुल कितना भत्ता उन्होंने लिया तथा क्या वे हवाई जहाज से यात्रा करने के अधिकारी हैं ? यदि नहीं, तो फिर हवाई जहाज का किराया किस प्रकार उन्होंने वसूल किया ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) १९५९ में संचालक, सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय ने हवाई जहाज से दो यात्रायें कीं। एक जनवरी १९५९ में और दूसरी अक्टूबर, १९५९ में। इनमें से एक यात्रा नागपुर और दूसरी कलकत्ता की थी। नागपुर की यात्रा इस विभाग द्वारा कांग्रेस अधिवेशन के अवसर पर आयोजित प्रदर्शनी में लगाये राजस्थान मंडप से सम्बन्धित थी और कलकत्ता की यात्रा कलकत्ता में सूचना केन्द्र और हस्तकला वस्तुओं का विक्रय केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में तथा वहां सम्पादकों आदि से सम्पर्क स्थापित करने के सम्बन्ध में थी।

(ख) इन यात्राओं के लिए संचालक, सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय ने ६३६.९८ नया पैसा भत्ते के रूप में लिया। हवाई जहाज से यात्रा करने के लिये ये अधिकारी नहीं हैं,

(श्री रामकिशोर व्यास)

किन्तु इन यात्राओं के लिए इन्होंने सरकार से स्वीकृति ले ली थी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने बताया कि हवाई जहाज से यात्रा करने के अधिकारी नहीं हैं। जब हवाई जहाज से यात्रा करने के अधिकारी नहीं थे तो इनको पेमेन्ट किस तरह किया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह तो मैंने पहले ही अपने जवाब में अर्ज कर दिया कि पहले गवर्नमेंट से स्वीकृति ले ली।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यात्रा करने से पहले मंजूरी ली या बाद में ?

श्री रामकिशोर व्यास : यात्रा से पहले।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पहले सैंक्शन ली होगी तो उन्होंने इसके लिये रीज़न्स तो दिये होंगे कि इसके लिए उनका हवाई जहाज से जाना जरूरी है।

श्री रामकिशोर व्यास : कई चीजें थी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या गवर्नमेंट ये रीज़न्स सफिशिएन्ट समझती है कि एग्ज़िबिशन खोलने या किसी का निरीक्षण करने जाना हो तो हवाई जहाज से जाए ? क्या आप इसको एमर्जेन्सी समझते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : एग्ज़िबिशन लगवाना ही था। गवर्नमेंट ऑफिसर एअर से जा सकते हैं।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा): वह तो अक्टूबर में चला था और वे बाद में चले।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री लादूराम।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर ले लिया जाए।

मेडिकल कॉलेज, जयपुर के बागवान

१२२. श्री लादूराम सुलाणिया [दूदू- सु०-डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) द्वारा पूछा गया]: क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) मेडिकल कॉलेज, जयपुर के बागवानों की क्या संख्या है? बागवानों के नाम व पिता का नाम और जाति मय पता के सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(ख) क्या ये बागवान परमानेन्ट हैं ? यदि नहीं,तो क्यों ? ये राज्य सेवा में कब कब लिये गये थे ? तारीख वाइज़ उपरोक्त सूची में दर्ज करने की कृपा करें।

(ग) क्या यह सही है कि इन बागवानों को १९५९-६० की वर्दी नहीं दी गई जबकि सब सरकारी बगावानों को वर्दी दे दी गई ?

(घ) क्या संबन्धित अधिकारियों को वर्दी न मिलने की सूचना लिखित में दी गई ? यदि हां, तो कब तथा उस पर क्या क्या कार्यवाही की गई ? अब वर्दी कब तक दी जावेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) बागवानों की संख्या ४ है। उनके नाम

(श्री रामकिशोर व्यास)

आदि के विवरण की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) इसका विवरण सूची में दिया हुआ है।

(ग) राज्य सरकार के द्वारा दिये गये आदेश संख्या एफ.१५। १ जी.ए.ए.। ५२ दिनांक २०.७.५७ में बागवानों का नाम वर्दी दिये जाने वाले कर्मचारियों में नहीं है। अतः वर्दी देने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है!

(घ) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

डॉ० चन्द्रकला : तो क्या किसी भी जगह बागवानों को वर्दी नहीं दी गई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : गवर्नमेंट के आॅर्डर तो ऐसे ही हैं। ये २०.७.५७ के हैं। इसमें जिनको वर्दी मिलनी चाहिये उनके नाम दिये हैं। इसमें बागवानों के नाम नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

(विराम)

१२. १६. म.प.

भरतपुर शहर में कॉलेरा रोग सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव

श्री श्रीमानसिंह ने भरतपुर सिटी में कॉलेरा की बीमारी से सम्बन्धित एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इस विषय में मुझे सरकार से जो जानकारी मिली है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि अब तक कुल Gastro Entritis के ५६ केसेज़ हुए हैं जिनमें से ७ की मृत्यु हुई है। वहां के अस्पताल में इन्डोर पेशेन्ट्स के तौर पर भर्ती हुए ३८ मरीजों का इलाज किया गया तथा लगभग ४,००० एन्टी—कॉलेरा इनोक्युलेशन्स एतिहातन दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त बीमारी की रोक-थाम के सिलसिले में सहायक संचालक, हैल्थ, जयपुर को भी भरतपुर भेजा जा रहा है।

ऐसी स्थिति में यह मामला इतने सार्वजनिक महत्व का नहीं रह जाता कि इस पर सभा की पूर्व निश्चित कार्यवाही स्थगित की जाकर इस पर विचार किया जाय। अतः मैं इसे सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता हूं।

मैं स्वास्थ्य मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये एक वक्तव्य दें।

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : अध्यक्ष महोदय, जो फिगर्स आपने बताये वे मेरे पास भी एवेलेबल हैं। अगर आप कहें तो मैं भी उनको दुबारा पढ़ दूँ। हम इसके लिये प्रबन्ध कर रहे हैं। कल म्युनिसिपैलिटी के प्रेसीडेन्ट भी आये थे। मैंने उनसे बात-चीत की थी और जानकारी हासिल की थी। हम सब मिल कर जो भी रोक-थाम का प्रबन्ध कर सकते हैं कर रहे हैं और अब स्थिति में सुधार हो गया है। अब स्थिति कन्ट्रोल में है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : एन्टी–कॉलेरा इन्जेक्शन लगाये जा रहे हैं।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : जो स्लम्प जगह जगह बने हुए हैं और कचरा पड़ा हुआ है और सफाई अच्छी तरह से नहीं होती उसके लिये एन्टी–कॉलेरा इन्जेक्शन से क्या होगा ? खास तो जिस वातावरण से यह रोग पैदा होता है उसका सुधार करने की जरूरत है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसके स्प्रेड को रोकने के लिये सब को इंजेक्शन लगाये जा रहे हैं। अब स्थिति कन्ट्रोल में है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : आपने कहा कि ३८ केसेज़ का होस्पिटल में इलाज कराया। उनमें से कितने मर गये ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह तो नहीं कह सकता। अब तक ७ की मृत्यु हुई। कुल ५७ केसेज़ थे, उनमें ७ की उनके घरों में ही मृत्यु हुई।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या हॉस्पिटल में दवाइयें नहीं थीं; इस प्रकार की शिकायत थी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने आपको बताया कि हमने तीन हजार इंजेक्शन और भेज दिये हैं। दवाई तो थी, मगर प्रिवेन्शन के लिये असिस्टेन्ट डाइरेक्टर को भी और भेज रहे हैं।

१२. १८ म. प.

राजस्थान मोटर विहिकल्स नियम, १९५१ के अधीन जारी की गई अधिसूचना सदन की मेज पर रखना

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं होम (बी) १ विभाग की अधिसूचना संख्या डी. ८९६८। एफ.०१ (४) ।१५। एच (बी. जी. आर. १) ।५८, दिनांक २ जुलाई, १९६० जिसके द्वारा राजस्थान मोटर विहिकल्स नियम, १९५१ के अध्याय ५ में नियम २२९ ए से २२९ एल जोड़े गये हैं, सदन की मेज पर रखता हूं।

आयुक्त–अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के प्रतिवेदनों पर विचार–विमर्श

श्री अध्यक्ष : आयुक्त, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिवेदन १९५७-५८ के प्रतिवेदन १९५७-५८ व १९५८-५९ पर विचार।

श्री रिखबचन्द धारीवाल (समाज कल्याण मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त की रिपोर्ट १९५७–५८ व १९५८–५९ को, जहां तक उनका राजस्थान राज्य से सम्बन्ध है, विचारार्थ लिया जाय।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान जो १९५८–५९ की रिपोर्ट है उसके पेज २२९ पर दिलाना चाहूंगा जिसमें यह दर्ज है: "The State Governments should endeavour to discuss the latest Annual Report

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in their legislatures as early as possible after it is placed in Parliament and not discuss old reports which losetheir value with the submission of the latest report". इसलिये १८५८–५६ की लेटेस्ट रिपोर्ट है उस पर विचार करना उचित होगा। फिर जैसी सदन की मर्जी हो और अध्यक्ष महोदय जैसा फरमावें।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : यह रिपोर्ट फर्स्ट टाइम हाउस में डिस्कस हो रही है, therefore every member can discuss the previous reports also which have been circulated to the members.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने जैसा आपसे निवेदन किया कि यह तो कमिश्नर की रिपोर्ट में दिया हुआ है कि वे पिछली रिपोर्ट पर बहस न करें........

श्री श्रीभानसिंह : Commissions' suggession is not a binding on this House, because it is open to the House to discuss all the reports that have been circulated.

श्री अध्यक्ष : यह तो मंत्री महोदय का सुझाव था।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मेरा सुझाव था, आप मंजूर करें या न करें।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाज़ार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, एक कठिनाई यह है कि यह सारी रिपोर्ट अंग्रेजी भाषा में है। अधिकांश सदस्यों की यह कठिनाई है कि न तो वे उसको पढ़ ही सकते हैं और न समझ ही सकते हैं। इसलिए राजस्थान सरकार को यह चाहिये था कि जहां तक राजस्थान भाग के सम्बन्ध में कमीशन की रिकमन्डेशन्स हैं उनका अनुवाद हिन्दी में करवा कर सदस्यों को वितरित करा दी जायं।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : तब तक के लिए इस पर विचार स्थगित रखा जाय।

श्री अमृतलाल यादव (जालोर-सु०) : विचार स्थगित रखना........

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ ! ऑर्डर !! आप (मंत्री महोदय से) कोई स्टेटमेंट देंगे क्या पहले इस सम्बन्ध में ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, १६५७–५८ व ५८–५६ की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी गई है। जो राजस्थान से ताल्लुक रखने वाली रिकमन्डेशन्स है वे इसके अन्दर मौजूद हैं। १६५७–५८ में कुछ बातों पर कमीशन ने ध्यान दिलाया था जो राजस्थान से खास तौर पर ताल्लुक रखती थी। उनमें से बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन पर राजस्थान सरकार ने अमल किया है। १६५८-५६ में भी बहुत सारी बातों पर ध्यान दिलाया गया जो कि इसके अन्दर मौजूद हैं। इस रिपोर्ट को देखने से पता चलेगा कि रिकमन्डेशन्स एन्ड सजेशन्स ५८–५६ की रिपोर्ट में कुछ वे बातें हैं जो ५७–५८ में कही गई थी, उनको लागू किया गया है और कुछ एडीशनल बातें जो समय समय पर कमीशन ने राजस्थान में आकर कही हैं उनका भी इसमें जिक्र किया गया है। कुछ टूर रूट्स भी कमीशन ने बताये हैं जहां पर

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

दौरा करके वहां की स्थिति को देखा और जो सुझाव दिये वे भी इसमें दिये गये हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि जहां तक राजस्थान का सवाल है, यहां की पर्टिकुलर स्थिति में जो बातें कही गई हैं, जो सुझाव दिये हैं उन पर विभागीय तौर पर विचार किया गया है और उन पर एक्शन्स भी लिए हैं और कार्यरूप में भी परिणत किया है। एडमिनिस्ट्रेटिव पेटर्न पर भी एक्शन लिये गये और कार्यान्वित किये जा रहे हैं।

शिड्यूल्ड कास्ट और शिडयूल्ड ट्राइब्स के एजुकेशन और इकोनोमिक अपलिफ्ट के बारे में भी जो सुझाव आये और रिकमन्डेशन्स की उन पर हमने एक्शन लिया। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिस किसी बात पर पर्टीकुलरली स्ट्रेस किया जावेगा मैं उस पर बाद में निवेदन करूंगा। लेकिन जहां तक इस कमीशन की रिकमन्डेशन्स का सवाल है सरकार ने समय २ पर उन पर एक्शन लिया है और उनको कार्यान्वित करने का प्रयत्न किया है। जो गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया से पेटर्न, स्कीम्स आती हैं, उनके अलावा कमीशन की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए उनको यहां लागू करते हैं। कुछ स्टेट और सेन्ट्रल स्पोन्सर्ड स्कीम्स भी हैं, जिनके बारे में बराबर प्रयत्नशील हैं। उनमें कुछ काम जारी हैं और उसके प्रयत्न किये जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। जो माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, बोल सकते हैं।

(विराम)

श्री रामचन्द्र।

श्री रामचन्द्र (डग–सु०): अध्यक्ष महोदय, आज दस वर्ष के बाद प्रथम बार शिड्यूल्ड,कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स कमिशनर की ओर से जो प्रति वर्ष एक रिपोर्ट प्रकाशित होती है उस पर विचार प्रकट करने का हमें अवसर दिया गया है उसके लिए मैं राजस्थान सरकार को धन्यवाद देता हूँ। अध्यक्ष महोदय, यह आठवीं रिपोर्ट है। ७ रिपोर्ट पहले आ चुकीं थीं और वे हमें मिलीं, लेकिन दुख की बात है कि पिछले दो सालों तक तो इनका हिन्दी में ट्रान्सलेशन होता रहा किन्तु आज यह अंग्रेजी में ही मिली है। ऐसी स्थिति में चाहे ये पुस्तकें भले ही अलमारी की शोभा बढ़ाती रहें; किन्तु इनसे हम यह नहीं जान सकते कि राजस्थान सरकार ने अपने लक्ष्य में कितनी प्रगति की है और अब वह किस ओर जा रही है। बड़ी खुशी की बात है कि आज हमको अपने विचार प्रकट करने का मौका तो दिया गया।

अध्यक्ष महोदय, आज से १३ वर्ष पहले जब भारत स्वतन्त्र हुआ उस समय केन्द्र में अर्थात् दिल्ली में हमारे भारत के गणमान्य नेताओं ने मिल कर एक प्रतिज्ञा की थी कि भारत का वह वर्ग जो सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक; इन तीनों दशाओं में भारत के अन्य नागरिकों से गिरा हुआ है उनके लिये हमारा पहला फर्ज हो जाता है कि हम उनको अपनी श्रेणी में लावें। इस लक्ष्य को कार्यान्वित करने के लिए सबने इस बात की प्रतिज्ञा की कि हम अपने इन भाइयों को जो हम से एक अर्से से सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, कमजोर हैं, उनको उचित सुविधायें देकर अगले दस

(श्री रामचन्द्र)

वर्षों में इतने तगड़े बना देंगे कि वे भी हमारे साथ चल सकें। लेकिन दुःख की बात है कि ये दस वर्ष गुजर गये और साथ साथ खुशी की बात भी है कि, जैसी कि उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि इस वर्ष के बाद हम उनको अपने बराबर लाकर चला सकेंगे और आगे यह रिज़र्वेशन देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि रिज़र्वेशन नहीं देते और राजस्थान सरकार ने हमारी प्रगति के लिए जो अब तक विकास किये, उतने ही रह जाते तो वास्तव में हम लोगों का बड़ा अहित होता। हम भारत सरकार को अनेक अनेक धन्यवाद देते हैं कि सरकार ने हमारी वास्तविक स्थिति को पहिचाना और उसने हमको दस साल के लिए और रिज़र्वेशन दे दिया। अध्यक्ष महोदय, इस पिछड़े हुए वर्ग के तीन अंग माने गये हैं, शिड्युल्ड कास्ट, शिड्युल्ड ट्राइब्स और अदर बैक वर्ड क्लासेज़ यानि आदिम जातियां और अस्पृश्य जातियां और दूसरी पिछड़ी हुई जातियां। इस प्रकार हम लोग तीन वर्गों में बांटे गये हैं। इन तीन वर्गों की श्रेणियों में विभक्त करके उनको आगे बढ़ाने का भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने सब प्रकार का प्रावधान किया और उसके फलस्वरूप आज हम जिस स्तर पर आ सके हैं उससे राजस्थान सरकार भी अवगत है और राजस्थान की जनता भी अवगत है और इस सदन के माननीय सदस्य भी अवगत हैं कि हमको कितने मील पर आगे बढ़ना था और कितने मील हम आगे पहुँच सके हैं। हम अस्पृश्य कहलाने वाले शिड्युल्ड कास्ट के लोगों पर, परमात्मा की तरफ से न हो, किन्तु समाज की ओर से तो अभिशाप है। एक विशेष बात यह है कि हम आज आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से ही पिछड़े हुए नहीं हैं किन्तु सामाजिक ओर से एक हमारे ऊपर कलंक है और वह ऐसा है कि जिसके कारण हमें जानवरों से भी बदतर श्रेणी में रखा गया है। एक मनुष्य कुत्ते के छू जाने से अस्पृश्य नहीं होता, गाय के छूने से अस्पृश्य नहीं होता किन्तु हम छू जायं अथवा हमारी छाया उन पर पड़ जाय तो वे धर्म का ढिंढोरा पीटते हुये अपने को कलंकित मानने लग जाते हैं। जिस समय हमारे साथ ऐसा अन्याय हो रहा था और जब भारत स्वतन्त्र हुआ तो उस देवता मूर्ति जिनकी याद में अनेक अनेक श्रद्धान्जलियां अर्पित करता हूं, पूज्य बापूजी थे, जिन्होंने हमारी वास्तविक दशा को समझा, यह विचार किया कि भारत में एक पिछड़ा वर्ग भी है जो हीन–क्षीण दशा में पड़ा हुआ है; उसकी आर्थिक दशा इतनी गिरी हुई है कि वह अपने को जीवित रखने के लिए मुर्दा–मांस खाकर और झूठन खाकर भी हिन्दू समाज का एक अंग बना रहा है। यह है इस वर्ग की विशेषता। आज तक इस वर्ग ने किसी के प्रलोभन में न आकर अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया और वे हिन्दू धर्म में भूखे मरते हुए भी, उनकी झूठन खाते हुए भी इसी हिन्दू समाज में रहे हैं और रहेंगे। इनकी हमेशा से हिन्दु धर्म के प्रति बड़ी श्रद्धा रही है। हमारे समाज ने इसे चाहे कितना ही ठुकराया हो किन्तु ये लोग हिन्दू धर्म रूपी माता से कभी विचलित नहीं हुए हैं और इतना संकट सहने पर आज हिन्दू समाज और हिन्दू समाज के नेताओं को इस बात का ज्ञान हो गया है कि ये लोग भी वास्तव में हमारे धर्म के अंग हैं। मेरा उनसे यह निवेदन है कि वे केवल धर्म का झूठा नारा लगा कर

(श्री रामचन्द्र)

इन लोगों से घृणा न करें । हम लोगों को धर्म के नाम पर सताना है, यह गलती है; ऐसा वे मानने लग गये हैं । आज वे अनुभव करते हैं कि हम लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए । मैं देखता हूं कि यह विचारधारा अभी केवल शहरों तक ही पहुँची है । शहरों में आप जाकर देखिये, बड़े बड़े कस्बों में जाकर देखिये अस्पृश्यता किसी कदर ढीली हुई है लेकिन देहातों में अब भी यह स्थिति वैसी ही बनी हुई है । मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि आज शहरों में हमारा स्थान उतना ही ऊंचा है जितना कि अन्य वर्ग का है । हम यद्यपि विधान सभा के सदस्य हैं किन्तु जब हम दूसरे समाज में जाते हैं तो हमारे में इतनी हिम्मत नहीं होती कि हम भी उन सब के साथ बैठें । हम अपने में एक प्रकार से इन्फीरियेरिटी कम्पलेक्स का अनुभव करते हैं। यह अस्पृश्यता का रोग शहरों में काफी मात्रा में दूर हो चुका है लेकिन हमारे देहातों में अब भी वही स्थिति है जो कई वर्षों पहले थी। हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से राजस्थान सरकार अस्पृश्यता को दूर करने का प्रयत्न कर रही है, यह प्रयत्न काफी नहीं है। इन प्रयत्नों को काफी आगे बढ़ाने की आवश्यकता है । इसके लिये सबसे पहली बात यह होनी चाहिये कि इस बात की पब्लिसिटी की जाय कि अस्पृश्यता निवारण कानून जो दण्डनीय अपराध मान लिया गया है ; अस्पृश्यता निवारण कानून जो है, उसकी पब्लिसिटी राजस्थान में व्यापक रूप से नहीं हुई है। राजस्थान के बहुत से भाग के गांव ऐसे हैं जिनके निवासियों को यहां तक भी पता नहीं है कि अस्पृश्यता निवारण नाम का कोई कानून भी है । इसके लिये मेरा यह सुझाव है कि राजस्थान सरकार को चाहिये कि अस्पृश्यता निरोध कानून की जितनी धारायें हैं उन सब की खूब पब्लिसिटी कराई जाय ताकि सब लोगों को यह पता चल जाय कि छुआछूत एक कानून अपराधी है और उसका पालन न करने पर सजा मिल सकती है । इसके अलावा जितने भी सिनेमाघर हैं उनमें प्रतिदिन सिनेमा स्लाइड्स के द्वारा कानून की मुख्य धाराओं से जनता को अवगत कराना चाहिये जिससे उनको मालूम हो सके कि अस्पृश्यता जुर्म है । अगर हम किसी को अछूत मानते हैं तो हमको दण्ड का भागीदार बनना पड़ेगा ।

दूसरा सुझाव यह है कि प्रत्येक बड़े बड़े शहर और कस्बे में और तहसील हैडक्वार्टर पर साइनबोर्ड लगाये जायं जिनमें अस्पृश्यता निवारण कानून की मुख्य धारायें लिखवा कर आम रास्तों पर लगा देनी चाहिये ताकि लोगों को यह मालूम हो सके कि अस्पृश्यता एक जुर्म है । साथ में यह भी उनको मालूम हो सके कि यदि उन्होंने किसी के साथ छुआछूत का व्यवहार किया तो उन पर मुकदमा चल सकता है । मैं यह भी निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार अमेरिका में स्लेवरी को जो उस देश के लिए बड़ा भारी कलंक था अमेरिकन्स ने मिटाया और कलंक को दूर किया उसी प्रकार यह कलंक भी मिटाना चाहिये। अस्पृश्यता का रोग भारत में स्लेवरी से भी अधिक भिन्न है । पूज्य बापूजी की कृपा से यह कलंक भारत के ललाट से हट रहा है । लेकिन फिर भी हम कितना प्रयत्न कर रहे हैं उससे और अधिक प्रयत्न बराबर चालू रखना चाहिये । "अस्पृश्यता मानना पाप है", इस प्रकार का वाक्य

(श्री रामचन्द्र)

हरेक माइल स्टोन पर लिखा जाना चाहिये। यहां तक होना चाहिये जिस कि प्रकार अशोक के जमाने में पिलर्स कायम किये गये थे उसी प्रकार अस्पृश्यता के मुख्य मुख्य इलाके हों उनमें इस प्रकार के पीलर्स कायम किये जाने चाहिये ताकि यह मालूम रहे कि एक जमाना ऐसा था जब कि राजस्थान में अर्थात् भारत में अस्पृश्यता नाम का एक ऐसा सामाजिक कलंक भी था। पूज्य बापूजी के द्वारा यह कानून दूर हुआ है; इसलिए जिस प्रकार सम्राट अशोक की प्रसिद्ध अमर हो गई उसी प्रकार की वही भावना पूज्य बापू के प्रति सदा सर्वदा के लिये अमर हो जाय।

जहां तक कानून का सवाल है कानून बनने के बाद भी उसको अमल में लाने का भार सबसे ज्यादा पुलिस को दिया गया है। यह दुःख की बात है कि पुलिस अधिकारी जिनको इसके एग्ज़ीक्युशन का अधिकार दिया गया है उनके द्वारा हमको इस कार्य में किसी प्रकार की सहायता नहीं मिल रही है। अस्पृश्यता के नाम पर जिन लोगों को सताया जाता है आज उनकी सुनवाई नहीं होती है। मेरे जैसा कोई मोतबिर आदमी यदि शिकायत करता है तो उसका मुकदमा जरूर कायम कर दिया जाता है लेकिन मुकदमा इतना लम्बा कर दिया जाता है जिससे गांव के लोग मिल कर उस मुकदमें को बिगाड़ देते हैं। यह सहानुभूति जो पुलिस विभाग की ओर से मिल रही है वह उसको क्या हम अछूतों के प्रति सहानुभूति कहें? इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा राज्य सरकार को चाहिये कि वह पुलिस विभाग के मानस का इस प्रकार से गठन करे कि वह अस्पृश्यता निवारण कानून का ठीक तरह से जनता से पालन करवा सके। आज हम देखते हैं कि अस्पृश्य जाति के लोगों को आज भी कई गांवों में जेवर तक पहिनने नहीं देते....

श्री मोहरसिंह (चुरू) : ऐसा कौनसा इलाका है जहां आज भी इन लोगों को जेवर पहिनने नहीं दिया जाता?

श्री रामचन्द्र : अध्यक्ष महोदय, अस्पृश्यता निवारण के लिए यह भी आवश्यक है कि हरिजनों को हिन्दुस्तान के तमाम मन्दिरों में जाने दिया जाय। इस कानून में हरिजनों को तमाम मन्दिरों में प्रवेश करने के लिये आदेश दिये गये हैं। कानून में यह प्रावधान रखा गया है कि जो मन्दिर सरकार की सहायता से चल रहे हों चाहे वे पूर्ण सहायता से हों अथवा आंशिक सहायता से चल रहे हों ऐसे मन्दिरों में हरिजनों को मन्दिर की मूर्ति के दर्शन करने की इजाजत है। लेकिन हमें दुःख होता है, भारत के बहुत से भागों में जैसे जगदीश का मन्दिर, बद्रीनाथ का मन्दिर, विश्वेश्वरनाथ का मन्दिर इत्यादि ये बड़े बड़े मन्दिर ऐसे मन्दिर हैं जिनमें हरिजनों को जाने की इजाजत है और वहां मन्दिर के द्वार हरिजनों के लिए सदा के लिए खुल गये हैं। लेकिन जहां तक राजस्थान का सवाल है मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि हमारा देवस्थान विभाग इस बारे में गहरी निद्रा में सो रहा है। राजस्थान में ऐसे कौन कौन से मन्दिर हैं जिनको सरकारी सहायता मिली है और वहां हरिजनों को जाने की इजाजत है? मैं एक मन्दिर के लिये तो जानता हूँ श्री श्रीनाथजी का मन्दिर है जो सरकारी सहायता से चलता है लेकिन इस मन्दिर के द्वार

(श्री रामचन्द्र)

हरिजनों के लिये बिल्कुल बन्द हैं। या तो बन्द इसलिए है कि श्रीनाथजी हमें देखना नहीं चाहते या भगवान् के भक्तों की मनमानी है।

एक माननीय सदस्य : आप भी उनसे नाराज हैं।

श्री रामचन्द्र : हम लोगों को भगवान् देखना नहीं चाहते यह, कहना बिल्कुल असत्य है। मैं तो आपको विश्वास दिलाता हूं कि भगवान् गरीबों से कभी अप्रसन्न नहीं होते। उन्होंने हमेशा गरीबों को गले लगाया है। बड़े-बड़े वैष्णव एक तरफ और दूसरी तरफ गरीब हरिजनों को जाकर देखिये कि इन दोनों में ज्यादा प्रेम के साथ श्रीनाथजी के दर्शन कौन करता है ? मैं तो कहूँगा आज भी किसी देवता के प्रति, ठाकुरजी के प्रति और मन्दिरों के प्रति जितनी सद्भावना और श्रद्धा गरीबों में रह गई है, जितनी श्रद्धा हरिजन वर्ग में है उतनी और किसी वर्ग में दिखाई नहीं देती है। अगर गरीब हरिजनों को भगवान् के दर्शनों से वंचित रखा जाता है तो ऐसे लोग पाप के भागी हैं और उनको भगवान् के सामने इस पाप का फल भोगना पड़ेगा। मैं एक बात और इस सिलसिले में निवेदन कर देना चाहता हूं और वह यह है कि वे कुएं जो सरकार के धन से बने हों और जो सरकारी कुएं कहलाते हों उन पर पानी सभी लोगों को भरने की छूट है। परन्तु मैं अब भी देखता हूँ गांवों में ही नहीं, पर शहरों में भी बहुत से कुएं ऐसे हैं जो सरकार के पैसे से बने होते हुए भी हरिजनों के लिए बन्द हैं, लोग उन पर पानी नहीं भरने देते हैं। इस प्रकार की प्रत्यक्ष मिसालें गांवों में तो आपको बहुत मिलेंगी परन्तु शहरों में भी ऐसी मिसालें हैं। साथ साथ यह भी निवेदन कर दूं कि साल, दो साल पहले वाटर बोर्ड कौंसिल द्वारा सरकार के धन से हजारों कुएं खोदे गये थे पर उन पर भी हरिजनों को पानी नहीं भरने दिया जाता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे सब कुओं को अविलम्ब हरिजनों के लिये खोल देना चाहिये।

साथ ही यह भी निवेदन करूंगा कि अब एक ऐसी प्रवृत्ति चल पड़ी है कि अमुक कुंआ चमार की जाति का है, अमुक बलाइयों का है और अमुक मोचियों का है तो इस तरह से जातियों के नाम से कुइयां या कुएं न खोदे जावें। अगर इस तरह से कुएं खोदने के लिए सरकार से धन मांगा जावे तो किसी भी संस्था को या पंचायत को या पंचायत समिति को न दिया जावे। यह एक घातक प्रवृत्ति है।

एक बात और निवेदन कर दूं कि जब कोई हरिजन यात्री मुसाफिरी पर जाता है तो उसे सार्वजनिक स्थानों में ठहरने में अत्यन्त कष्ट भोगना पड़ता है। जब वह किसी धर्मशाला में जाता है तो प्रथम तो मैनेजर या चौकीदार उसका स्वागत करता है पर जब रजिस्टर लेकर मैनेजर नाम-पता लिखने बैठता है तो नाम, पिता का नाम आदि पूछने के बाद जाति पूछता है और जहां हरिजन जाति का नाम आ जाता है तो उसी में मैनेजर की वृत्ति उस मुसाफिर के प्रति बदल जाती है और वह कह देता है कि उसके ठहरने के लिए कोई कमरा यहां खाली नहीं है। तो इस वृत्ति को बदलने के लिये यह आवश्यक है कि इन धर्म-

(श्री रामचन्द्र)

शालाओं या पब्लिक स्थानों पर जो रजिस्टर रखे जावें उनमें जाति का खाना न रखा जावे। क्योंकि इससे हरिजनों को विदेशों में जाकर बहुत दिक्कत उठानी पड़ती है। इन सारी बातों को जो हमारे रास्ते में रोड़े के रूप में खड़ी हो जाती हैं उनको दूर करने के लिए राजस्थान सरकार को अविलम्ब प्रयत्न करना चाहिये।

अब, अध्यक्ष महोदय, मैं इस पिछड़े वर्ग की आर्थिक दशा का कुछ चित्रण आपके सामने रखना चाहता हूं। वास्तव में देखा जावे तो पूज्य बापूजी के आशीर्वाद से और अस्पृश्यता निवारण कानून के बन जाने के बाद और राज्य सरकारों ५वं भारत सरकार के प्रयत्नों से अस्पृश्यता नाम के कलंक को मिटाने के वास्ते एक आधारभूत परिवर्तन हो चुका है और यह परिवर्तन अब किसी प्रकार से रुकने वाला नहीं है। हमारे प्रयत्नों के फलस्वरूप इतना अवश्य होगा कि यह कलंक जल्दी से जल्दी मिट जावेगा। आज समाज इतना जरूर समझ चुका है कि अस्पृश्यता अब निरा ढकोसलापन है, यह कोई धर्म नहीं है। यह विचारधारा धीरे-धीरे समाज में जड़ पड़ंकती जा रही है। इसलिये यह कलंक समाज से धीरे-धीरे किन्तु अवश्य दूर हो जावेगा ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। किन्तु अब असल प्रश्न हमारा आर्थिक है। जब तक हमारी आर्थिक समस्या दूर नहीं होगी, हम अपने भाइयों के बराबर खड़े नहीं रह सकेंगे। यह समस्या आज भी प्राय: उतनी ही विकट है जितनी आज से दस वर्ष पहले थी। हां, कुछ इस ओर सरकार ने कदम अवश्य उठाया है। पर इन दस वर्षों में जितना सुधार होना चाहिये उतना सुधार नहीं हो पाया है। कारण यह है कि सरकार ने जो नियम बनाये हैं उनका पालन करने में राज्य कर्मचारी प्राय: ढिलाई करते हैं।

शिड्युल्ड कास्ट के लोगों के मुख्यतया तीन ही धन्धे हैं। एक है खेतीबाड़ी, दूसरा खादी बनाना, तीसरा चमड़ा रंगना और जूते बनाना। कुछ थोड़े लोग नोकरियों में भी लगे हुए हैं।

विशेष आबादी इन लोगों की काश्तकारों की है। पर इनको जब तक बैल, कुएं, हल आदि की पूरी सहायता सरकार से नहीं मिलेगी तब तक इनकी आर्थिक दशा ठीक नहीं हो सकेगी। हां, राजस्थान सरकार ने इनकी भूमि समस्या हल करने के लिये बड़ा प्रगतिशील कानून बनाया है जिसके द्वारा उन लोगों को भविष्य में जमीनें मिलने की आशा है। लेकिन भूमियों के मिलने में जो इस समय बड़ी रुकावट आ रही है वह सब पटवारियों की तरफ से आ रही है। यह रुकावट यदि नहीं आती तो इनकी दशा काफी सुधर सकती थी। भूमि अलॉटमेंट के सरकार ने जो नियम बनाये हैं कि प्रत्येक भूमिहीन को १५ बीघा जमीन दे दी जावे ; सरकार ने नियम तो बना दिये, रूल्स भी बना दिये, कलेक्टर को आदेश दे दिया कि वह विशेष ध्यान रखे और इन आदेशों का पालन करने के लिये कलेक्टर ने तहसीलदार को भी आदेश दे दिये। कमेटियां बन गई। किन्तु इतना होते हुए भी आज भूमिहीन हरिजन किसानों को जमीनें नहीं मिल रही हैं। इसका कारण यह है कि एक वर्ग विशेष रुकावट के रूप में ऐसा बैठा है जो बजाय सहायता देने के इस वर्ग को खत्म करने पर तुला हुआ है। वह है राज्य कर्मचा-

(श्री रामचन्द्र)

रियों का पटवारी वर्ग। पटवारियों की ओर से उनके प्रति जिस प्रकार का अन्याय हो रहा है उसका मुझे खुद का तजुर्बा है। यदि कोई हरिजन जमीन लेना चाहता है तो पटवारी दसों तरह की रुकावटें इनके रास्ते में खड़ी कर देता है। अगर कोई भूमिहीन पटवारी से जाकर कहती है कि हमें कोई खाली जमीन का नम्बर बतावो तो नम्बर बताने में हिचकिचाहट करेगा और यदि कुछ उसकी स्वार्थ सिद्धि करने पर नम्बर भी बता देता है परन्तु उसके बाद प्रायः ऐसा देखा गया है कि वह उसको गलत नम्बर देता है जिससे अलॉटमेन्ट के समय उसको जमीन नहीं मिल पाती है। इस प्रकार से राज्यकर्मचारियों की ओर से रुकावटें पैदा हो रही हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह से रोड़े अटकानेवालों के प्रति सरकार कठोर कार्यवाही करे।

दूसरा उनका धन्धा चमड़े और खादी का है। पर राजस्थान सरकार ने इनको प्रोत्साहन देने के लिये इस सम्बन्ध में भी अभी तक कोई विशेष कदम नहीं उठाये हैं। काम करने के ढंग जो इनके दस वर्ष पहले थे वही ढंग वास्तव में आज भी बने हुए हैं। यही प्रमुख कारण है कि उनको इस क्षेत्र में पूरी राहत नहीं मिल पाई। हम राजस्थान सरकार से अधिक धन नहीं मांगते, हम तो यह चाहते हैं कि सरकारी कर्मचारियों और सरकारी मशीनरी के काम करने का ढंग थोड़ा बदल जावे। उसमें थोड़ा सुधार लाया जावे। उनमें आज एक तरह की हीनता अथवा इन्फीरियोरिटी की भावना विद्यमान है वह दूर की जावे, इसके काम करने के ढंग उन्नत किए जावें। इन धन्धों के मार्केट खोलने के लिये भी सरकार को प्रयत्नशील होना चाहिये।

अभी अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया था कि तीसरा काम इस समाज का सर्विस का है। लेकिन सर्विस प्राप्त करने के लिये राजस्थान सरकार ने और भारत सरकार ने उदारता बरतने में कोई कसर नहीं रखी है, किन्तु मुझे यह कहना पड़ेगा कि कोटा के अनुसार इनके लिये जो नोकरियां रिज़र्व हैं उनको उतनी नोकरियां नहीं मिल रही हैं। कारण इसका यह नहीं कि इस वर्ग के लोगों का अभाव है, नौकरियों के लिए लोग बहुत हैं; परन्तु खास कारण यह है कि जब कभी ये लोग नोकरियों के लिये प्रयत्न करते हैं तो उनका इन्टरव्यू वही लोग लेते हैं जिनके मस्तिष्क में अस्पृश्यता का भूत बैठा हुआ है। इसलिये जब वे उनका सिलेक्शन करते हैं तो उनका यह प्रयत्न होता है कि अमुक के लेने से उनके घरों का काम करने में बुरा प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। जब उन्हें यह मालूम हो जाता है कि उम्मेदवार एक हरिजन है और वह उनके घर का काम नहीं कर सकेगा तो वह कोई न कोई बहाना बना कर नोकरी देने से उसे इन्कार कर देते हैं। यदि किसी प्रकार से ऊपर के प्रेशर से रख भी लिया तो वह जल्दी से जल्दी उसे नोकरी से निकालने की कोशिश में लगे रहते हैं। कोई न कोई ऐब लगा कर उसे नोकरी से हटा देते हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि इन लोगों का जब कभी इन्टरव्यू हो तो शिड्यूल्ड कास्ट के एम० एल० ए० या उस गांव का प्रधान हो उसको इन्टरव्यू की कमेटी में बैठाया जाये ताकि फैसला न्यायसंगत उनके सामने किया जा सके। यदि

(श्री रामचन्द्र)

किसी हरिजन को नोकरी से हटाया जाये तो उसकी जांच करने के लिए राजस्थान में एक कमेटी ऐसी बना दी जाये कि वह जांच करके इस बात को देखे कि वास्तव में यह कसूर की वजह से हाटाया गया है या केवल इसलिए कि वह हरिजन है और उससे पीछा छुड़वाने के लिए नोकरी से हटाया गया है। मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान सरकार यदि इन दो बातों की तरफ ध्यान रखे तो हरिजनों को नौकरियां मिलने में बहुत सहायता मिलेगी।

इसके साथ ही यह भी निवेदन कर देना आवश्यकता समझता हूँ कि अभी तक जो नौकरियां मिली हैं वे ज्यादातर चतुर्थ श्रेणी की और क्लर्कशिप की मिली हैं। हमारे यहां ग्रेजुएट होते हुए भी उनको हायर पोस्ट पर रखने में हमारे कर्मचारीगण हिचकिचाते हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन से वह अयोग्य होकर आते हैं, इन्टरव्यू में आते हैं वह अयोग्य ठहराये जाते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि ऊंची पोस्टों के लिए जहां कहीं सिलेक्शन हो और पब्लिक सर्विस कमीशन में जब कभी हरिजनों के केन्डीडेट्स का भी सिलेक्शन हो तो पब्लिक सर्विस कमीशन में एक हरिजन मेम्बर का भी होना अनिवार्य है ताकि वह देखे कि उनके साथ न्याय किया जा रहा है और केवल इसलिए कि वह शिड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं उनको नहीं लिया जा रहा है तो उसको वह देख सकें। अगर उनका कोई सिलेक्शन कमेटी में मेम्बर होगा तो उनको विश्वास हो जायेगा कि उनके साथ न्याय किया गया है। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि पब्लिक सर्विस कमीशन में एक मेम्बर अन्य मेम्बरों के समान हरिजन मेम्बर भी होना जरूरी है और ऊंची ऊंची पोस्टों के लिये भी जब कभी कोई सिलेक्शन हो तो इन्टरव्यू कमेटी में एक मेम्बर हरिजन रखा जाये ताकि वह देख ले कि जो सिलेक्शन हो रहा है वह वाजिब हो रहा है या नहीं।

अध्यक्ष महोदय, अब तक मैंने हरिजनों की सामाजिक और आर्थिक दशा का चित्रण सदन के सामने रखा। अब मैं इस सदन का ध्यान आपकी मारफत उस ओर ले जाना चाहता हूं कि जो राजस्थान सरकार भारत सरकार कल्याण विभाग द्वारा प्रति वर्ष हरिजनों के हित के लिये खर्च करती है। हम यह देखते हैं कि राजस्थान सरकार तथा भारत सरकार करोड़ों रुपयों का बजट प्रति वर्ष हमारे कल्याण के लिए मंजूर करती और है जो मंजूर शुदा धन पिछले १० वर्षों से खर्च किया जाता रहा है उससे कि जितना फायदा इस कदर पैसा खर्च करने पर होना चाहिए वह नहीं हो रहा है। वास्तव में इस बात का पता लगाने के लिए मैं निवेदन करूंगा कि इस बात की जांच करने के लिए यानि वेल्युएशन करने के लिए एक कमेटी मुकर्रर होनी चाहिए कि पिछले १० वर्षों में सरकार के इतना प्रयत्न करने पर भी हरिजनों का कल्याण कितना हो सका है और अब निश्चित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किस तरीके से, किस गति से काम होना चाहिए ? इसलिए मेरा यही निवेदन है कि राजस्थान सरकार ने अब तक जो काम किया है उसका वेल्युएशन करने के लिए एक इवेल्युएशन कमेटी बननी चाहिए जिसमें कि २।३ मेम्बर्स हरिजनों में से हों और १।३ राज्य कर्मचारी हों।

मैं एक बात और सदन से निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रतिवर्ष हमारे सामने बजट रखा जाता है और उसे हम पास कर देते

(श्री रामचन्द्र)

हैं ; आप अपने पिछले १० वर्षों के बजट उठा कर देखेंगे तो आपको यह मालूम होगा कि प्रति वर्ष बजट में जितनी भिन्न भिन्न मदें कायम की जाती हैं और किस किस मद में कितना कितना रुपया खर्च किया जाना चाहिये वही प्रणाली आज तक कायम है उसमें कोई तब्दीली नहीं की गई। राजस्थान सरकार के वित्त विभाग ने १० वर्ष पहले किसी विचार के आधार पर धन खर्च करने का एक तरीका अपनाया था वही तरीका हरिजनों के कल्याण के लिए आज भी बराबर बरता जा रहा है; चाहे वह सही है या नहीं, खर्च करने का वह ढंग लाभकारी सिद्ध हुआ है या नहीं इससे तो इस सदन के सम्माननीय सदस्यों की जानकारी है और इसके अलावा जो रिपोर्ट सामने आई है उससे मालूम हो जायगा कि वास्तव में इस विभाग के द्वारा हमारा कितना कल्याण हुआ है। यही नहीं, इस विभाग के द्वारा प्रयत्न करने पर हमारा जो फायदा हुआ है उसके बाबत जो रिपोर्ट कमीशन से ड्राफ्ट हुई है इसके पेज १७४ पर मुलाहिजा कर लीजिए। १२ सुझाव दिये गये हैं उनमें से ८ पर असंतोष प्रकट किया गया है; केवल ४ सुझाव ऐसे हैं कि जिनको राजस्थान सरकार ने मान लिया है। इसके अलावा इस साल; १६६०-६१ का जो बजट राजस्थान सरकार ने बनाया है उसको यदि विस्तार में देखें तो आपको मालूम होगा कि हरिजन कल्याण हेतु जो धन खर्च किया जाने वाला है उसके ५ हिस्से किये गये हैं। पहला हिस्सा विभागीय ऑर्गेनाइजेशन का है जिस के लिये ५ लाख ७५ हजार रुपये का खर्चा रखा गया है। दूसरा हिस्सा शिड्यूल्ड ट्राइब्स के खर्चे का है जो ६१ लाख और कुछ हजार है। तीसरा हिस्सा शिड्यूल्ड कास्ट्स के खर्चे का है वह १८ लाख और कुछ हजार रुपया है और चौथा जो है अदर बैकवर्ड क्लासेज़ का हिस्सा उसमें ७८ हजार के करीब रखे हैं और पांचवें अदर वैलफेयर स्कीम्स के खर्चे करने के लिये जिसमें रेस्क्यू होम्स वगैरह आते हैं उसमें ६ लाख रुपये के करीब खर्चा किया जावेगा। इस प्रकार से इस रकम को विभाजित किया गया है। अब इन खर्चे की मदों को देखा जाये तो जैसा मालूम होगा कि मैंने पहले कहा था कि हमारे विभाग का बजट ऐसा स्टीरियोटाइप बजट बनना है कि जो मदें १० वर्ष पहले कायम की गई थीं आज वही मदें वैसी की वैसी चली आरही हैं। इसमें भी किस किस मद में कितना २ खर्च किया जाता है उसको देखने से आपको पता लग जायेगा। मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं....

श्री रिखबचन्द धारीवाल (समाज कल्याण मन्त्री): अध्यक्ष महोदय, यह बजट पर स्पीच हो रही है या कमीशन की रिपोर्ट पर ?

श्री रामचन्द्र : कमीशन की रिपोर्ट पर।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : तो यह तो आप ६०-६१ के बजट के बारे में कह रहे हैं।

श्री रामचन्द्र : १६५८-५६ की रिपोर्ट के बारे में। बजट पर कहने का तो हमेशा अधिकार है। मैं तो प्रसंग के रूप में कह रहा हूं। आप अप्रसन्न न हों। धन खर्च करने की ३ मदें रखी गई हैं; एक प्लान, दूसरी

(श्री रामचन्द्र)

नॉन प्लान और तीसरी सेन्टर स्पोन्सर्ड स्कीम कायम की गई है। अब इन मदों के तहत जो एस्टीमेट्स रखे गये हैं, उनमें प्रत्येक में आप अलाउन्स एन्ड ओनरेरिया, अदर चार्जेज एन्ड अदर एक्सपेंसेज़। ये चार हैड आप सब में देखेंगे। अब इसके बाद अर्थात् कॉटेज इंडस्ट्रीज़ की मद में है और इसमें भी वही बात है। हरिज़न समाज को आगे बढ़ाना है, इसके तीन ढंग अपनाये गये हैं। प्लान की मद अलग रखी गई है और नॉन प्लान में अलग है और सेन्टर-स्पोन्सर्ड मद अलग है। इन मदों में एस्टीमेट्स दिये गये हैं कि प्लान में इतना खर्चा किया जावेगा, नॉन प्लान में इतना होगा और सेन्टर स्पोन्सर्ड स्कीम में इतना होगा। विषय तो एक ही है कि हरिजन कल्याण होगा। फिर तीनों में धन का अलग अलग क्यों प्रोविज़न किया जाता है? क्या प्लान मद में अलग और नॉन प्लान मद में अलग और सेन्टर स्पोन्सर्ड से अलग फायदा होगा? यही नहीं; बल्कि प्लान की मद में लाइट चार्जेज़, हॉट कोल्ड वेदर चार्जेज़ और फर्नीचर चार्जेज़ अलग २ हैं। प्लान मद में इतना फर्नीचर खरीदा जायेगा और नॉन प्लान में इतना फर्नीचर खरीदा जायेगा। आखिर आप हर साल फर्नीचर खरीदते हों। पिछले दस साल के बजटों में आप बराबर देख लीजिए कोई भी हैड ऐसा नहीं है जिसमें फर्नीचर खरीदने का कोई आइटम न रखा गया हो। आज जो दस वर्षों से फर्नीचर खरीदा जा रहा है वह कहां गया? क्या वह हर साल टूट जाता है और हर साल नया खरीदा जाता है। मैं निवेदन करूंगा हमारे पैसे का, हमारे कल्याण के हेतु सरकार जो पैसा देती है उसका उचित उपयोग नहीं होता है। यह धन इस प्रकार खर्च किया जाना चाहिये कि कम से कम खर्च में हमारा उत्थान हो। हमारी आर्थिक उन्नति करने के लिए, हमारे लिए मकान बनाने के लिए, हमको रोशनी और पानी की सुविधा देने के वास्ते यदि अधिक से अधिक खर्च किया जाय तो ठीक होगा। इस प्रकार का जो बजट बने वह हमारे वास्ते होना चाहिए लेकिन हम इसके विपरीत ही देखते हैं।

अब हमारी कुछ समस्यायें हैं एजुकेशन सम्बन्धी। मैं एजुकेशन के लिए राजस्थान सरकार को धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप कृपया संक्षिप्त में जल्दी ही समाप्त कर दें तो दूसरे सदस्य भी हिस्सा ले सकेंगे।

श्री रामचन्द्र : मैं जल्दी ही समाप्त कर दूंगा, आप मुझे दस मिनट दे सकेंगे।

श्री अध्यक्ष : आप जितना भी जल्दी समाप्त कर सकें ठीक है। आप जल्दी समाप्त कर दें तो और भी सदस्य बोल सकें।

श्री रामचन्द्र : पांच मिनट में अपनी बात कह दूंगा।

एजुकेशन के बारे में तो यही कहूंगा कि आज जो एजुकेशन की हालत है वह कुल मिला कर संतोषप्रद ही है। एजुकेशन के लिए सरकार ने काफी अच्छा किया है और इसी तरह से सरकार काम करती रहेगी कि हम हरिज़नों की एजुकेशन की काफी प्रगति होगी। अलबत्ता एक निवेदन मैं और करना चाहता हूं वह है हायर एजुकेशन के विषय

(श्री रामचन्द्र)

में। अभी इस विषय में सरकार ने हमारे लिए कोई प्रावधान नहीं किया है जो कि होना ही चाहिए। हरिजन केन्डिडेट्स के हायर पोस्ट्स के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन के पास या सेक्रेटेरियेट सर्विस के लिए या कलेक्टर्स सर्विस के लिए जाते हैं तो उनको यह कह दिया जाता है कि इनका स्टैंडर्ड इतना ऊंचा नहीं है जितना होना चाहिए। मेरी समझ में नहीं आता कि दो विद्यार्थी राजस्थान युनिवर्सिटी में साथ साथ परीक्षा में बैठते हैं, दोनों ही थर्ड डिविज़न हैं, दोनों ही एक विद्यालय में पढ़े हैं, दोनों को ही एक लेक्चरार ने पढ़ाया है, दोनों ने ही एक ही पुस्तकें पढ़ी हैं फिर एक थर्ड डिविज़नर कमजोर है और दूसरा ठीक है। तो यह तो हमारे भाग्य की बात है। इसलिए यही निवेदन करूंगा कि यह यद्यपि कहीं वास्तव में हमारी कमजोरी है तो सरकार को ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि नोकरी में लिये जाने के बाद कुछ महिनों के लिए हमको ट्रेनिंग दी जानी चाहिये जैसा कि और २ राज्यों में हो रहा है, जैसा कि आर. ए. एस. में सलेक्शन किया जाता है कि पास करने के बाद फिर उनको एक साल के लिए अथवा छः महीने के लिए राजस्थान सरकार के भिन्न २ डिपार्टमेंट्स में ट्रेनिंग के लिए भेजे जाते हैं। इसी तरह से हरिजनों को नौकरी में रख लिया जाना चाहिये और उसके बाद तीन महीने या चार महीने की डिपार्टमेंट्स ट्रेनिंग देकर उनको उस स्तर पर लाने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि शुरू में हमारी अंगुली पकड़ कर हमको चलाने की कोशिश करेंगे तो आप विश्वास रखिए हमारे लूले-लंगड़े कमजोर भी पैर चलना सीख जायेंगे। इसलिए राजस्थान सरकार से मेरा यह निवेदन है कि हमारी एजुकेशन के लिए हमारी हायर टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, उसको सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार को ऐसी ही ट्रेनिंग देकर सहायता करनी चाहिये।

अब मैं आपका ध्यान हाउसिंग की तरफ ले जाना चाहता हूं। मनुष्य के लिए तीन चीजें आवश्यक हैं। खाने के लिए अन्न, पहनने को कपड़ा और रहने को घर। आज हरिज़नों के घर जानवरों से भी बदतर हैं। आज वे स्लम्स में पड़े हुए हैं लेकिन कोई भी सिवाय भगवान् के उनकी ओर देखने-वाला नहीं है। तो मैं यही कहूंगा कि हरिज़नों की जो हाउसिंग समस्या है उसको राजस्थान सरकार को जल्दी से,जल्दी ठीक करना चाहिये। हम यह जानते हैं कि राजस्थान सरकार ने फी मकान साढ़े सात सौ रुपये देने का आदेश दिया है। लेकिन सरकार आदेश तो देती है परन्तु उससे रुकावट भी पैदा कर देती है; वह रुकावट इस प्रकार की है कि सरकार का आदेश है कि रूरल एरिया में मकान बनाने के लिए कोलोनीज़ कायम की जायं। अर्बन एरियाज़ में यदि कोई मकान बनाता है तो वह साढ़े सात सौ की जो सहायता प्राप्त करने में अपने को असमर्थ पाता है। क्योंकि अगर कोई अरबन एरिया में मकान बनाना चाहे तो उसके लिए आधी सहायता म्युनिसिपैलिटी से प्राप्त करनी पड़ती है अर्थात् अरबन एरिया में मकान बनाने के लिए म्युनिसि-पैलिटी से लोन लेना पड़ता है। म्युनिसि-पैलिटी के पास पैसा नहीं होता है। जब म्युनिसिपैलिटी के पास पैसा नहीं है तो वह सहायता कैसे प्राप्त कर सकता है ? इसलिए अरबन एरिया में जो हरिजन रहते हैं उनको मकान के नाम कोई सहायता नहीं मिलती है।

(श्री रामचन्द्र)

यद्यपि सरकार ने Low-income Housiug Scheme में मकानों के लिए कर्ज देने की सुविधा दे दी है लेकिन वह भी नहीं मिलती है। इसी प्रकार गांवों में भी सहायता नहीं मिल पाती है। गांवों में वैसे ही आबादी कम होती है। मेरी तरफ के एरिया के गांवों में तो चालीस–पचास या सत्तर–अस्सी तक घरों की आबादी होती है। इन सौ या पचास घरों की आबादी के गांवों में कॉलोनी बसाने के लिये पच्चीस घर हरिजनों के मिलने असम्भव हैं। इसीलिये गांव वाले सहायता प्राप्त नहीं कर सकते हैं और शहरों में म्युनिसिपैलिटी से सहायता नहीं मिल पाती है। इस तरह इन रुकावटों के कारण हाउसिंग का प्रश्न इसी तरह बना हुआ है जैसा पहले था। इसलिए सरकार के उदार आदेश होते हुए भी बीच में जो रुकावटें बनी हुई हैं उनको दूर करने के लिये सरकार से निवेदन करता हूं।

अन्त में, मैंने हरिजनों की जो वास्तविक समस्यायें इस सदन के माननीय सदस्यों के सम्मुख अध्यक्ष महोदय के द्वारा रखी हैं; मुझे आशा है कि इस सदन के अन्य माननीय सदस्य जो कि हरिजनों की समस्या के बारे में मुझसे ज्यादा जानते हैं क्योंकि मैं तो स्वयं हरिजन हूं और मैं एक बदनाम हरिजन हूँ। मुझे लोग हरिजनों का रोग कहते हैं। लोग कहते हैं कि मुझे हरिजन फोबिया हो गया है। वाकई में हरिजन फोबिया से बीमार हूँ, मुझे हरिजन फोबिया की बीमारी हो गई है। जिस आदमी ने सन् १६०० से अब तक ठोकरें खाई हों वह फोबिया का मरीज हुए बिना नहीं रह सकता। आप लोग तो इस सुनहरे जमाने में पैदा हुए हैं। सन् १६३२ के पहले हरिजनों की इस भारत में क्या दशा थी, यह मैंने देखा है। इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ और सदन के माननीय महानुभावों से निवेदन करना चाहता हूँ कि वह हरिजन समस्या के ऊपर अपने विचार प्रकट करने की अवश्य कृपा करें। अभी चार साल पहले आपने उनसे वादा किया था कि संकट आने पर हम तुम्हारी तरफदारी करेंगे, हम तुम्हारे हितों की रक्षा करेंगे। अभी कोई संकट तो नहीं है। मैं यही निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य कृपा करें और इस हरिजन समस्या पर अपनी सरकार का ध्यान आकर्षित करें।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे माननीय सदस्य जो झालावाड़ से आए हैं, मास्टर रामचन्द्रजी, उन्होंने हरिजनों को और जो दूसरी अनुसूचित जातियों के बारे में अभी कहा और इसके अतिरिक्त दूसरे सदस्यों को भी विचार व्यक्त करने के वास्ते जो सम्बोधन किया, इसके विषय में मैं भी अपनी तरफ से विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। मेरा निवेदन यह है कि यह मानना पड़ता है कि भारत के अन्दर चारों वर्णों के वास्ते वही स्थान निर्धारित किया गया है कि जिसमें किसी भी प्रकार बड़े २ जो यहां के कार्यकर्ता और भगवान् के समान पूजे जाने वाले और भगवान् स्वरूप हैं उन्होंने कभी भी उनके अन्दर कोई भेद-भाव आज तक नहीं रखा है। अगर हम इस बारे में भगवान् रामचन्द्र के ऊपर विचार करते हैं तो यही ख्याल होता है कि

१.१० म. प.

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

वहां पर भी वह समय आ गया था जब

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

उन्होंने वानर सेना से, रीछों की सेना से तथा इसके अतिरिक्त वहां जो भीलणी के साथ भी वही बर्ताव किया था जो किसी ब्राह्मण या क्षत्रिय समाज के साथ किया जा सकता था। महाराज श्री कृष्ण के जितने भी चरित हैं उनको देखा जाय तो उन्होंने इस विषय के अन्दर कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। एक नजीर क्या पचासों नजीरें आपको मिलेंगी; भगवान् बुद्ध, भगवान् महावीर और इनके बाद के जितने भी रिफॉर्मर्स हुए हैं,शंकराचार्य से लेकर, स्वामी दयानन्द से लेकर और गांधी-जी महाराज से लेकर उन्होंने इनके वास्ते कोई फर्क नहीं रखा है।

अब इसके अन्दर सवाल यह पैदा होता है कि ३-४ प्रकार की ये बातें हैं कि जिनके वास्ते विचार करने की अत्यन्त ज़रूरत होती है: (१) धार्मिक (२) सामाजिक (३) आर्थिक और (४) व्यक्तिगत। इन सब के ऊपर ही विचार करने की आवश्यकता होती है। यह नहीं है कि कांग्रेस गवर्नमेंट के तत्वावधान में ही इनके साथ समता का विचार किया गया है; उत्तरापथ और दक्षिणापथ दोनों ही इस समय क्षुब्ध हो रहे हैं व अशान्त। तो ऐसी स्थिति के अन्दर एक भी अंग दूर न रहे। इसमें ही भारत का हित है और उसको उठाने के वास्ते बराबर चेष्टा की जाय उस माली के समान जो कि गिरी हुई डाली को ऊंचा उठा कर उसको बढ़ाने की कोशिश करता है।

हमें उनकी आर्थिक दशा के ऊपर भी विचार करना चाहिये। लोग यह कहते हैं और यह सोचते हैं कि १२-१३ वर्षों के काल में हरिजन समाज के उद्धार के वास्ते गवर्नमेंट की ओर से और जनता जनार्दनी की ओर से काफी ऊंचा प्रयास हुआ है, लेकिन मैं इसको मानने के लिए तैयार नहीं हूं। यह है कि आर्थिक चीजों में जो आगे बढ़ाने के वास्ते कोशिश की जा रही है यह थोड़ा सा दिखावा मात्र ही रह जाता है। उसके पहले मेरा ६० वर्षों का यह तजुर्बा है और मैं यह कह सकता हूं कि जहां जहां जितने काश्तकार थे उनमें से मेरे अन्दाजे० के अन्दर दो-तिहाई दूसरे काश्तकार थे और एक-तिहाई हरिजन, बलाई, चर्मकार और दूसरी अनु-सूचित जातियां थीं उनके थे। वे बराबर कन्धे से कन्धा मिला कर और दूसरे जो सवर्ण काश्तकार थे उनके साथ में वह कार्य बराबर खेती का करते रहते थे और उनके साथ में कोई भी दुर्व्यवहार और फर्क नहीं रहता था। आज आप देखेंगे आंख उठाकर और इस बात पर गौर करेंगे तो मेरे खयाल में नहीं के बराबर हरिजन आज खेती सीर में करते हैं। आज जाटों के साथ, राजपूतों के साथ और दूसरे गुजर, अहीर और कुम्हार वगैरह हैं जो यह कार्य करते थे उनके साथ में बहुत कम खेती का सवाल हो रहा है। इसके ऊपर अगर गौर किया जाय तो यह फर्क पड़ेगा। यह सबसे बड़ी दिक्कत है जिसके वास्ते,इनकी आर्थिक समस्याओं के वास्ते इसमें दिक्कतें पैदा हो रही हैं। तो इसके वास्ते यह सवाल क्यों उठता है ? मैं आपको निवेदन करूंगा कि हरिजन समाज अपने समय में अनावश्यक कार्य किया करते थे जैसा कि खाल निकालना, मरे हुए जानवरों को बाहर उठा कर पटकना और दूसरी ऐसी चीजें थीं; जैसे चड़स-जूतियें वगैरह बनाना और दूसरी खेती की चीजें बनाना। अगर इनमें तरक्की की जाय तो यह तो ऐसी चीजें हैं कि भारत

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

का बहुत बड़ा भाग और इसके अतिरिक्त पैदा का बहुत सा भाग इसके अन्दर आवर्तित होता है और यह नीचा कार्य नहीं है। उन्होंने इस बात को थोड़ी सी गिरावट की चीज मानकर छोड़ दिया है। बाज वक्त में यहां के चर्मकारों की ओर से जैसे भंगी या और दूसरी बहुत सी छोटी छोटी भील बावरी आदि कामों से उनका चर्म निकलवा कर अपने पास लेकर रखते हैं पैदा करने को तो यह सवाल उठा। बहुत से जानवर मरे हुए घरों में रहने की जो दिक्कत पैदा हुई। अर्से से न्यारे २ कामों का बंटवारा होता था इस पर उस तरफ से बहिष्कार हुआ और इस तरफ से भी। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि यह कह देना कतिपय काफी नहीं होता है कि किसी चीज़ के वास्ते एक तरफा आलोचना की जाय और विचार धारा बनाई जाय और अगर इस बारे में विचार किया जाय तो इसके साथ में यह कहते हुए कि उनके साथ बराबरी का व्यवहार किया जाय और कोई फर्क नहीं रखा जाय तो जैसी कि १५ वर्ष पहले की भावना थी और जिस प्रकार से कार्य होता था उसी तरह से होकर उसी हालत के अन्दर कृषक समुदाय अगर फर्क रखे तो उपालम्भ के योग्य चीज़ है, और उनको इस बात के वास्ते कहा जाय और दबाना उचित है कि सब कार्य चर्मकार्य और खेती को मिल जुल कर करें।

इसके अतिरिक्त दूसरा प्रश्न यह आता है और यह देखना पड़ता है कि बीच के समय के अन्दर में मानूंगा कि हरिजन समाज के वास्ते और नीचे की जातियों के वास्ते बहुत ही ठीक व्यवहार नहीं किया गया। आज हम देखते हैं कि करोड़ों की तादाद में मुसलमान और ईसाई हैं वे सब इसी नीति, इसी गलती और इसी कोढ़ के सबब से पैदा हुए हैं और इसी के लिए यह प्रश्न आया है। ऐसे दुनियां जानते है कि हजारों की तादाद में मुसलमान अरब और काबुल से आये थे और इस वक्त करोड़ों की तादाद के अन्दर आज यहां मौजूद हैं और इसके अतिक्ति सैंकड़ों की तादाद के अन्दर ईसाई आये थे और आज लाखों की तादाद के अन्दर यहां हैं। यह सब इसी कोढ़ का फल है जिसके सबब से आज इतने बढ़ गये हैं। तो इसके वास्ते, जल्दी से जल्दी, इस चीज़ के वास्ते अगर कोई उपाय नहीं किया गया तो यह जो बीमारी है वह ज्यादा फैलने की सूरत पैदा करेगी।

मैं तो इसके अतिरिक्त धर्म के मामलों के वास्ते निवेदन करता हूं कि धर्म के वास्ते यह सवाल नहीं है कि इस में भेद भाव क्यों हों आज जैसा कि यहां पर देखा गया कि एक माननीय सदस्य ने उपमा दी नाथ द्वारेकी कि वही भगवान् श्रीकृष्ण मन्दिरों में हैं जिनको वे मानते हैं, वहां भी इस बात का कोई फर्क नहीं रहा। आज भी अगर देखा जाय तो 'यतो धर्मःस्ततो जयः' के नारे वाले जयपुर के राजा गणों की जो राज्यसत्ता थी तब भी उन्होंने सबसे ज्यादा विश्वास किया किसी जाति के ऊपर तो मीणों के ऊपर किया। उनके वास्ते वैसा ही प्रबन्ध किया, और वही विश्वास उनके साथ में बरता जो शायद दूसरे किसी समाज के वास्ते उन्होंने नहीं किया। उनकी छोटी २ भूमि के टुकड़ों को आज की गवर्नमेंट ने छीन लिया। इसके अतिरिक्त "जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार" इस बात को मानने वाले उदयपुर के राजवंश ने अपने झण्डे में, अपने एन्साइनमेंट में, अपने मोटो

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

में एक तरफ राजपूत का चित्र रखा और दूसरी तरफ भील को भी वही स्थान दिया। इसी प्रकार किसी राज्यसत्ता ने, किसी दूसरी सत्ता ने इनके वास्ते कोई फर्क नहीं रखा है। यह मानना पड़ेगा और बहस करके कहा जा सकता है। थोड़ी सी, मैं एक बात निवेदन करूंगा कि जैसा कि अभी एक प्रश्न आया तो मैं अगर यह कहूं कि इस विचार–धारा को रखने वाली जो हरिजन पार्टी है

१.२० म. प.

उसके नुमायन्दे हैं वे भी थोड़ा सा इस पर विचार करें। मैंने कहा, आप इस प्रश्न को उठाते हैं इस वास्ते दूसरों से बात करके इस सवाल का निर्णय करें। लेकिन वे रुख देख कर छोड़ देते। यदि वे हैं इस बात के लिये आज तैयार हो जावें तो सवाल हल हो सकता है। वैसे देखा जाय तो आज भी सवाल है शैव, शाक्त, कापालिक आदि दूसरे जितने अन्य मान्यतावाले हैं। वे शिलादेवीजी का जो मठ है वहां सबके साथ साथ जाते हैं और सबके साथ एकसा बरताव किया जाता है, किसी के साथ भेद–भाव नहीं है। मैं एक बात कहूंगा, एक समस्या आई थी और यह हुआ था कि जिस समय अमृतलालजी यादव जोबनेर पधारे थे तब यह सवाल आया था कि वहां के हरिजन और दूसरे सवर्ण समाज में थोड़ा विक्षेप हो रहा था। उस समय मैंने कहा कि मैं इस बात के लिये खास करके जोबनेर में बीड़ा उठाता हूँ कि जितने वहां पर मन्दिर हैं उन सब में हरिजनों का प्रवेश अविच्छिन्न रूप से कर दिया जाय, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने उनका हाथ पकड़ कर कहा था। मेहतरों, बलाइयों आदि सब को लेकर चलें। इसके अतिरिक्त जो झगड़ा चल रहा था रेगरों के गंगाजी के मन्दिर का, मैं खुद सारे हरिजनों को लेकर ज्वालामुखी माताजी के मन्दिर में कमलेश्वर के वहां जाकर और एक जगह का प्रसाद लेकर पूरा चक्कर लगाते हुए हम लोग ठिकाने के केशवराजजी के मंदिर में गये........

श्री उपाध्यक्ष : यह तो पर्सनल कॉन्ट्रि–ब्युशन है।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : सामाजिक भी है। उस समय क्या हुआ कि अमृतलालजी यादव द्वारा रेगरों से कहा गया जिनके लिये झगड़ा था, लेकिन उन्होंने कहा कि यदि मेहतर या दूसरी जाति के लोग हमारे गंगा माता के मंदिर में आवेंगे तो हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे........

श्री उपाध्यक्ष : Mr. Yadav is not here to controvert it or to accept it.

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : Charity begins at home.

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): But another 'Yadav' is there, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : But he is not able to accept or refuse it.

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : पहले वे अपने घर को तो शुद्ध कर लें, फिर सारे समाज को करें। नीचे से ऊपर आवें तो कोई सवाल नहीं पैदा होगा। नहीं तो बड़ी दिक्कत पैदा होगी। इसके लिये हमारे हिन्दू समाज, आर्य समाज और उसके नियम और पुराने जमाने की जितनी चीजें हैं वे इतनी इलास्टिक हैं कि

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

जिस समय सवाल पैदा हो जाता है वैसी ही चीज उस समय उपस्थित हो जाती है। हम हमारे वेदों में और दूसरे शास्त्रों में विचार करके कोई न कोई गली निकालेंगे। लेकिन पहले यह सवाल हल हो जाय। एक सांसी या मेहतर किसी चीज को छू लेता है तो मेरे ख्याल से ब्राह्मण या क्षत्रिय उसकी परवाह नहीं करते लेकिन वह समाज जो दलित वर्ग के हैं वे ही इस पर आपत्ति करेंगे। इसलिये मैं तो यह निवेदन करूंगा कि नीचे से ऊपर तक इस कोढ़ को खत्म करने की आवश्यकता है। भारत में १००० वर्ष तक विदेशियों के आने का कारण यही रहा है और आइन्दा भी इसके लिये कोई प्रबन्ध नहीं किया तो वे ही दिक्कतें पैदा होने का डर है।

मैं गवर्नमेंट की सराहना करता हूँ कि वह दलित जाति के लोगों के लड़कों को स्कॉलरशिप देने में और उनको दूसरी सहूलियतें देने का बड़ा ध्यान रखती है। आप लोगों को भी चाहिये कि अपने बच्चों को पढ़ा कर आगे बढ़ने की चेष्टा करें। समय की बहुत कमी है जैसा कि उपाध्यक्ष महोदय ने फरमाया और दूसरे भी बहुत से महानुभाव बोलने वाले हैं इसलिये मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री हरिप्रसाद यादव (बल्लभनगर-सु०) : माननीय उपाध्यक्ष.......

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलेंगे किस विषय पर ?

श्री हरिप्रसाद यादव : माननीय उपाध्यक्ष, आज बड़े हर्ष का विषय है कि इस सदन........

श्री उपाध्यक्ष : हर्ष का विषय नहीं है, दूसरा विषय है।

श्री हरिप्रसाद यादव : समिति की रिपोर्ट पर विचार विमर्श हो रहा है। इससे पहले तो मैं आपके द्वारा इस सदन के माननीय सदस्यों का और मंत्रियों का ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूं कि कमिश्नर ने जो इस प्रकार की तीन-चार किताबें लिखीं और जो साहित्य हमें कल मिला था उसे, यदि आप जैसा अंग्रेजी का विद्वान् भी पढ़े तो शायद १० दिन लगें। यह रिपोर्ट हिन्दी में मिलती तो ......

श्री उपाध्यक्ष : इस प्रश्न पर मत जाइये। विषय पर आ जाइये, अंग्रेजी में हो या हिन्दी में हो........

एक माननीय सदस्य : अंग्रेजी में पढ़ नहीं सकते।

श्री हरिप्रसाद यादव : हमारे कई माननीय सदस्य हिन्दी नहीं जानते हैं, राजस्थानी या डिंगल जानते हैं। अच्छा यह होता कि हिन्दी में श्रीकान्त भाई लिख कर भेजते।

श्री उपाध्यक्ष : विषय पर आइये।

श्री हरिप्रसाद यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं कि पूर्व वक्ता मास्टर रामचन्द्रजी ने इस विषय में काफी लंबा-चौड़ा प्रकाश डाला है। लेकिन मेरा भी इस सदन का सदस्य होने के नाते कर्त्तव्य हो जाता है कि मैं भी अपने विचार रखूं। राजस्थान में हरिजनों की संख्या २५ लाख के करीब है, २० लाख के करीब आदिवासी हैं और १० लाख के करीब पिछड़ी जातियों के

(श्री हरिप्रसाद यादव)

लोग हैं। इन आधा करोड़ व्यक्तियों का सुधार करें और घरेलू झगड़ों और समस्याओं को हम हल करें। तो मंत्रीजी इस ओर ध्यान दें तो गुजरे १० वर्षों के पहले के इतिहास को लेकर चलें तो कुछ सुधार जरूर आया है। यदि राजस्थान सरकार कोशिश नहीं करती तो आज इस सदन में ४८ मेम्बर शिड्यूल्ड कास्ट के नहीं होते। हमारे भाइयों को गले से गला लगा कर चलने में साथ देकर यहां लाये। तो आज हम आदिवासी, हरिजन, पिछड़ी जाति के लोग आये हैं; तो आपके सामने निवेदन करूं कि सबसे मोटी बात यह है कि हरिजन और पिछड़ी जाति के लोग मज़दूर कृषक हैं। यदि हम कृषकों को जमीन की सुविधा दें तो हमारा राजस्थान आगे बढ़ सकता है और हरिजनों की समस्या व लड़ाई-झगड़े मिट सकते हैं। जैसा कि हमने बजट अधिवेशन में सीलिंग बिल पास किया था तब रेवेन्यू मिनिस्टर साहब ने लाखों एकड़ जमीन बंजर पड़ी बताई थी। मैंने उस वक्त रेवेन्यू मिनिस्टर साहब का स्वागत किया था। हमारे राजस्थान में पड़त भूमि है, यदि हरिजन और आदिवासी खेती का काम करना चाहें तो अनाज की समस्या हल हो सकती है जो हमारी सरकार को विदेशों से मंगानी पड़ती है जिसमें रेल-भाड़ा और मार्ग-व्यय काफी खर्च करना पड़ता है। इस रेल-भाड़े की कीमत को हरिजनों की उन्नति में लगावें तो सुधार अधिक हो सकता है। अब मैं दूसरी ओर, हरिजन और आदिवासी शिक्षित लोग हैं, जो पढ़े-लिखे बालक और बालिकायें, स्कूलों में पढ़-लिख कर, नोकरियों में जाते हैं; उनके साथ दफ्तर के अफसरों का व्यवहार ठीक नहीं है, इस विषय में थोड़ा सा प्रकाश डालूं। सबसे पहले मैं सेक्रेटेरियट में जो हरिजन और आदिवासी चपरासी और क्लर्क हैं, उनके साथ जो जुल्म और ज्यादती होती है, उसकी ओर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान खींचूं। अब वे एक परिपत्र

(विराम)

कम से कम राजस्थान में......

श्री उपाध्यक्ष : आप ध्यान ही खींचें, आप मंत्री महोदय को न खींच बैठें।

श्री हरिप्रसाद यादव : मैं, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन कर रहा था, यदि अब हमारी राजधानी में जहां हम कानून बनाने के लिए, जनता जनार्दन को सस्ता न्याय देने और दिलाने के लिए आये हैं और हमने हमारे घर वालों का समय बर्बाद किया है।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): यह स्पष्टीकरण होना चाहिए, आपने कहा कि घर वालों का समय बर्बाद किया है।

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !! क्या ऑब्जेक्शन है आपको ?

श्री सोहनलाल भटनागर : आपने कहा कि घर वालों का समय बर्बाद किया है, इसका स्पष्टीकरण होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : कुछ खत आये होंगे, उनसे परेशान हुए होंगे।

Page No.60

श्री हरिप्रसाद यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले आदिवासी और हरिज़न चपरासी और क्लर्क पर राजधानी लेवल पर जो जुल्म और ज्यादती हो रही है, किसी को तरक्की नहीं मिल रही है, किसी को सस्पेन्ड कर दिया है। कोई कहता है कि यह मेरी मांग है कि मैं १५ साल से क्लर्क हूं, मुझे प्रोमोशन दिया जाय। ऑफिसर कहता है, मेरे से क्या कहते हो........

श्री उपाध्यक्ष : आप उदाहरण दे सकते हैं, जनरलाइज़ क्यों करते हैं ?

श्री हरिप्रसाद यादव : इस रिपोर्ट में यह लिखा है

(विराम)

और भाइयों ने पढ़ा है, मैंने तो पढ़ा नहीं है। श्रीकान्त भाई लिखते हैं कि हरिज़नों को नोकरियों में प्राथमिकता दी जाय। अब तक जो प्राथमिकता दी है, उसके लिए तो राज्य सरकार को मैंने धन्यवाद दिया है लेकिन जो कमियां हैं, उनको मैं रख रहा हूं। सबसे पहले जयपुर में जो हरिज़न और आदिवासी नोकर हैं, सर्विस में हैं, उनके साथ जो जुल्म और ज्यादती हो रही है, इस विषय को मैं आपके सामने रख रहा हूं। कुछ लोग १५ वर्ष से सर्विस में हैं। वे इन्टर हैं, बी. ए. हैं, पढ़े लिखे हैं। उनको ऑफिसर लोग कहते हैं, ये पढ़े लिखे हुए नहीं। जब आपने पढ़ा-लिखा दिया, छात्रवृत्ति देकर पढ़ा दिया सरकार ने, अब भी प्रोमोशन देने में वे लोग दिक्कत डालते हैं। हमारे हरिजन और आदिवासी अच्छे पढ़े लिखे हैं, वे पीछे नहीं रहें। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर खींचूं कि वे एक परिपत्र द्वारा राजस्थान की राजधानी में जो आदिवासी और हरिजन क्लर्क हैं, उनके साथ जो जुल्म और ज्यादती हो रही हैं, उनसे उनको छुटायें।

दूसरी बात यह है कि हमारी राजस्थान सरकार ने बजट में हरिजन और आदिवासियों के उद्योग के विषय में एक हैड रखा है, उसमें लाखों रुपये रखे हैं किन्तु मैं माननीय मंत्री महोदय से भी यह निवेदन करूं कि आज इस सदन से सामने जब हमारी जातियों की एक रिपोर्ट है और वह कमिश्नर ने लिख कर यहां प्रस्तुत की है, और जब हमने बजट अधिवेशन में मांग की थी, नेता महोदय से, कि अच्छा यह हो कि इस रिपोर्ट पर बहस इस सदन में हो। यह दुर्भाग्यवश या सौभाग्यवश अंग्रेजी में हमको मिली। अंग्रेज गये, लेकिन एक चुचुन्दर छोड़ गये

(हंसी)

यह पुरानी कहावत है। तो अंग्रेजी की दिक्कत हमारे लिए एक समस्या बन गई है। तो उद्योग का जो पैसा है, आज से १० वर्ष पहले उद्योग का पैसा न मालूम कहां समाप्त हो गया, हरिजनों के किसी उद्योग में खर्च नहीं हुआ। माननीय मंत्री महोदय से मैं पूछूं कि समाज कल्याण विभाग की ओर से अगर राजस्थान के हरिजन और आदिवासियों का कोई भी उद्योग चल रहा हो, कहीं इन्डस्ट्री लगा रहे हों, तो ऐसा मुझे कहीं नजर नहीं आता। अगर माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में हो तो वे अपने भाषण में बतायें........

श्री उपाध्यक्ष : चर्म उद्योग नहीं चल रहा है ?

श्री हरिप्रसाद यादव : चर्म उद्योग का सेन्टर खोल रखा है, जहां गवर्नमेंट इन्सपेक्टर रहता है, वह पैसा सरकारी आदमी ले लेते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां उद्योगों की बात हमारी सरकार ने किताब में लिखी है। परन्तु उसको अपने काम में नहीं लया है, मेरा निवेदन है कि १० वर्ष के अन्दर सरकार का ध्यान नहीं था, परन्तु अब आगे के लिए आपको ध्यान दिला रहा हूं। सरकार को हरिजन और आदिवासियों को अगर पनपाना है, अगर उनको आर्थिक दशा का सुधार करना है तो हरिजनों के नाम पर हैड और जो हैड हैं, चर्म उद्योग है, चर्म उद्योग के नाम के बहाने, राजस्थान में खादी ग्रामोद्योग नाम की एक संस्था है, एक मठ है, उसमें पैसा मठाधीश खा जाते हैं, किसी चर्मकार को आज तक कोई सहयोग नहीं मिला और न हैड में से लोन और न सब्सिडी मिली। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सदस्यों का ध्यान, माननीय मंत्रीजी का ध्यान इस ओर खींचूं कि राजस्थान खादी ग्रामोद्योग को करोड़ों रुपया सेन्टर से मिलता है। जब भारत सरकार से रुपया मिल जाता है तो वे भाई भतीजों में, किसी को उन्होंने क्लर्क बना लिया है, किसी को डाइरेक्टर बना लिया है, किसी को कुछ बना लिया है, मैं निवेदन करूं....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !! माननीय सदस्य जब ऐसे शब्द कहें तो कुछ उदाहरण देते जायं, ताकि ठीक तरह नियंत्रण हो सके।

श्री हरिप्रसाद यादव : मैं निवेदन करूं कि मंत्री महोदय बता दें अगर खादी ग्रामोद्योग में एक जेलिया के अलावा कोई हरिजन आदिवासी क्लर्क हो, या मुनीम हो, या नामदार हो, कोई काम करने वाला हो। एक गांधी–घर की योजना चल रही है, जिसमें आज तक किसी हरिजन को रखा हो, यह मंत्री महोदय बता सकते हैं। मैंने इस ओर ध्यान इसलिए दिलाया है कि मंत्री महोदय हमारी वकालत करें। खादी ग्रामोद्योग की योजना है जिसमें चर्म उद्योग का एक हैड है और वह पैसा हमको मिल सकता है और हमारी चर्म औद्योगिक संस्था है हरिजनों की, और जो चर्म उद्योग की दूकानें हैं बड़ी बड़ी, उनको सब्सीडी दी जाय, कुछ लोन दिलाया जाय सरकार की ओर से; ताकि चर्म उद्योग पनपे।

दूसरी ओर हमारे भामो और बुनकर लोग हैं राजस्थान में, उनकी लाखों की संख्या है। किन्तु उनको खादी बुनने के लिए औजारों की जरूरत पड़ती है। आज तक न समाज कल्याण विभाग ने और न सहकारी विभाग ने किसी को एक कर्घा दिया है और न धोती और जाजम बुनने के लिए कोई मशीन दी है, या न बास के लिए १००–२०० दिये हैं, खपच्ची की मशीन बनाने के लिए एक तरफ सरकार के मंत्री महोदय कहते हैं कि पूज्य बापू का ग्राम राज्य साकार हो रहा है

(विराम)

मेरी समझ में नहीं आता यह पूज्य बापू का ग्राम राज्य किताब में साकार होने से क्या हमारे देश का, हमारे राजस्थान प्रदेश का फायदा हो सकता है ? अगर हरिजन व आदिवासियों की आधी करोड़ जनसंख्या की ओर ध्यान नहीं दिया, न इनके पीने के पानी के कुओं की समस्या, न इनके बालक बालि-

(श्री हरिप्रसाद यादव)

कात्रों को पढ़ाने की समस्या की ओर ध्यान दिया। अभी जब मैं सेशन में आया तो कोई कहता कि हमारी फीस माफ कराइये, कोई कुछ कहता। आज आदिवासियों के पास न खाने के लिए सामान है और न पहिनने के लिए कपड़ा है, न घर है। वे एक झोंपड़ी में रहते हैं, टूटी फूटी झोंपड़ी में रहने वाले इस स्वराज्य में, पंचायत राज्य की झलक में बालकों को पढ़ाना चाहें तो हमारा शिक्षा विभाग उनकी फीस माफ नहीं करता है। मैं जब हमारे डिप्टी डाइरेक्टर, समाज कल्याण विभाग से मिला तो वे कहते हैं कि विधान सभा में तो बोलते नहीं, कुछ कहते नहीं इसलिए मैं विधान सभा के सामने रख रहा हूं कि हमारे मंत्री महोदय हरिजनों की शिक्षा के लिए .. ....

श्री उपाध्यक्ष : आप डिप्टी डाइरेक्टर के संकेत से विधान सभा में बोल रहे हैं ?

श्री हरिप्रसाद यादव : डिप्टी कमिश्नर, नहीं, मिनिस्टर। मैं निवेदन करूं हरिजन और आदिवासियों की शिक्षा के लिए जो फीस का एक भार है इस भार से अगर हमारी सरकार उनको मुक्त कर दे तो हमारी शिक्षा पद्धति में सुधार हो और हमारे जो अनपढ़ लोग हैं, वे पढ़ लिख कर आपके समीप आयें। दूसरी बात मैं आपसे निवेदन करूं कि जमीन का यह सवाल है। यदि आज हरिजनों को भूमि दे दी जाय, जिन सवर्णों के पास हजारों नहीं तो सैकड़ों बीघा जमीन है, वे सैकड़ों बीघा जमीन भी किसानों से काश्त कराते हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय आपके द्वारा यह चाहूंगा कि वे खास तौर से अपने दफ़्तर से एक रिमाइन्डर निकालें, परिपत्र द्वारा सभी जिलों के कलेक्टर्स को यह सूचना दें कि जो भूमिहीन किसान हैं, उनको किसी प्रकार जमीन दिलायें। आज होता यह है कि हरिजन और आदिवासियों को जमीन न मिल कर उन सवर्ण भाइयों को जमीन मिल जाती है। मैं नहीं चाहता कि सवर्ण भाइयों को जमीन नहीं मिले, लेकिन जितनी उनको मिले, उतनी हरिजन व आदिवासियों को मिलनी चाहिये। तो यह समस्या भूमि की है, यह दस वर्ष में भी नहीं सुलझ पाई है।

तीसरी बात, मैं यह निवेदन करूंगा कि हमारे समाज कल्याण विभाग की ओर से कई संस्थाओं को अनुदान मिलता है लेकिन वे संस्थाएं भी हमारे बालकों, लड़के-लड़कियों की ओर इतनी तवज्जोह नहीं देती हैं। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा शिक्षालय खोले जावें ताकि जिन हरिजनों और आदिवासियों के पास अपने लड़के और लड़कियों को पढ़ाने के लिये पैसे नहीं है उनको सुविधा मिले।

चौथी बात, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में २५ लाख हरिजन हैं और २० लाख आदिवासी हैं, उन पर खर्च किये जानेवाले बजट को देखें तो आपको मालूम होगा कि आदिवासियों पर अधिक खर्च किया जा रहा है और आदिवासियों को जो सुविधाएं दी गई हैं वे हरिजनों से अधिक हैं। मैं यह नहीं चाहता कि आदिवासियों को इतनी सुविधाएं क्यों दी जाती हैं। मैं तो यह चाहता हूं कि हरिजनों को भी उतनी ही सुविधाएं दी जाए और आदिवासियों के साथ साथ हरिजनों का भी

(श्री हरिप्रसाद यादव)

भला हो। आप देखेंगे कि एक आदिनिवासी को एक हजार रुपया कुओं के लिए और खेत की पैदावार को बढ़ाने के लिए दिया जाता है मगर हरिजन को नहीं दिया जाता। आदिवासी को ७५० रुपये मकान बनाने के लिए मिलते हैं मगर हरिजनों को इतना नहीं मिलता। तो मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा यही निवेदन करना चाहता हूँ कि हरिजनों को भी कुओं की खुदाई के लिए एक हजार रुपया मिलना चाहिये। अगर कोई मकान हरिजन बनाए तो हरिजन को भी वही ७५० रुपये मिलने चाहिये जो आदिवासियों को मिलते हैं।

हमारे यहां दो अक्टूबर को राजस्थान के नागोर जिले में जहां अमरसिंह राठौड़ पैदा हुए थे और जो उस समय नगर की राजधानी थी, वहां नागोर में हमारे प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलालजी नेहरू ने राजस्थान में विकेन्द्रीकरण के उद्घाटन के अवसर पर कहा था कि आज अमरसिंह राठौड़ की राजधानी में मेवाड़ भूमि से आकर ग्राम पंचायतों के द्वारा जनता को उनका राज्य उनके हाथों में सौंप रहा हूं। एक दिन वह था। ७,८ महीनों तक सरकार ने डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रेलाइजेशन को जमाने का कार्य किया; उसका मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन जब आपने राजस्थान में पंचायतें और पंचायत समितियां कायम की हैं तो वहां पर हरिजनों का बहुमत नहीं मिल सकता क्योंकि आपने उसमें रखा है कि राजस्थान की पंचायतों व समितियों में एक आदिवासी, एक हरिजन और एक महिला आवेगे। मैं यह निवेदन करूंगा कि जहां पर एक पंचायत समिति में ३० या ३५ सदस्य होते हैं वहां पर दो, तीन सदस्यों का अलग मत रहता है तो उसका क्या वजन होता है। उनका वहां पर जब तक बहुमत नहीं होता तब तक वे कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मैं सरकार को यही निवेदन करूंगा कि जो पंचायत समितियों को धन और पैसा सरकार की तरफ से दिया जावे वह जिस मद के लिये दिया जावे और जितना दिया जावे उतना उसी मद में खर्च करने का आदेश दिया जावे। मैं खुद मीटिंगों में गया। मैं खुद एक पंचायत समिति का सदस्य हूं। कहीं तो सरकार ने छाया खंड खोल रखे हैं और कहीं पर ब्लॉक खोल रखे हैं। मिसाल के तौर पर जैसे मावली में ब्लॉक और भोपालगढ़ में छायाखंड खोला है; दोनों में जो सरकार रुपया देती है उसमें भी बहुत अन्तर है। एक को १२॥ लाख और एक को २॥ लाख मिला है। हमने क्या बुराई की है कि हमको इतना कम रुपया मिला है जबकि हमारे यहां शुगरकेन एरिया है जहां से सरकार को हर साल ५० हजार रुपया नेट इन्कम देते हैं ? जबकि हमको २॥ लाख ही मिला है? हमारे यहां पर पंचायत समिति में जो प्रधान हैं उनके और मेरे बातें हुई थी। मैं कहूंगा कि वे भी यही कहते हैं कि....

श्री उपाध्यक्ष: ऑर्डर ! ऑर्डर!! ऑर्डर! ऑर्डर !!

आप अपने व्यक्तिगत वार्तालापों का जिक्र यहां पर न करें। जो विषय है उस पर ही कहें।

श्री हरिप्रसाद यादव : मैं तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !!

(श्री उपाध्यक्ष)

आप व्यक्तिगत बातें यहां पर न कहें, अन्यथा मुझे आपके भाषण को समाप्त करना पड़ेगा।

श्री हरिप्रसाद यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि जो रुपया दिया जाता है वह उसी मद में खर्च किया जाए। ऐसा न हो कि वह रुपया पंचायत समिति के अधिकारियों और कर्मचारियों की की तनख्वाह में चला जावे ताकि वहां के गरीब लोगों के लिये जो सामाजिक सुधार होने वाले हैं वे हो सकें और यदि वह रुपया पंचायत समिति के कर्मचारियों की तनख्वाह में व्यय हो जावेगा तो उन पैसों से गरीबों का सुधार होने वाला था वह सुधार रुक जावेगा। मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि भारत सरकार ने और राजस्थान सरकार ने अस्पृश्यता को मिटाने के लिए जो फैसला किया है उसका पूर्ण रूप से पालन नहीं हो रहा है। अच्छा होता कि अगर व्यासजी यहां पर होते और दूसरे सभी मंत्री यहां पर होते और हमारी बातों को सुनते तो अच्छा असर होता। आज हमको एक तहसील में एक मिसल को निकलाने के लिए बार बार आना पड़ता है और हमारे सैकड़ों रुपये सफर खर्चे में खर्च हो जाते हैं। अगर एक गरीब किसान है और हमारे जैसे आदमी को लाता है तो उसको बहुत खर्च करना पड़ता है।

श्री सोहनलाल भटनागर : आप क्या वकील हैं ?

श्री हरिप्रसाद यादव : मैं वकील नहीं हूं। मेरे जैसे किसी व्यक्ति को कहा है। उनको बराबर कई बार आना पड़े तो उनको बहुत खर्च करना पड़ता है। होना तो यह चाहिये कि जल्दी से जल्दी मिसल तय होकर हैड क्वार्टर पर पहुँच जाये तो गरीबों का खर्चा बच जाए। मैं यह निवेदन करूंगा कि ऐसा होता नहीं है। मैं यहां पर बराबर तीन वर्षों से हरिजनों के लिये जमीन की समस्या के संबन्ध में कहता आ रहा हूं लेकिन उसके लिये सरकार कोई ध्यान नहीं देती है।

म्युनिसिपैलिटीज़ में हरिजनों को जमीन नहीं मिल रही है, उसकी तरफ में सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूं। हरिजनों से म्युनिसिपैलिटी के लोग यह कहते हैं कि यह जमीन ७५ हजार रुपयों की है। जहां पर जमीन पर पहले राजा-महाराजाओं के समय में सूअर खड़े रहते थे और राजाओं अंग्रेजों, के समय में जिस जमीन की कीमत २५ रुपये थी आज उसी जमीन के ७५ हजार रुपये मांगते हैं। इंजीनियरों ने यह देखा कि ७५ हजार रुपये न तो हरिजनों के पास देने को होंगे और न हरिजन खरीद सकेंगे। इसलिये हरिजनों को जमीन वितरण का तरीका है वह ऐसा होना चाहिये जिससे हरिजनों को जमीन मिल सके। इंजीनियर जमीन के कई हजार रुपये मांगते हैं। आज हरिजन और आदिवासियों के पास पैसा देने के लिये नहीं है इसलिये उनको जमीन मिल सके; इसके लिये कोई व्यवस्था अवश्य होनी चाहिये।

आज हमारे समाज कल्याण विभाग की तरफ से हजारों रुपया खर्च किया जाता है। क्यों न हम यह फैसला लें कि इस विभाग को ही खत्म कर दिया जावे क्योंकि न तो इस विभाग से हरिजनों और आदिवासियों को कोई फायदा है और न मिल सकता है ? विधान सभा के सदस्य भी हमें माफ करेंगे,

(श्री हरिप्रसाद यादव)

बड़े बड़े लोगो के घरों में फेल हुए लड़के आते हैं वे समाज कल्याण विभाग में भरे है। मैं देखता हूं कि यदि इस विभाग को आप तोड़ दें तो हमारे समाज कल्याण में जो रुपया खर्च करना पड़ता है वह नहीं करना पड़ेगा। होना तो यह चाहिये कि हरिजन और सवर्ण एक हों और जो छात्रवृत्ति हरिजन को मिले वही सवर्ण की भी मिले। क्योंकि हमारे नाम से रुपया जो खर्च होता है उसका लाभ हमको पूर्णतया नहीं मिलता। यह भी हमारे नाम पर एक कलंक है कि इतना करोड़ रुपया हरिजनों पर व्यय किया जाता है। मगर आज आप हरिजनों के घरों को जाकर देखें तो आपको मालूम होगा कि उनके घरों की क्या स्थिति है। न तो किसी हरिजन या आदिवासियों में से आपको कलेक्टर है न सेक्रेट्री मिलेगा। हां, एक आध मिनिस्टर आपको अवश्य मिलेगा मगर इससे हमें आराम होनेवाला नहीं है। पहले तो वे हरिजनों की बात भी सुनना पसन्द नहीं करते थे मगर अब आये हैं। ठीक है, शाम का भूला सुबह घर आ जावे तो भी ठीक है। हरिजनों की बात सुनी उसके लिये धन्यवाद।

(समय–समाप्ति सूचक घंटी)

०

अंत में मैं, इतना ही कहूंगा कि आप प्रतिज्ञा करें कि हरिजन और सवर्ण मिल कर काम करेंगे और सवर्ण और हरिजनों के लिये अलग अलग छात्रवृत्ति आदि नहीं होगी तो यह समस्या हल हो सकती है।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर): उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री (आमेर–सु०) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आज १० वर्ष समाप्त होने आये हैं और यह प्रथम रिपोर्ट हमारे सामने प्रस्तुत की गई है। इसमें जो लिखा है उसके लिये माननीय मन्त्री महोदय ने यह प्रस्ताव पेश किया है कि इस रिपोर्ट में जो भारत सरकार द्वारा पेश की गई है उसमें जो मामले राजस्थान सरकार से संबन्धित हों उन्हीं पर विचार किया जावे, सारी रिपोर्ट पर नहीं। अगर सारे हरिजनों की बातें कही जाएं तो बहुत समय लगेगा और इसलिये मैं उन बातों पर नहीं जाऊंगा कि उनकी कितनी दुर्दशा है और उनको कितना दुख है। मैं उन तथ्यों पर जाऊंगा जो रिपोर्ट में हैं।

मैं सर्वप्रथम राजस्थान सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उसने राजस्थान के २५ लाख हरिजनों को ऊंचा उठाने के लिए समाज कल्याण बोर्ड स्थापित किये और साथ ही साथ एडवाइज़री बोर्ड भी कायम किया। एक बार मैंने इस सदन में एक संकल्प भी प्रस्तुत किया था कि इज़री बोर्ड की जिलों मीटिंगें कम होती हैं और उनके सामने सारे तथ्य नहीं आते हैं। इसलिए यह तय किया गया था कि राजस्थान सरकार की ओर से हर जिले में एडवाइज़री बोर्ड की एक कमेटी नियुक्त कर दी जावे और कलेक्टर उसका चेयरमैन हो, हरिजनों को बुला कर वह कमेटी पूछे, उनके दुख–दर्द को सुने। रिपोर्ट के पृष्ठ २५ पर भी यह लिखा हुआ है; अनुसूचित जातियां, आदिम जातियां और पिछड़े वर्ग के सुधार के लिए उपाय बताना

(श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री)

और परामर्श देने के लिए २६ बोर्ड बनाये जायं, जो जिला समाज कल्याण बोर्ड कहलाते हैं। कलेक्टर इसका अध्यक्ष है । जिला पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट और म्युनिसिपैलिटी के प्रधान नामजद किये जाते हैं और कलेक्टर पदेन अध्यक्ष; तीन मास में बैठक किया करें और उन पर यह प्रभाव डाला जाय कि वें लगातार बोर्ड की प्रधानता करें; यह लिखा हुआ है । लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि २६ जिलों में २६ बोर्ड बनाये गये, एडवाइज़री कमेटी बनाई गई थी, तीन महीनों में मीटिंग बुलाई जायगी लेकिन बुलाई नहीं जाती और होता क्या है कि हरिजनों को समय समय पर दिक्कतें आती रहती हैं; उनकी उन दिक्कतों का वास्तविक समाधान नहीं हो पाता । इस बात के लिए राजस्थान सरकार को धन्यवाद तो दूँगा कि डिस्ट्रिक्ट कमेटीज़ का निर्माण किया लेकिन दुःख इस बात का है कि कानून बनाते हैं लेकिन इसको ठीक तरह से कार्यान्वित नहीं करा पाते, ठीक तरह से कार्यान्वित हो रहा है या नहीं; इसको देखने के लिए आपको कमेटी बनानी चाहिये या और कुछ इसके लिए करना चाहिये कि जिससे कि कानून का ठीक प्रकार से पालन हो सके । मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि वे तमाम जिलों से यह पूछें कि उनके यहां पर कितनी बार कमेटी की मीटिंग बुलाई गई और कितनी बार पूछा गया कि उन हरिजनों की उनके जिले में क्या क्या दिक्कते हैं ? पहली बात मैं यह अर्ज कर देना चाहता हूं कि जो एडवाइज़री बोर्ड बनाये गये हैं उनको फिर से जाग्रत किया जावे, उनको पुनर्जीवित किया जावे और यदि तीन महीने में मीटिंग नहीं बुलाई जायेगी तो necessray action would be taken against them.

मैंने पहले ही अर्ज किया था कि मैं जनरल बात नहीं कहना चाहता और रिपोर्ट के तथ्यों पर ही आना चाहता हूं । दूसरी बात लिखी है और राजस्थान सरकार ने भी एडवाइज़री बोर्ड में और समय समय पर घोषणा की कि चूंकि हरिजनों को कानूनी दिक्कतें आती हैं इसलिए उनको आर्थिक सहायता देने के लिए, कानूनी सहायता देने के लिए व्यवस्था कर दी गई है । एक्ट बना उसमें भी यह लिखा हुआ था । लेकिन यह बात कितनी उलझी हुई है; यह सरकार को ध्यान में लेनी चाहिये । उसे यह बताया गया कि हरिजन जाकर किसी वकील को कहे कि उसकी पैरवी करिये। वकील साहब केस लड़ लेते हैं, फिर फीस का बिल पेश कर देते हैं; तहसीलदार, कलेक्टर जांच कर लेता है और फिर बिल का पेमेन्ट होता है । स्थिति तो यह है कि आज यह देखा जाता कि पहले वकील साहब को फीस देनी पड़ती है , पीछे फिरना पड़ता है, तांगा किराया भी लोग देते हैं. ऐसी हालत में कौनसा ऐसा फालतू वकील मिलेगा कि जो हरिजनों के लिए मुकदमा लड़ लेगा और फिर फीस के लिए बिल पेश करेगा और पेमेन्ट लेगा ? क्या वकील साहब के दिमाग में यह नहीं बात आयगी कि यदि वह हरिजन का मुकदमा लड़ेगा पहले तो तो उसको फीस मिलेगी नहीं, फिर बिल पेश करेगा और शायद राज्य सरकार में बैठे हुए किसी भी अधिकारी ने कह दिया कि फीस न दी जाय तो फिर क्या होगा ? आमेर तहसील में मोटका गांव है, दस आदमियों को ले गया । वहां पर हरिजनों

(श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री)

को जमीन अलॉट हुई थी। वहां के सवर्ण लोगों ने कहा कि यह तो चरागाह की जमीन है। वहां एक कांग्रेस के अच्छे सज्जन थे, उनको लाठियों से मारा गया। रिपोर्ट की गई और कानूनी मदद देने के लिए तहसीलदार को एप्लीकेशन्स दी गई, लेकिन कानूनी मदद नहीं मिली। १९५७-५८ की रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि "द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आदिवासियों को कानूनी सहायता देने के लिए ६५हजार का प्रोविजन किया है।" इस योजना के अन्तर्गत अन्य पिछड़े वर्ग के लिए १० हजार रुपया रखा गया है। सरकार की ओर से तो यह प्रोविजन हुआ है, लेकिन यह हरिजनों के काम न आ सका। कानून ही उलझा हुआ था। उच्चाधिकारियों ने भी उस ओर ध्यान नहीं दिया और गरीब हरिजनों को मदद नहीं दी जा सकी। सरकार ने रुपया रखा उसके लिए तो धन्यवाद। लेकिन रुपया हरिजनों को मिला नहीं, उनके हाथ-पैर टूट गये; लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी। इसके लिए सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिये। कानून में संशोधन करना चाहिये, कानून के जानकार, कानून वेत्ता यहां सदन में हैं। इस प्रकार से कानून में संशोधन करना चाहिये कि जिससे कहीं भी हरिजनों पर अत्याचार हों तो उनको फौरन कानूनी सहायता पहुंचाई जाय। चाहे एम० एल० ए०, चाहे तहसीलदार, चाहे थानेदार किसी को भी फौरन हरिजन के लिए सहायता मिले। हरिजनों को १ महीने तक भी कोई सहायता नहीं मिलती जब कि उनको फौरन आवश्यकता रहती है क्योंकि उनके झोंपड़ों में आग लग जाती है फिर भी महीने, दो महीने तक उनको कोई सहायता नहीं मिलती। जिस आदमी का झोंपड़ा जल गया हो, जिसके पास पहिनने के लिए बदन पर एक भी कपड़ा न रहा हो, खाने को जिसके पास कुछ भी न हो और फिर उनको कहा जाय कि तुमको कानूनी सहायता दी जायगी। फायर सफरर्स सहायता तो क्या मिलेगी? जब आवश्यकता होती है तब तो उसको सहायता नहीं मिलती है और तीन वर्ष के बाद में मिलती है जो उसके लिए उपयुक्त नहीं हो सकती। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इसके लिए उचित कदम उठायें।

तीसरी बात जो मैं आपके सामने लाना चाहता हूं वह यह है कि भारत सरकार ने अस्पृश्यता निवारण के लिए एक मंद दी हैं। अनटचेबिलिटी को सारे देश से हटाने के लिए वह कई संस्थाओं को अनुदान देती है। मैं बहुत सारी बातें अस्पृश्यता के सम्बन्ध में तो नहीं बताना चाहता, लेकिन १९५७-५८ की जो रिपोर्ट है उसके पेज ३२ पर देखें तो आपको विदित होगा कि उसमें क्या लिखा है। उसके अन्दर एक तालिका दी गई है और उसमें बताया गया है कि अस्पृश्यता निवारण के लिए कितने केसेज़ रजिस्टर किये गये। आइटम नं० चार १-१-५६ से ३१-१२-५६ तक ११७ केसेज़ रजिस्टर किये गये। सारे राजस्थान में १०४ का चालान पेश हुआ। २६ जिलों में १०४ का चालान पेश हुआ। कुछ साबित नहीं हुए होंगे, खारिज हो गये होंगे। इन आंकड़ों से साबित होता है कि राजस्थान सरकार या जनता में इस ओर जागृति पैदा नहीं हुई या कुछ लोग ऐसे हैं जो करना नहीं चाहते। हरिजन जाकर कहता है कि फलां ज..
और पानी नहीं मिलता तो मुंशी ही उसको पहले से ही धमका देता है

Page No.68

(श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री)

और फिर साथ में पब्लिक के आदमी मिल कर उसे कोसते हैं और कहते हैं तुम इतना ऊंचा चढ़ना चाहते हो। इस तरह से उनको हताश कर दिया जाता है ! इस तरह से उनकी हिम्मत रिपोर्ट करने की नहीं होती। मेरे पास शिड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर की रिपोर्ट है, राजस्थान सरकार के आंकड़े हैं कि १०४ चालान पेश किये गये। आप उसका एवरेज़ २६ जिलों के हिसाब से लगाइये। इस तरह से एक जिले के अन्दर चार केसेज़ हुए।

अस्पृश्यता निवारण के सम्बन्ध में कितने प्रगति के कदम उठाये गये ; मैं इस बारे में सन् १९५९ की जो रिपोर्ट है उसके पेज ४९ पर बताया गया है उसमें कम्प्लेन्ट्स का चेप्टर लिखा है उसमें लिखा कि राजस्थान के एक एम० पी० ने यह लिख कर दिया है कि फलां फलां गांव के अन्दर खटीकों की बार्बर लोग हजामत नहीं बनाते। इस पर उस बार-बर पर जुर्माना हुआ, फिर भी उसने खटीक की हजामत बनाने से इन्कार कर दिया। आज उस गांव के अन्दर खटीकों की हजामत नहीं बनाई जाती। राजस्थान सरकार को एक एम० पी० शिकायत करता है लेकिन इतना होने के बावजूद भी इस बीमारी को वे दूर नहीं कर पाये हैं। कानून के जरिये यह निक-लना बड़ा मुश्किल है। हमें जनता को इस बारे में समझाना होगा, राजस्थान सरकार को इस बात का प्रचार करना होगा और जनता की जो भावना बनी हुई है उसको चेन्ज करना होगा, केवल कानून के बलबूते पर यह कदापि नहीं हो सकता। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो यहां आप यह करिये कि चांद-पोल के पास जो हनुमानजी का मन्दिर है आप वहां पर बोर्ड लगा दीजिये, जो हरिजनों के साथ मन्दिर प्रवेश के बारे में या किसी प्रकार से छुआछूत बरतेगा तो उसको इतनी सजा दी जायगी। वहां पर एक थानेदार और तीन-चार सिपाहियों को बैठा दीजिये, फिर देखिये हरिजनों को कौन मना कर सकता है। इस तरह से हर एक मन्दिर में बोर्ड लगाया जा सकता है। सिनेमा में स्लाइड्स चला दीजिये, हरएक चौराहे पर, मौहल्ले में इन बातों को अंकित कर दीजिये कि छुआछूत बरतने पर इतनी सजा हो सकती है। लेकिन इस बात की ओर सरकार द्वारा कुछ नहीं किया जाता है। हरिजनोत्थान की दिशा में कोई प्रयत्न नहीं किया जाता है। वास्तव में आप हरिजनोत्थान करना चाहते हैं तो इस प्रकार का कदम उठाया जाना चाहिये।

इसके अलावा यह भी बात बताई गई है कि शिड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर ने यह लिखा है कि चाकसू के अन्दर चमारों को वहां पर गाड़ी पर मंच लगा कर बैठने नहीं दिया जाता। एक बार वे चाकसू पधारे। मुझे खुद को भी इस बात का अनुभव है कि वहां मंच पर बैठने नहीं दिया जाता। चाकसू तहसील एक ऐसी तहसील है जहां हरिजनों को साफा बांध कर नहीं चलने दिया जाता, सांगानेरी साफा उतरवा लेते हैं। उस तहसील के अन्दर राजस्थान सरकार के कमिश्नर गये, तहसीलदार भी आये चार, पांच गाड़ियों पर मंच बना कर कहा गया कि तुम इन पर बैठ कर खूब घूमो-फिरो; उस समय पंच, पटवारी, सरपंच आदि सब मौजूद थे उस समय तो किसी ने कुछ एतराज नहीं किया। उसके बाद तीन चार महिने के बाद एक हरिजन अपनी गाड़ी पर मंच लगा कर निकलता है तो उसका मंच तोड़ दिया जाता है और कहा जाता है कि तू

(श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री)

हरिजन है तुम्हें इस पर बैठने का अधिकार नहीं है। वह मामला पुलिस के अन्दर भी गया लेकिन उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। हम जाकर कोई कम्पलेन्ट करते हैं तो दूसरे आकर उसको मटियामेट कर देते हैं। वैसी हालत में इसका उत्थान किस प्रकार हो सकता है? यह इस प्रकार का एरिया है कि जहां पर हरिजनों के साथ बहुत अत्याचार होता है; वे इससे बच नहीं सकते। इस पर भी सरकार उनके प्रति ध्यान नहीं देती। हरिजनों पर कोई अत्याचार करता है तो राज्य सरकार यह सोचती है कि इस बारे में किसी को दबाया गया तो हम लोगों को वोट नहीं मिलेंगे। इस प्रकार की जो सरकार की नीति है उसको उचित नहीं कहा जा सकता। मेरा तो यही निवेदन है कि कहीं भी इस प्रकार की कोई शिकायत आये पुलिस के सामने तो तुरन्त उसका इन्तज़ाम होना चाहिये। समाज कल्याण विभाग खोल रखा है वह एक चिट्ठी लिख कर भेज देता है। वह रद्दी की टोकरी में फैंक दी जाती है। मेरा तो इस विषय में यह सुझाव है कि जहां आप लाखों रुपया एस्टेब्लिशमेन्ट आदि पर खर्च करते हैं वहां आप एक थानेदार और दस-बारह सिपाही इस विभाग के अन्तर्गत रख दें और वे इस बात को ध्यान में रखें कि कहां हरिजनों के साथ अत्याचार होता है। उस गांव के अन्दर वे जावें तो उससे लोगों में तहलका मच सकता है और सही तौर से इस कानून का पालन हो सकता है। जहां आप इतना खर्च कर रहे हैं वहां १२ सिहाहियों का वेतन कोई ज्यादा नहीं होगा। आप इस संख्या में कमी भी कर सकते हैं, लेकिन सही इलाज तो यही है।

इसके अलावा राजस्थान सरकार इन्डस्ट्रियल लोन भी देती है। हरिजनों की आर्थिक अवस्था वैसे ही कमजोर है। एक कहावत है-

कोडी के जहान में नक्शे नगीने
कोडी नहीं पास तो कोडी के तीन तीन हैं
कोडी थी पास जब करते थे लम्बी चौड़ियां
अब कोडी रही न पास तो मियां खाते हैं
पकोड़िया।"

जिसके पास पैसा नहीं उसकी दुर्दशा है, चाहे वह ब्राह्मण हो, चाहे किसी भी जाति का हो। महाराजा हरिश्चन्द्र को जब बेचा जा रहा था तो उन्हें कालू भंगी ने खरीद लिया था चूंकि उसके पास पैसा था।

एक माननीय सदस्य : यह तो सोश्यलिस्ट युग की बातें हैं।

श्री हरिशंकरसिद्धान्त शास्त्री : इन्डस्ट्रियल लोन दिया जाता है लेकिन देखा यह गया है कि हरिजन उसके लिये दरख्वास्त तक नहीं कर सकते। अगर करता है तो उसको एन्टर ही नहीं किया जाता, उसके लिये तो फॉर्म मिलना ही मुश्किल है। उसी तरह ट्रान्सपोर्ट, ऑथोरिटी है जहां मोटरों के लिये पर्मिट इश्यू किया जाता है। आज आप देखिये गली गली में आपको ट्रक्स मिलेंगे लेकिन उनमें से एक भी ट्रक हरिजन का नहीं है। इसी प्रकार जितनी भी रूट्स पर मोटरें चलती हैं किसी एक भी हरिजन को उसका परमिट नहीं है। यह हालत है हमारी राज्य सरकार की। राज्य सरकार इसमें कह सकती है कि यह तो ट्रान्सपोर्ट ऑथरिटी का कार्य है। यह कह कर वह बच सकती है। मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि आज किसी

(श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री)

बनिये का लड़का है, उसको अगर नोकरी नहीं मिलती है तो वह पकौड़ी निकालकर रोज के दो रुपये कमा सकता है, लेकिन हरिजन के साथ वह भी नहीं है। हरिजन यदि पकोड़ी की दूकान खोलता है तो वह उसकी चलने वाली नहीं क्योंकि यदि किसी ने उससे मिठाई या पकोड़ी एक बार खरीद भी ली तो पास का हलवाई या पकोड़ी बनाने वाला कह देगा कि यह तो हरिजन है। आखिर जब समाज का वातावरण इस प्रकार का है वैसी हालत में हरिजन के पास अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये क्या रास्ता है? राज्य सरकार कोई चमड़े उद्योग खोलती है तो उसमें खाल उतारने आदि का काम तो हरिजन को मिल सकता है, जूते गांठने का काम उसको मिल सकता है इसके सिवाय उसको अपनी आमदनी बढ़ाने का रास्ता नहीं है। ठेकेदार लोग जो हैं वे पहले ही बने हुए हैं। इस तरह से हरिजन भाइयों को किसी भी क्षेत्र में उन्नति करने के चान्सेज़ नहीं मिल रहे हैं। मोटर बस परमिट, इन्डस्ट्रियल लोन आदि चीजें ऐसी हैं जो सरकार के अधिकार में हैं। आज हम देखते हैं कि जितने भी इन्डस्ट्रियल लोन आदि मिले हैं या प्लॉट्स अलॉट हुए हैं वे सब पैसे वालों को मिले हैं। यदि वास्तविक रूप से आप हरिजनों को उठाना चाहते हैं तो बड़े बड़े उद्योग-धंधों में मौका दीजिये। निजी दूकान खोलते हैं तो वे भी नहीं चल सकतीं। सरकार की ५०० दुकानें मौजूद हैं जयपुर शहर के अन्दर, उनमें से १०० भी दूकानें हरिजनों को दे दी जायं तो वह अपना धंधा कर सकते हैं।

अब मैं सर्विसेज़ के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। इस रिपोर्ट के पेज १५६ के अन्दर लिखा है कि राजस्थान सरकार ने १२½ पर्सेन्ट वेकेन्सीज़ और १६ पर्सेन्ट वेकेन्सीज़ रखी हैं। इसके लिये राज्य सरकार ने क्या क्या कदम उठाया, उसके बारे में लिखा है कि राज्य सरकार ने इसके लिये स्पेशल सेक्रेटरी की नियुक्ति की है। इसके लिये राजस्थान सरकार बहुत धन्यवाद की पात्र है। इसके अलावा हरिजनों के लिये एम्पलॉयमेन्ट एक्सचेन्ज की जो बन्दिश थी वह भी उठा दी गई। अब उनको एम्पलॉयमेन्ट एक्सचेन्ज तक जाने की जरूरत नहीं है।

लेकिन एक बात जरूर है कि स्पेशल सेक्रेटरी के दफ्तर में हरिजन भाइ मैट्रिकुलेट दर्ख्वास्त देता है तो कहा जाता है कि जगह कहां खाली है? अब जगह के खाली होने के बारे में वह क्या बतावेगा, खाली जगह मालूम करने तो वह वहां गया है। वह तो स्कूल से निकल कर आया है या हमारे साथ वहां गया है। ज्यादा कहते हैं तो कहते हैं, अच्छा कलेक्टर के यहां भेज दो। कलेक्टर के पास भेज देते हैं। पर वहां कहा जाता है, जगह खाली नहीं है। यह क्या तमाशा है। सेक्रेटेरियट से भाग कर यहां आये।लेफ्ट-राइट करते करते। पर यहां से भी दुत्कार दिया जाता है जैसे कोई आवारा हो, या मां-बाप नहीं हों। आप काम करें तो ठीक ढंग से करने की कोशिश करें। स्पेशल सेक्रेटरी के पास इस बात की इत्तला होनी चाहिये कि पी. डब्लू. डी. में, इर्रिगेशन में, कलेक्टरी में, म्युनिसिपैलिटी में कहां कहां किस किस विभाग में कितनी कितनी जगहें खाली हैं। एक सिनेमावाला सरकार के सामने मामूली आदमी है, पर वह हर सीट का नम्बर रखता है और सारी खबर

(श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री)

सीटों के खाली और भरे होने की रखता है। सीट नम्बर १५६ फिल–अप हो जाती है तो कह देता है कि आप १६० नम्बर पर जाओ। अब ऐसा नहीं होता कि १६० नम्बर की सीट का टिकट दे और वह खाली न मिले। एक सिनेमा वाला इतना अच्छा इन्तजाम कर सकता है तो सरकार क्यों नहीं कर सकती, यह मेरी समझ में नहीं आया। तो इस ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

इसके अतिरिक्त फोर्थ क्लॉस सर्विस में बहुतों को मुकर्रर किया गया है। उनमें से बहुतों को सरप्लस में ले लिया गया। अब वे इधर–उधर मारे–मारे फिर रहे हैं। फिर जो सर्विस में भी हैं या आते हैं उनको, भावना चेन्ज नहीं होने के कारण, कहा जाता है कि तुम्हें धोती धोनी पड़ेगी, यह काम करना पड़ेगा, वह करना पड़ेगा, झाड़ू लगाओ, आठ बजे सुबह आओ। हर तरह से परेशान करते हैं। मेरे पास इसका ज्वलन्त उदाहरण है। मैंने एक आदमी को लगाया साइकिल सवार के काम पर। उससे भी यही काम लिया जाता है, वह कुछ भी कहता है तो कहा जाता है कि क्या तुम्हारे दिमाग बहुत ऊंचे हो गये हैं? तो इस दिशा में भी उचित कदम उठाया जाना चाहिये।

इसके अतिरिक्त मैं आपको अलॉटमेन्ट ऑफ फण्ड्स के बारे में भी कहना चाहता हूं। राजस्थान में हरिजनों की संख्या २५ लाख है। अब उनकी आर्थिक दशा और सामाजिक दशा सुधारने के लिये राज्य सरकार से और केन्द्रीय सरकार से रुपया काफी नहीं मिलता। इसलिये क्या होता है कि जो जन्म से ही गरीबी में रहे हैं उनको पूरा हक नहीं मिलता। जिनके पास कुछ साधन हैं; शिड्युल्ड ट्राइब्स के लोगों को उनकी संख्या के अनुपात से कहीं अधिक मिलता है। इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार से इस बात के लिये कहे कि शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये जितना दिया जाता है, जिस हिसाब से दिया जाता है उसी हिसाब से हरिजनों को दिया जावे अकोर्डिंग टू देअर पोपुलेशन बेसिस। कम को ज्यादा मिले और ज्यादा को कम, यह अन्याय है। इसलिये सरकार को लिख कर भेजना चाहिये।

राजस्थान सरकार ने म्युनिसिपैलिटियों को लिखा कि चालीस वर्ष से जिसका कब्जा है उस हरिजन को वह जमीन मुफ्त में दे दो। न तो अब कोई चालीस वर्ष का कब्जा साबित कर सकता है और न जमीन मिलती है। बेचारे गरीब कैसे कहां से साबित करें? इसके साथ लोगों की मनोवृत्ति ऐसी है कि हरिजनों को मुफ्त में जमीन क्यों मिले और हमें पांच पांच और छः छः रुपया गज में क्यों मिले। तो नई बस्तियों में अगर उनको जमीन देने की बात भी आती है तो कागज उनके इधर-उधर कर देते हैं और हरिजनों में गरीबी के कारण इतना दम नहीं कि कागज का पीछा कर सकें।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

मुझे बहुत कुछ कहना है, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे यह भी निवेदन करना है कि बहुत से माननीय सदस्यों को भी बहुत कुछ कहना है।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : तो मैं अधिक न कह कर इतना कहना चाहता हूँ कि इस दिशा की ओर कुछ ठोस कदम उठाये जाने चाहिये।

मैं बताऊं कि जयपुर शहर में कई स्कीमें हैं; सी स्कीम है, आदर्श नगर है, अशोक नगर है, बनी पार्क है, न्यू कॉलोनी है और शहर है, इनमें कई रास्ते हैं और उनके नाम किसी का सहदेव मार्ग है, किसी का रमेशचन्द्र मार्ग, किसी का चाणक्य मार्ग, किसी का कबीर मार्ग, पर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कहीं रविदास भक्त के नाम से सड़क का नाम लिखने का मौका नहीं मिला। लोगों में यह मनोभावना रहती है, इससे लोगों की मनोवृत्ति पर असर होता है। जितने काम करना चाहते हैं अपने लिये करना चाहते हैं। सड़कों के नाम भी अपने वालों के ऊपर निकालना चाहते हैं। स्वामी हैं, ऋषि हैं रविदासजी भी, पर उनके नाम की भी अवहेलना करते हैं। रामदेवजी के मानने वाले तो बहुत हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कबीर मार्ग है मेरे ध्यान में ?

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : यह तो है। पर रविदास या रामदेव मार्ग कहीं नहीं........

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : कबीर मुसलमान भी थे, इसलिये उनका नाम है।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : तो बहुत सी बातें सरकार के सामने आईं और सदन के सामने भी आती रहती हैं। आप सब का उत्थान करना चाहते हैं पर जयपुर शहर में रोज हम–आप देखते हैं, महतरानी अपने सिर पर मैले का टोकरा रखे चली जाती है और मैला उसमें से नीचे बिखरता जाता है। एक तरफ गुलछर्रे उड़ावें अफसर लोग और दूसरे लोग पंखों के नीचे बैठें, सिनेमा और रेडियो और छमाछम के नीचे गाने–नाच चलते रहे। पर उधर वह माथे पर उठाये चलती रहे और मैला नीचे गिरता रहे और हम देखते रहें। म्युनिसिपैलिटी की ओर से इसके लिए कौन व्यवस्था करने की नहीं सोचता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : आपने भी देखने के अलावा क्या किया ?

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : आपके प्रयत्नों की मैं सराहना करता हूं। आपने प्रयत्न करके तहारत बनवाये। इसके लिये धन्यवाद है और आगे भी आश्वासन दिया, जिसके लिये आगे से धन्यवाद देता हूं। आपके सामने इन बातों को रखा गया और आपने सहानुभूति दिखाई। पर फिर भी कहना चाहता हूं कि इस दिशा में सरकार को म्युनिसिपैलिटी और समाज कल्याण–वालों को अधिक ध्यान देना चाहिये।

एक है हाउसिंग स्कीम। रिपोर्ट के पेज १५२ पर क्या लिखा है, पेज ८ भी देखें। राजस्थान सरकार की ओर से १०० घर सांसियों और कन्जरों के बनाने की बात थी। इसमें हवाला नहीं कि कहां बसाने की बात थी। अजमेर में बसाने की थी या कहां थी। इसमें लिखा नहीं है। पर तीन साल गुजर गये। रुपया बीच में ही रोक दिया; द्रों कर

(श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री)

लिया पर पचास घर भी नहीं बन पाये और रुपया इधर उधर चला गया। यह अफसोस की बात है। आखिरकार किसी तरह से यह जमाना आया। कांग्रेस के युग में सदियों से पिछड़े लोगों को ऊपर उठाने की बात आई, पर वह रुपया भी इधर-उधर हो गया। नतीजा कुछ नहीं हुआ। उनको खुद को ही दे दिया जाता तो मेरे ख्याल से यह नौबत नहीं आती। यह पैराग्राफ देख लीजिये।

इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि आवास के सवाल के लिये रुपया अगर आप देना चाहते हैं तो तुरन्त दीजिये। ऐसा नहीं कि उनके मकान कुछ बन जावें और बाद में वे अधूरे लटकते रहें और उधर चौमासा आ जावे तो बरसात में वह किया कराया भी साफ हो जावे। फिर आपकी यह मदद किस काम की ?

इसके अलावा जब कि सर्विस में कोई आदमी जाता है तो उसको यह कह कर टाल दिया जाता है कि तुम्हारी पर्सोनेलिटी अच्छी नहीं है। मैं भी अक्सर करके कहीं चला जाता हूं तो मैं इस बात को नोट करता हूं। इसलिये इस ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा और कहूंगा कि हरिजनों को तो ज्वार की रोटी खाने को मिलती है. उनके लिये कहां घी रखा है और फिर कहां से उसकी पर्सोनेलिटी बनेगी ? हां, सेर भर कलाकन्द खाने को मिल जाये रोज तो उसकी पर्सोनेलिटी बहुत अच्छी बन जायेगी। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप उस पेर्सोनेलिटी की तरफ ध्यान न दें बल्कि यह देखें कि किस गरीबी में आकर उसने बी० ए० पास किया है। कम से कम उसके पास डिप्लोमा तो है, सर्टीफिकेट तो है। आप क्यों उसकी सूरत देख कर कोई आॅफिसर या बाबू बनाना चाहते हैं ! इसलिए ज्यादा नहीं कह कर इतना ही कहना चाहता हूं कि इस ओर राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिए।

इसके अतिरिक्त मैं एक विशेष बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं जो यह है उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री उपाध्यक्ष : यह विशेष और अन्तिम बात होगी।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : विशेष और अन्तिम बात होगी, इससे अधिक और कुछ नहीं कहूंगा। मुझे आपकी आज्ञा शिरोधार्य करनी है। वह विशेष बात यह है कि सन् १६५० के अन्दर शिड्यूल्ड कास्ट की जातियों की जो लिस्ट निकली थी अण्डर शिड्यूल आॅर्डर नं० १६५०, इसमें कुछ जातियां छूट गई थीं, लेकिन जब यह एक्ट सन् १६५६ में रिवाइज़ हुआ और नया एक्ट आया और जब कि रीआॅर्गेनाइजेशन आॅफ स्टेट्स हुआ तो राजस्थान के अन्दर कुछ ऐसे जिले थे जो १६५६ से पहले राजस्थान में शामिल नहीं थे; जैसे अजमेर, सिरोही और सुनेल टप्पा वगैरह। अगर आप इस रिपोर्ट को देखें तो उसके अन्दर स्पष्ट जाहिर है कि भारत सरकार ने इस बात के लिए किया है कि जिन ज़िलों के अन्दर हरिजन जातियां छूट गई हैं; जैसे अजमेर में कई जातियां थीं जो इस लिस्ट में आने से छूट गई तो वही जातियां किशनगढ़ में तो शिड्यूल्ड कास्ट में आती हैं और अजमेर में नहीं आतीं; तो इससे यह होता है कि अजमेर के अन्दर जो जातियां शिड्यूल्ड कास्ट में

(श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री)

होनी चाहिये उनके लोगों को सर्टीफिकेट नहीं मिलता है और इसीलिए छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, इसलिए कि आर्डर नं० १९५६ में यह अंकित नहीं है। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये यह निवेदन करूंगा कि ऐसी जो थोड़ी सी जातियां हैं वे ज्यादा थोड़े ही हैं जो अजमेर में शिड्यूल्ड कास्ट की लिस्ट में नहीं आई उनके लिए राज्य सरकार अपनी सिफारिश करके केन्द्रीय सरकार को लिख कर भेजे कि रीआर्गेनाइजेशन के बाद यह स्टेट्स शामिल हुई हैं इसलिये संशोधन लाकर उन जातियों को उस जिले में इन्क्लूड कर दिया जाये। इससे....

श्री दलीपसिंह (बारां) : कौन कौन सी जातियां हैं ?

(२. २० म० प०)

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : बलाई हैं, मुकावल हैं; ऐसी कई जातियां हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं डेफीनिटली बताना चाहता हूँ। मैंने इस बात की काफी स्टडी की है। 'कोली', जो शब्द है, मैं उसकी गहराई में गया हूं। आप पूछना चाहें तो राज्य सरकार को लिख कर पूछ लें। यह शिड्यूल्ड कास्ट की लिस्ट में राजस्थान में है और अजमेर में नहीं है। अगर आप शिड्यूल्ड कास्ट का आर्डर देखना चाहते हैं तो १९५६ का आर्डर मौजूद है पुस्तकालय से मंगा कर देख लीजिए। इसलिए उन लोगों को फायदा मिलने वाला था वह नहीं मिलता है। अगर वह कहीं नौकरी के लिए जाते हैं तो उनको रिज़र्वेशन ऑफ सीट्स का फायदा नहीं मिलता है। अगर वह छात्रवृत्ति के लिये जाते हैं तो वह उनको नहीं मिल पाती है। सिर्फ अदर बैकवर्ड क्लासेज़ को जो फेसिलिटी मिलती है वही उनको मिल पाती हैं। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं अन्तिम बात कह कर समाप्त करना चाहता हूँ कि राज्य सरकार की ओर से सिफारिश होनी चाहिए कि अजमेर जिले में जो जातियां शिड्यूल्ड कास्ट की लिस्ट में आने से छूट गई हैं उनको भी शामिल कर लिया जाये। मैं सभी माननीय सदस्यों को और राज्य सरकार को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हरिजनों के उत्थान के लिए भारी कोशिश की। लेकिन हो सकता है किसी वजह से, हम लोगों की वजह से कि हम ज्यादा नहीं चिल्ला सके या दूसरों की वजह से। ज्यादा कुछ नहीं हो पाया। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि संक्षेप में मैंने जो तथ्य आपके सामने प्रकट किये हैं उनके ऊपर पूर्णत: विचार किया जावे। आपने मुझे थोड़ा बहुत कन्सेशन भी दिया है उसके लिए मैं सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सामने १९५८-५९ की कमिश्नर की रिपोर्ट विचारार्थ है। इस रिपोर्ट में समाज कल्याण विभाग के द्वारा जिस प्रकार का कार्य हमने यहां की अनुसूचित जन जाति और अनुसूचित जाति और जो दूसरी ट्राइब्स हैं उनके विषय में जो कार्यवाहियां की गई हैं उसका विवरण दिया गया है। इस रिपोर्ट में किन किन बातों का उल्लेख किया गया है; उनकी ओर हमें ध्यान देना चाहिये। उसके बारे में

(श्री दयाकृष्ण विजय)

कुछ कहूं, उसके पहले यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे देश के अन्दर जो छूआ-छूत की परम्परा चली आ रही है यह परम्परा केवल कुछ जातियों तक ही सीमित हो, ऐसा मुझे दिखलाई नहीं देता ; बल्कि मैं तो यह देखता हूं कि हमारे राजस्थान में ही नहीं बल्कि समूचे भारतवर्ष के अन्दर यह छूआछूत हर आदमी में है। मैं यह कह सकता हूं कि हमारे भारतवर्ष में हर आदमी अछूत है। एक ब्राह्मण बनिये से एतराज करता है, एक बनिया है वह क्षत्रिय से एतराज करता है और एक दूसरे को चौके में नहीं आने देते। पानी को एक दूसरे के स्पर्श होते ही अछूत समझते हैं। जब इस छुआछूत के विषय में हम जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि छूआछूत का कारण एक नहीं है। इसके भी तीन, चार कारण हो सकते हैं अलग अलग तरीके के और वह समय समय पर यहां पर हमारे सामने भी आये हैं। वैसे तो कुछ संस्कृतिवादी लोग होंगे और उनमें से मैं भी अपने आपको समझता हूं। हम विश्वास करते हैं कि हमारे भारतवर्ष के अन्दर जिस प्रकार की जातियां हैं ये पहले नहीं थी। हो सकता है यह कालान्तर बात हो; मुझे इसका इतिहास देखने को नहीं मिलता। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जातियां जो बनी हैं इन जातियों के बनाने की जो परम्परा है यह जो उनके कर्म थे, काम थे उनके काम के आधार पर एक वर्ग विशेष का निर्माण हुआ और उसके आधार पर धीरे धीरे चल कर ये जातियां बनीं। लेकिन ये जातियां जो कर्म पर बनीं या गुणों पर बनीं तो वे एक दूसरे को अछूत समझने लगीं। हम हिन्दुस्तान में देखते हैं, कुछ तो राजनैतिक कारण हैं। यह देश जिसे भारतवर्ष भी कहते हैं, भारत भी कहते हैं, लेकिन जिसका रूप हिन्दुस्तान है यानि हिन्दुओं का देश। तो जब जब भी इसके ऊपर आक्रमण हुआ. विदेशी लोग जब जब आये तो कहीं हम उनकी दासता में इतने न बंध जायें और उनकी संस्कृति के गुलाम न बन जायें इसलिए हमने छुआछूत अपनाया। चाहे वह मुस्लिम संस्कृति हो और चाहे वह इंग्लिश संस्कृति हो। उन लोगों पर हमने शासन किया, लेकिन छूत-अछूत समझने का, छुआछूत करने का कारण एक राजनैतिक कारण था।

दूसरा कारण जो मुझे दिखाई देता है वह कारण है कुछ समाज के अन्दर अपने आपको ऊंचा समझने की प्रवृत्ति। समाज में अपने आपको कुछ ऊंचा पूंजी के कारण या कुछ गुणों के कारण अपने आपको ऊंचा समझने लगे और उसके कारण दूसरे लोगों को कुछ हीन या गिरे हुए समझा जाने लगा या इसी तरह के किन्हीं कारणों से उनको अछूत समझना स्वीकार किया और ये हमारा श्रेष्ठ वर्ग है और यह शुद्र वर्ग है। तो यह भी एक कारण है, लेकिन जो मूलभूत कारण मुझे दिखाई देता है वह यह कि जिस कारण से यह छुआछूत की परम्परा का निर्माण हुआ, उस कारण को मैं आयुर्वेद का कारण भी कह सकता हूं या स्वास्थ्य का कारण भी कह सकता हूं कि जिसके कारण कुछ लोगों ने यह सोचा कि कहीं कोई गन्दगी है, कहीं कोई बुराई है, कहीं कोई कुछ ऐसी खराबी है जिसके कारण स्पर्श करने से बीमारियां फैलने का डर रह सकता है, जिससे मनुष्य की आयु कम हो सकती है, उसका स्वास्थ्य गिर सकता है, जो

(श्री दयाकृष्ण विजय)

व्यक्ति गन्दे रहते हैं, किसी कारण रोग ग्रस्त हैं तो ये सब जो कारण हैं हमारे आयुर्वेद में इस पर बताया गया है कि गन्दगी के संसर्ग से रोग हो सकता है । उनको दूर करने के लिए ही शायद छुआछूत की परम्परा का निर्माण हुआ । खैर, मैं इन बातों में नहीं जाना चाहता । बहुत से अन्य कारण भी हो सकते हैं । लेकिन मैं यहां कहना चाहता हूं कि हमारा समाज कल्याण विभाग इन कारणों को दूर करने के लिए बल्कि इन कारणों के कारण जो समाज गिर गया है उसको मिटाने की ओर कदम उठा रहा है । हमारे सामने ये जो कुछ भी रिपोर्ट्स हैं ५६-५७, ५७-५८, ५८-५६, जब हम इन रिपोर्ट्स को देखते हैं कि हमारी सरकार ने सन् ५० के अन्दर अपना जो संविधान है तो इस संविधान के आर्टिकल ३३८ है, उस संविधान के आर्टिकल ३३८ के अनुसार एक प्रकार से, एक कमिश्नर की नियुक्ति की जो सारे देश के अन्दर घूम कर जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों की स्थिति है उसका निरीक्षण करे और उस आधार पर प्रदेशों के अन्दर बोर्ड बनाए जायं शिड्यूल्ड ट्राइब्स बोर्ड । राजस्थान के अन्दर भी सन् ५८ में इस प्रकार के बोर्ड्स बने । जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि उनकी प्रार्थना पर जिलों के अन्दर बोर्ड बने । लेकिन इन रिपोर्ट्स में कितने ही ऐसी कमेंट्स हैं जिनको देख कर इतनी निराशा होती है कि हमारा बोर्ड है यह किसी भी प्रकार से काम नहीं कर रहा है । मैं यह मानता हूँ कि जितनी राशि इन जातियों के उत्थान के लिए लगाई जा रही है या इसके लिए दी जा रही है उनका सदुपयोग नहीं हो रहा है । मैं कुछ समय के बाद आपको बताऊंगा कितने ही उदाहरणों द्वारा कि किस प्रकार जितनी राशि दी जा रही है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है । लेकिन मैं सबसे पहले इस रिपोर्ट पर जो कमेंट्स दी हुई हैं उन पर आता हूँ । मुझे यह देख कर सबसे बड़ा दुःख हुआ कि दूसरी जगहों के साथ साथ हमारे राजस्थान के समाज कल्याण विभाग की तरफ से कोई सूचना नहीं भेजी गई और उन्होंने यह लिखा कि राजस्थान समाज कल्याण विभाग द्वारा इस प्रकार से कमेंट्स हमको नहीं प्राप्त हुए । मैं इस बारे में एक बात और निवेदन करूंगा कि इसके जो डिविज़न्स किए गए उनको पांच डिविज़न्स के आधार पर बनाना चाहिए था । लेकिन मुझे यह देख कर आश्चर्य हुआ कि कोटा एक डिविजन है, कोटा एक स्थान नहीं । इसमें देखा गया कि वहां पर डिविज़न हैडक्वार्टर की तरह चीज़ नहीं रखी गई...

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : सारे के सारे मिनिस्टर ही कोटा के हैं ।

श्री दयाकृष्ण विजय : मिनिस्टर्स तो बदलते रहते हैं । यह तो बदलने वाली दुनिया है, पार्टियां बनती और बिगड़ती हैं, मिनिस्टर भी आते-जाते रहते हैं लेकिन स्थान पर स्थाई कार्यालय बन जाता है तो अच्छा रहता है ।

तो मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि इस रिपोर्ट के अन्दर जो स्टेटमेंट्स , जो कमेंट्स यहां से जाने चाहिये वे इसमें नहीं मिलते हैं और जो कुछ भी रिपोर्ट, कमिश्नर की रिपोर्ट को जब मैं देखता हूँ तो उसमें कई बातें ऐसी मिलती हैं कि हमारे यहां जितनी भी इस प्रकार की स्कूलें हैं उनकी संख्या बहुत थोड़ी है शिक्षा

(श्री दयाकृष्ण विजय)

की दृष्टि से। जो प्राइवेट स्तर पर, गैर सरकारी स्तर पर चल रही हैं, इस रिपोर्ट में बतलाया गया है कि जब कभी भी जोधपुर या बीकानेर के इलाकों का दौरा किया और उन्होंने इंस्टीट्यूशन्स को देखा तो उन्होंने लिखा है कि विद्यार्थियों को बहुत कमी है और इसके अतिरिक्त उनके अन्दर भी मेहतरों के बच्चे बिल्कुल नहीं थे। आज बहुत बड़ी समस्या इसकी है। जहां हरिजनों के नामों की बहुत बड़ी सूची दिखाई देती है उस सूची में कितने ही लोग ऐसे हैं जिनसे बहुत कम छुआछूत की जाती है। कुछ जातियां ही ऐसी हैं जिनसे अधिक छुआछूत की जाती है। लेकिन मेहतर वर्ग ऐसा है, जैसा मैंने बताया कि एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि उनकी गन्दगी की वजह से उनसे बिल्कुल ही स्पर्श नहीं किया जाता है। हमारे समाज के लिए जो सबसे निकृष्ट कार्य हो सकता है उस कार्य को करने के कारण ही उनसे खुआछूत की जाती है। यह निश्चित रूप से हमारे समाज के लिए, जो अपने आपको बहुत बड़ा आदर्शवादी समाज कहता रहता है, इतना निकृष्ट कार्य लेने के लिए अपना शर्म से माथा झुक जाता है। हम जब एक इन्सान से इतना निकृष्ट कार्य लेते हैं तो यह निश्चय ही हमारे लिए शर्म की बात है। इस रिपोर्ट में भी इस प्रकार की बात आई है। महात्मा गांधी के शिष्य रत्नागिरी के श्री अप्पा साहब के नाम से जिक्र किया गया है और उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से हम अपनी सफाई अपने ढंग से कर सकते हैं, किस प्रकार से हम लैट्रिन्स का निर्माण कर सकते हैं और हालांकि अप्पा साहब गांधीजी के परम शिष्य थे लेकिन समाज कल्याण विभाग ने उसे अपने हाथ में नहीं लिया। यह देख कर बड़ा दुख होता है कि इस प्रकार की योजनाएं आती हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं होता। हो सकता है कि जो फ्लश लैट्रिन्स हैं, ड्राई लैट्रिन्स हैं ड्राई; फ्लस वगैरह हैं या दूसरे फ्लश सिस्टम हैं, नए नए तरीके आपके सामने हों, सस्ते तरीके हों तो उसकी वजह से इसका उपयोग नहीं किया गया हो लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि यह एक समस्या है जिसकी ओर हमको ध्यान देना पड़ेगा। समाज कल्याण ने बहुत जगहों पर बोर्ड लगाए हैं, बहुत जगहों पर प्रचार कार्य चल रहा है। सिनेमा वाहन भी चलते हैं, रीलें भी दिखाई जाती हैं, सब तरह के काम हो रहे हैं लेकिन लगता ऐसा है कि जितना पैसा खर्च होता है, जितना पैसा व्यय किया जाता है उसका रिटर्न जो मिलना चाहिये वह दिखाई नहीं देता। जो कुछ हमें तरक्की दिखाई देती है वह तरक्की उस हरिजन वर्ग में दिखाई देती है जो पहले से जाग्रत था, जिन लोगों के पास साधन था। आज यह कहा जाता है कि हरिजनों के उत्थान पर या दूसरी पिछड़ी जातियों पर कार्य हो रहा है लेकिन जब मैं यह देखता हूं कि समाज कल्याण विभाग द्वारा जितनी संस्थाएं चलाई जा रही हैं या जो इस प्रकार की संस्थाएं चलती हैं उनमें सरकार अँशदान करती है उन सब में इतना अधिक खर्चा हो जाता होगा जितना किसी दलित जाति या दलित वर्ग के उत्थान पर लगना चाहिये! किस प्रकार हरिजन सेवक संघ, दलित जाति संघ, भारतीय गांधी अध्ययन केन्द्र, बी. के. संस्कार केन्द्र, ट्रेवलर्स रिसर्च ब्यूरो आदि अनेकों संस्थाएं ऐसे कार्यों में लगी हुई हैं जिनके एस्टब्लिशमेंट में ही सब खर्चा हो

(श्री दयाकृष्ण विजय)

जाता है? सेंटर में भी एडवाइज़री बोर्ड बने हुए हैं, प्रोन्विसी और डिस्ट्रिक्ट्स में भी बोर्ड्स बने हुए हैं। उनकी मीटिंग्स वगैरह में भी काफी खर्चा हो जाता है; उसके बाद जितना रुपया खर्च होता है उसका जितना परिणाम निकलना चाहिए उतना नहीं निकल पाता। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आज अनेकों संस्थाएं इस क्षेत्र में कार्य कर रही हैं उनके एस्टेब्लिशमेंट में काफी खर्चा हो जाता है और उस रुपये से जिन लोगों को वास्तव में लाभ मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता। इसलिए इन संस्थाओं का सारा बजट एक संस्था के पास रह सके तो यह रुपया इन लोगों के उत्थान के लिए अच्छी तरह से काम आ सकता है, ज्यादा परिमाण में काम आ सकता है।

अब यह एक और समस्या आती है कि जगह जगह हरिजनों का नाम लेकर या और जातियों का नाम लेकर इन्स्टीट्यूशन्स खोली जाती हैं। मैं कम से कम इस बात का पक्षपाती नहीं हूँ कि इस तरह से समाज के अन्दर हरिजनों, चमारों, बैरवों में इस प्रकार का भेद करें। जब तक हम इस प्रकार की ट्राइब्स या दूसरी जातियां हैं, उनका भेद खत्म नहीं करेंगे, अलग अलग इस प्रकार की शृंखला और रिज़र्वेशन और इस तरह की बातों को रखेंगे तब तक मैं समझता हूँ कि आज यह चीज और ज़्यादा बढ़ती जाती है। जब हम यह सोचते हैं, सारी बातें सोचते हैं उनका भेद नहीं मिटता है; बल्कि उसके लिये कदम उठाने चाहिए। ये जातिवाद को लेकर जो कदम उठाये हैं वह गलत चीज़ थी। हम सोचते हैं कि जो व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से बहुत गिरा हुआ है हम उसको हर तरह से ऊंचा उठाने की कोशिश करें। हम उसको हर तरह से ऊंचा उठाने की कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूं कि वह बात बिल्कुल ठीक होगी। मैं नहीं कहता कि हरएक आदमी उन जातियों में बहुत ऊंचा है लेकिन जो शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के जो लोग हैं उनकी आर्थिक अवस्था आज, जो और सारे लोग हैं, सवर्ण कहलाते हैं उनकी काफी अच्छी है, लेकिन केवल इसलिए कि शिड्यूल्ड कास्ट को दी गई है वृत्ति, इस प्रकार का अनुदान या दूसरी सहायता वे ही लोग उनका लाभ उठाते हैं। आज तक हमारे अनुदान, सहायता देने का समाज कल्याण विभाग की ओर से जो कुछ काम हो रहा है वह पढ़े-लिखे लोग, समाज के जो शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स और दूसरे नाम से आये हैं वे लाभ उठा रहे हैं। जो कि गरीब आदमी है, जिनका कि जीवन-स्तर गिरा हुआ है वे आपके प्रचार को पढ़ नहीं सकते हैं। आप जो लिख कर प्रचार करेंगे वह उन्हें मालूम नहीं हो सकता है। आप बोर्ड बहुत बड़ा लगा दें वह निरर्थक है, क्योंकि कहावत है कि भैंस के आगे बीन बाजे। वे निरक्षर हैं चाहे जितना बड़ा बोर्ड लगा दें, चार्ट लगा दें उसका लाभ कुछ पढ़े लिखे लोग, जो समाज के सम्पन्न वर्ग के लोग हैं, वे ही उठा सकते हैं। रिज़र्वेशन का लाभ उठाते हैं।

ग्राम पंचायतों में रिज़र्वेशन, पंचायत समितियों में रिज़र्वेशन, असेम्बलीज़ में रिज़र्वेशन, पार्लियामेंट में रिज़र्वेशन है। मैं यहां पर यह रिपोर्ट देख कर आश्चर्यचकित हुआ कि राज्य सभा में एक भी आदमी

(श्री दयाकृष्ण विजय)

शिड्यूल्ड कास्ट का नहीं गया है जब कि और प्रोविन्सेज़ से गये हुए हैं । मैं भेद डालने की वृत्ति से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इतना बताना चाहता हूं कि हमारे यहां से भी राज्यसभा के लिए एक व्यक्ति चला जाता तो ठीक रहता, क्योंकि ये रिज़र्वेशन किये गये हैं।

लेकिन मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जातिवाद के आधार पर रिज़र्वेशन नहीं करके जिन लोगों का जीवन स्तर बहुत ही गिरा हुआ है, उन लोगों को, चाहे किसी वर्ग के हों, उठाने की बात करते तो मेरी समझ में ज्यादा अच्छा होता बनिस्बत इसके । छुआछूत का प्रश्न नहीं है, समाज कल्याण से इसका सम्बन्ध है । मुझे ऐसा लगता है कि दलित समाज को उठाने की समस्या छुआछूत को दूर करने की समस्या रह गई कि मंदिरों में इतने प्रवेश कराये । लेकिन हमारे परम्परागत रूढ़ तरीके के संस्कार बन गये हैं । उन संस्कारों को दूर करना कोई एक दिन का काम नहीं है । उसके लिए हमें इस प्रकार के वातावरण का निर्माण करना होगा । संस्कार निर्माण के केन्द्र करने पड़ेंगे, जिससे मिलजुल कर काम कर सकें, एक साथ बैठ कर काम कर सकें, जहां जातीय भेदभाव की वृत्ति समाप्त हो जाय । लेकिन जहां रिज़र्वेशन रखे गये, जहां छोटी छोटी जातियों को अलग अलग बांटा गया, मैं समझता हूं कि जहां सब को एक करने का मसला है, छुआछूत को मिटाने का मसला है वह इस प्रकार के रिज़र्वेशन से नहीं हो सकता है । मैं कहता हूं कि रिज़र्वेशन आर्थिक आधार के ऊपर किया जाना चाहिए । समाज कल्याण विभाग इस आधार को लेकर चलता तो मैं समझता हूं कि ज्यादा हित कर होता बनिस्बत जाति और जातिवाद के आधार पर, जिसको कि बढ़ावा दिया गया है ।

एक और निवेदन करता हूं कि समाज कल्याण ने दलित जाति के लोगों को, जो कि गिरे हुए थे उठाने के लिए जहां जहां रकम लगाई है उसका सदुपयोग नहीं हुआ है । मैं सबसे ज्यादा उस बात को लेता हूं हाउसिंग के लिए किस प्रकार से उन्होंने किया है । मैं खुद अपना व्यक्तिगत मत रखता हूं कि किसी जाति को उठाने के लिए मकान बनाने की इतनी जरूरत नहीं है जितनी कि उसकी जरूरत के जो सारे साधन हैं; आप चाहे उद्योग दें, चाहे भूमि दें, चाहे और किसी प्रकार का आर्थिक जीवन स्तर उठाने का साधन दें । पैसा नहीं देंगे और मकान बना कर रख देंगे तो हवा खाकर जीने वाले नहीं है । आज आप देखें कि हरेक किसान अपने खेत में छोटी झोपड़ी बना कर रह सकता है, लेकिन जमीन चाहिए, बैल चाहिए । बीज चाहिए, सिंचाई के अच्छे साधन चाहिए, लेकिन जब तक सारी चीजों को नहीं देते हैं, एक परिवार को सिर्फ १५ बीघा जमीन देते हैं; एक हरिजन परिवार जिसके कि बाल-बच्चे भी ज्यादा होते हैं, मैं उस स्थिति में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन गरीब आदमियों के बाल-बच्चे ज्यादा होते हैं, उस परिवार का गुजर नहीं हो सकता है १५ बीघा जमीन से । उससे उनका जीवन-स्तर नहीं बढ़ा सकते । हो सकता है कि कुछ राहत दे दें । लेकिन जब तक हम उन्हें बसाना चाहते है तो मकानों को प्राथमिकता नहीं देकर बहुत छोटे छोटे उद्योग खोलें । मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ उदाहरण के

Page No.80

(श्री दयाकृष्ण विजय)

साथ। जितनी भा कोआँपरेटिव सोसाइटीज इन लोगों कि बनती हैं उनै कोआँपरेटिव सोसाइटीज़ द्वारा जिस प्रकार का उद्योग चलता है उसमें उनको प्राथमिकता नहीं दी जाती है। मुझे उदाहरण याद आया, शायद माननीय मंत्री महोदय को भी याद होगा क्योंकि वे भी मेरे जिले के हैं, कि पटोंदी के आदिवासी लोगों की एक सोसाइटी बनी, जो सहरिया लोग हैं उनकी सोसाइटी बनी। ब्लॉक के बी. डी. ओ. का भी पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ। लेकिन वन विभाग इस प्रकार का निकृष्ट था कि एक अच्छा वन था और एक बार उसका उन्होंने कत्थे का ठेका लिया था और उनके ऊपर जो कर्जा था उसको चुकाने की कोशिश की; लेकिन दूसरी बार जब उन्होंने चाहा कि उन्हें वही वन दिया जाय कत्था बनाने के लिए लेकिन उनको वह वन नहीं दिया। बाद में बी. डी. ओ. कलेक्टर साहब और मैंने, अपना भी नाम ले सकता हूं, प्रयत्न किये तब जाकर उनको दूसरी जगह का टेका दिया कत्थे का। इस प्रकार का व्यवहार इन लोगों के साथ में किया जाता है। आज आदिवासियों को उठाने का सारे विभागों का काम है, उनको उठाना चाहिये। केवल समाज कल्याण विभाग का ही काम नहीं है। चाहे वह फोरेस्ट विभाग हो, इन्डस्ट्री विभाग हो, ट्रान्सपोर्ट विभाग हो; ये सब इन लोगों को जब तक प्राथमिकता नहीं देंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा मुझे लगता है।

मैं सारी गलती का आधार आर्थिक मानता हूं। इनकी कमियां छुआछूत; ये सारी चीज़ें दो कारणों पर आधारित मानता हूँ। जब आप इन इन दोनों कारणों का निवारण कर देंगे तो यह समस्या नहीं रहेगी। इसमें पहला कारण अर्थ है और दूसरा शिक्षा है। जब हम अर्थ देंगे, जब हम इनके आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए कदम उठायेंगे तो निश्चित रूप से यह ऊंचे उठेंगे। जब हम उनको शिक्षा देंगे, ज्योंही वे शिक्षित होंगे तो उनके बच्चे अच्छी अच्छी नौकरियों पर जायेंगे। सरकार इन दोनों कारणों पर रकम खर्च करे। इनके अलावा और दूसरे साधनों की आवश्यकता नहीं है।

यह कहा जाता है कि हमारे यहां २५ लाख हरिजन और २० लाख आदि वासी हैं। ये सारे आंकड़े रखे हैं। तो इनके बच्चों को शिक्षा देने के लिए कम्पलसरी एज्युकेशन शुरू कर सकते हैं। इन लोगों को किताबें वगैरह दें। इनके लिए अलग स्कूलों की जरूरत नहीं है। जो स्कूल हैं, जहां कि सारे बच्चे आते हैं उन्हीं के अन्दर भेजा जाय। जहां जहां प्राइमरी स्कूल्स हैं वहां वहां इन लोगों के बच्चों के लिए कम्पलसरी एज्युकेशन की योजना बनानी चाहिए। उन लोगों के बारे में सारे आंकड़े उपलब्ध होने चाहिये और उन आंकड़ों के आधार पर पढ़ने के साधन उनके बच्चों को दिये जाने चाहिये। कम से कम इस प्रकार का आॅर्डर समाज कल्याण विभाग की ओर से सब पंचायत समितियों को और ग्राम पंचायतों को देना चाहिये कि प्राथमिक स्कूलों में यह देखा जाय कि कोई हरिजन बच्चा या बच्ची, दलित जाति का बच्चा-बच्ची रह तो नहीं जाता है। उनके बच्चों को उनके बच्चे-बच्चियों को कम्पलसरी बुलाया जाय चाहे सवर्णों के बच्चे नहीं आयें, लेकिन उनके लिये प्राथमिकता इस बात की हो कि समाज के जो गिरे हुए लोग हैं आर्थिक दृष्टि से उनको जरूरी शिक्षा

(श्री दयाकृष्ण विजय)

मिलनी चाहिए। उस परिवार को शिक्षा मिलनी चाहिए। उसका प्रत्येक बच्चा-बच्ची वहां पर आता है या नहीं, इस प्रकार के ऑर्डर्स इश्यू होने चाहिये। हो सकता है कि इसके बारे में ऑर्डर्स इश्यू हो जायं लेकिन उनका पालन होता है कि नहीं, इस बात की कड़ाई से निगरानी की जरूरत है।

मैं एक उदाहरण दे रहा हूं मकामों के बारे में। हमारे यहां शाहबाद के अन्दर आदिवासी सहरियों को बसाने के लिए कुशलपुरा, शुभधरा कॉलोनीज़ बसाई और एक और कॉलोनी परानिया में बसाई गई। मैं आश्चर्य के साथ कहता हूँ कि उनको जमीन दी गई लेकिन सिंचाई के साधन समय पर नहीं मिले। इसका नतीजा यह हुआ कि वह कॉलोनी बसने वाली थी लेकिन २००,२५० परिवार वहां के छोड़ कर चले गये। इसका एक उदाहरण यह भी है कि परानिया में एक बस्ती बसाई गई, उसमें मकान बनाये गये। और अभी रघुबाड़े में मकान बनाये जो गिर गये और कुशलपुरा में भी यही हाल हुआ। आखिर बनाने में जो पैसा लगा वह व्यर्थ गया आज हमें समाज कल्याण विभाग जो कार्य करता है उसको भी देखना पड़ेगा कि जहां पर मकान बनाये जाते हैं वे अच्छे बनें। ५०० या ७५० रुपये दिये जाते हैं और कहा जाता है कि पूरे मकान बनाये जांय लेकिन इतने पैसे में मकान नहीं बन सकता। और जिनको मकान बनाने का ठेका दिया जाता है वे इतने निकम्मे लोग होते हैं कि जो मकान वे बना कर देते हैं वे अगली बरसात में गिर जाते हैं।

इस प्रकार का शिक्षा का स्तर है। दो दिन पहले एक माननीय सदस्य ने जिक्र किया था एक छात्रावास का। किस कारण से उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया, मैं नहीं जान पाया। ऐसी जगह ले जाया गया जहां न प्रकाश है, न हवा है। किस कारण से हटाया गया? आखिर क्यों ऐसी कार्यवाही की गई? इस प्रकार का कार्य क्यों किया जाता है जिसके कारण हड़ताल करनी पड़े? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब मेहनत करके पढ़ते हैं और इतनी रकम सरकार की खर्च होती है तो यह कर्त्तव्य हो जाता है कि उसकी देखरेख अच्छी तरह से हो। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एस्टेब्लिशमेंट पर जो इतना खर्चा होता है उसको खत्म करके एक ही विभाग रखा जाय जो अच्छी तरह से काम करे और यह देखे कि जिस काम के लिए पैसा लगता है। वह अच्छी तरह से होता है या नहीं। हरिजनों के साथ क्यों भेदभाव का वर्ताव किया जाता है? दूसरी छोटी जाति के लोगों के साथ जो इस प्रकार का वर्ताव किया जाता है उसे फौरन बंद करना चाहिये। मुझे देख कर दुःख होता है। विमुक्त जाति के लोगों के लिए और हरिजनों के लिए मेरा अपना दृष्टिकोण यह है कि जो जमीन इन जाति के लोगों के लिए रिज़र्व रखी जाती है उसको पंचायत में बैठने वाले ले लेते हैं या उनके रिश्तेदारों को मिल जाती है। आप यह कह सकते हैं कि हमने हरिजनों के लिए रिज़र्वेशन किया है, लेकिन वे लोग अनपढ़ होते हैं। प्रधान ही कार्यवाही करते हैं और उसकी अकेले की आवाज चल नहीं पाती। इस कारण से जितना एलॉटमेंट होना चाहिये उतना नहीं होता। मैं एक बात और कहूँगा कि केवल जमीन के एलॉटमेंट से ही समस्या का हल नहीं है; लघु उद्योगों

(दयाकृष्ण विजय)

और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के जरिये भी इन्हें प्राथमिकता दी जाय और इन्डस्ट्रीज़ जहां खोलनी हों वहां इन लोगों को प्राथमिकता दी जाय। जब तक खेती के साथ इन्डस्ट्रीज़ में इनको नहीं रखेंगे तब तक इनकी समस्या हल नहीं होगी। जब आप जीवन में गिरे हुए लोगों की समस्या को हल करना चाहते हैं तो एक बात की ओर आपको ध्यान देना पड़ेगा और वह यह कि इन्डस्ट्रीज़ के लिये दी जानेवाली रकम उन लोगों के लिए रिज़र्व रखी जाय ;और वह रकम उनको मिलती है या नहीं; इसकी जांच एडवाइज़री बोर्ड घूम घूम कर करे और साथ ही साथ जो प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य है वहां पर उन लोगों के बच्चों को लाकर रखा जाता है या नहीं, इस ओर भी ध्यान देना चाहिये।

यद्यपि समाज शिक्षण का काफी काम हुआ है, रात्रि शालाएं चलती हैं हालांकि उनकी संख्या ज्यादा नहीं है; यह देख कर दुःख होता है कि सिर्फ १२ इन्स्टिट्युशन्स यहां पर काम कर रहे हैं और ६ गैर सरकारी इन्स्टिट्युशन्स काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जितने सदस्य रिज़र्व सीट्स से चुन कर यहां आये हैं उनका भी कर्त्तव्य होना चाहिये कि वे रात्रिशालाएं चलावें और इन भाइयों के उत्थान के लिये काम करें और वे दूसरों पर निर्भर न रहें। मैं अपने आपको दोषी समझता हूँ इसलिये कि हम सरकार की ओर हर काम के लिये देखते हैं। समाज शिक्षण और समाज उत्थान की समस्या है वह व्यक्तिगत नहीं हो सकती। सामाजिक कार्य सरकार के हाथ में ही देकर निश्चित हो जायेंगे तो काम नहीं चलेगा। सामाजिक कार्यकर्त्ताओं का कर्त्तव्य है कि वे अपने हाथ में लेकर इन संस्थाओं को चलावें, उनकी आलोचना करें, उनको रास्ता दिखावें। ये सारी बातें सामाजिक कार्यकर्त्ताओं को करनी चाहिये।

मैं यह भी कहूंगा कि केवल भाषणों से काम नहीं चलेगा; इन कार्यों को प्रेक्टिकल रूप देना होगा। जितनी रकम सरकार से मिलती है उसका सदुपयोग होना चाहिये। इसके बावजूद भी हम अपने खुद का कितना करते हैं, हम खुद छुआछूत मिटाते हैं या नहीं इसका भी आत्मलोचन करना चाहिये। मैं दावे के साथ कहता हूं कि मेहतर समाज से दूसरे हरिजन लोग अपने को ऊंचा समझते हैं। वे भी उनको अछूत समझते हैं। हो सकता है, भाषणों में कह सकते हैं कि छुआ-छूत मिटाना चाहिये, लेकिन मेरा अपना अनुभव है कि उन लोगों में भी छुआछूत की बात है। हमारी समाज कल्याण की रिपोर्ट में आया या नहीं, जो काम समाज कल्याण के लिये चल रहे हैं वे अपर्याप्त हैं, उसके लिये राशि बहुत है लेकिन अलग अलग विभागों को खत्म करना चाहिये ; बल्कि समाज कल्याण के लिये रखा गया पैसा पंचायत समितियों को देना चाहिये और सामाजिक कार्य के लिये एक अलग एक्स-टेन्शन ऑफिसर रखना चाहिये जो पिछड़ी जातियों के उत्थान का काम करे क्योंकि इतने छोटे छोटे गांव हैं जहां भुखमरी और बेकारी दूर नहीं हुई है। हो सकता है, ऐसे दूसरी जगह भी हों लेकिन कोटा में तो हैं। वहां की म्युनिसिपैलिटी ने साढ़े पांच लाख रुपयों की एक योजना बनाई थी लेकिन वह अब तक उलझी हुई है, ये रुपये म्युनिसिपैलिटी

(श्री दयाकृष्ण विजय)

को नहीं मिल रहे हैं। ये मिलते तो गंदी बस्तियों का उत्थान कर सकते थे। हम पंचायत समितियों को यह अधिकार दें, एक्सटेन्शन आॅफिसर रखें जो इनको देखें और हरिजन समाज को ऊंचा उठाने का माप दंड होना चाहिये। उनके यहां जो कमियें हों उनकी पूर्ति करने की ओर कदम उठाना चाहिये।

३ म० प०

(श्री आबिदअली, सभापति, पदासीन)

आज समाज कल्याण के काम में पैसा बहुत खर्च होता है। राजस्थान में इस क्षेत्र में करने के लिये बहुत काम हैं। उसके लिये प्रयत्न करना चाहिये। यह काम सरकार पर ही नहीं छोड़ना चाहिये। हमें भी इसके लिये आगे आना चाहिये। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जातिवाद को हटा कर पूरे राष्ट्रीय ढंग से काम करेंगे तभी कुछ हो सकेगा।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : सभापति महोदय, जो विवरण हमारे सामने प्रस्तुत है, मैं समझता हूँ वह विषय सारे देश के राष्ट्रीय उत्थान की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जो विवेचन यहां मेरे अन्य मित्रों ने किया है मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन भारत के आजाद होने के बाद उन जातियों को जिनको हम कुल मिलाकर पिछड़ी जातियें कहते हैं उनके कल्याण के लिये जो कुछ कार्य राजकीय स्तर और सामाजिक स्तर पर किया है उसका कुल परिणाम जो हमारे सामने है उसकी ओर मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ।

सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि पहले पहल जब समाज कल्याण का कार्य हमारे संविधान की आज्ञा से तैयार हुआ तब मैं कहना चाहता हूं कि उदयपुर डिविज़न के साथ अनायास अन्याय हुआ। सन् ५० से इस समस्या की ओर हम राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार का ध्यान दिला रहे हैं लेकिन इतने अच्छे छपे हुए विवरण में भी मुझे उस समस्या का समाधान नहीं दिखाई दिया। मैं....

श्री भीखाभाई (सिंचाई मंत्री): हो जायगा

श्री जनार्दनराय नागर : माननीय मन्त्रीजी कहते हैं, हो जायगा। आज गणराज्य, जनतंत्र को स्थापित हुए काफी अरसा गुजर गया, एक युग समाप्त होने आ रहा है, सभापति महोदय, और हमारे मन्त्री महोदय कहते हैं, समस्या हल हो जायगी। मैं माननीय मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं कि समस्या का हल नहीं होगा। उन्होंने खुद ने कोशिश की, राज्य सरकार ने कोशिश की, हम लोगों ने कोशिश की, जनमत ने कोशिश की, लेकिन वह समस्या ज्यों की त्यों है और आज ऐसी स्थिति है कि कम से कम ११ लाख भील-मीणें हैं जिनके लिए समाज कल्याण के विकास के सारे प्रयत्न खटाई में हैं, जो राज्य सरकार की दया दान के ऊपर निर्भर हैं। जो संविधान ने उनको अधिकार दिया है, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की है, भारतीय संविधान के अनुसार उनके विकास के जो कार्य हुए हैं, उनके फायदे मे ११ लाख भील-मीणों को महरूम कर दिया गया है राजस्थान के अन्दर। इस समस्या की

(श्री जनार्दनराय नागर)

ओर सालों से, न केवल राजस्थान सरकार का बल्कि भारत सरकार का, जो इस विषय के लिए जिम्मेवार है, उसका ध्यान खींचते रहे हैं। इस रिपोर्ट के विधायक जो कमिश्नर साहब हैं, वे एक कमीशन के रूप में उदयपुर तशरीफ लाये थे और सारे उदयपुर डिविज़न से, इन सारी जातियों के प्रतिनिधियों का एक हज्जूम इकट्ठा किया गया था। सभापति महोदय, सारी बातों को, सारे तथ्यों को उनके सामने रखा गया, सारी दलीलें रखी गईं और उन्होंने इसको मान लिया कि यह अन्याय अखिल भारतीय स्तर पर हुआ है। यह कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके कारण भी मालूम हैं। उस समय राजस्थान में एक राजनैतिक परिस्थिति चल रही थी, उस राजनैतिक परिस्थिति से विवश और मजबूर होकर उस समय लोगों ने, जो राजस्थान को चलाना चाहते थे, चला रहे हैं, उन्होंने जान-बूझ कर उदयपुर के ११ लाख भीलों के साथ इस तरह का अन्याय किया। एक छोटा सा टुकड़ा उदयपुर से चुन लिया गया और उस टुकड़े को शिड्यूल्ड ट्राइब्स एरिया में लिया गया, बाकी सारे इलाके को छोड़ दिया गया। सवाईमाधोपुर के पास के इलाके को छोड़ दिया गया, चितौड़ के इलाके को छोड़ दिया गया और मैं समझता हूं कि सिवाय बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बहुत से इलाकों को छोड़ दिया गया। यह समस्या हमारे सामने आई तथा हमने उसको सामाजिक परिस्थिति में समस्या नम्बर एक माना और उसके लिए कांग्रेस की ओर से, दूसरे संगठनों की ओर से जो कार्यवाही हो सकी वह की। उसका परिणाम कुछ नहीं हुआ। आगे जाकर हमारी राज्य सरकार की नीति बनी कि राज्य सरकार के ऐसे विभागों का पैसा है, उसका कुछ परिमाण हमारे इन लोगों को दिया जाय। मैं आपकी सूचना के लिए, सभापति महोदय, यह कहना चाहता हूं कि आज करीबन सात लाख भीलों को उसका फायदा नहीं मिलता।

(करतल-ध्वनि)

उन बातों का, जो पिछड़ी हुई जातियों को समाज कल्याण विभाग से मिलती हैं, यह विशेष दुःख की बात है। सभापति महोदय। फिर एक प्रश्न उठता है। आखिर इनका एक दफ्तर है, एक विभाग है, उसके द्वारा इतने ज्यादा, सात लाख लोगों के भविष्य की सुरक्षा के प्रश्न पर कुछ क्यों नहीं हुआ? कहा यह जाता है कि हुक्म ऐसा था भारत सरकार का, जिसमें उनको दाखिल नहीं किया गया था। एक बात उठाई गई, बिना पाये की उठाई गई, भील और मीणों में फर्क है। हमने साबित कर दिया, श्रीकान्त भाई जो कमिश्नर हैं, वे खुद जानते हैं कि यह बनावटी बात है, इसके अन्दर सार नहीं है। लेकिन सारी बातों को जानते हुए, सभापति महोदय, आपको सुन कर आश्चर्य होगा कि जहां शिड्यूल्ड एरिया कायम किया गया है, उसके और अनशिड्यूल्ड एरिया के भील और मीणे हैं उनमें व्यवहार है और शिड्यूल्ड एरिया और अनशिड्यूल्ड एरिया के लोगों में आपस में शादी-विवाह होते हैं; रीति रिवाज, खान-पान एक है, चमड़ा एक है। न जाने क्या बात हुई, क्या फिसरत हुई कि उन सात लाख भीलों को कह दिया गया तुम पात्र नहीं हो। बहुत काम हुआ, यह कहा गया है। बड़ी अच्छी छपी हुई रिपोर्ट है। सारी बातों की मैं कद्र करता हूं। बड़ी इज्जत की निगाह से मैं विवरण को देखता

(श्री जनार्दनराय नागर)

हूँ। लेकिन मेरा प्रश्न है इन सात लाख भील-मीणों के लिए क्या दलील है भारत सरकार के पास, क्या दलील है राजस्थान के समाज कल्याण विभाग के पास ? कहा जाता है कि यह समस्या हल हो जायगी। यह समस्या निरन्तर चलने वाली समस्या है। हल हो जायगी, उस उम्मीद पर यह समस्या हल नहीं हो सकती। हम उसका जवाब आज मांगना चाहते हैं। जब इस सदन में इस बात की आलोचना कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं और इस बात का मूल्यांकन कर रहे हैं, आखिरकार इन पिछड़ी हुई जातियों के उत्थान के लिए गये वर्षों में क्या कुछ कर सके हैं ? तो सात, आठ लाख लोगों की समस्या हमारे सामने खड़ी हो जाती है। मुझे ताज्जुब है, दुःख है यह कहते हुए कि हमने राष्ट्रपति से और कई जिम्मेवार लोगों के सामने यह समस्या रखी, शिष्टमंडल के द्वारा सामने रखी, सम्मेलनों के द्वारा सामने रखी; लेकिन समस्या हल नहीं हुई। क्या हो गया है ? समस्या हल क्यों नहीं होती है ? एक मित्र ने कहा कि जो जातियां मानी गई हैं उनकी सूची में यह नहीं आती है। उनके साथ मुझे सहानुभूति है। पिछड़ी हुई जातियों में से एक जाति छूट जाती है, उसके विकास का सवाल है, आखिर हिन्दुस्तान की मानवता का सवाल है। यह न समझें कि इन पिछड़ी हुई जातियों, जिनमें हरिजन, मीणे हैं, उनको सवर्णों के समान स्तर पर लाने के जो प्रयत्न हैं, जो जुम्बिस हैं, कोशिशें हैं, वह अहसान की बात हो। इसमें सवर्णों की दरिया दिली, दयानतदारी का प्रश्न नहीं है। यह भारतीय मानव के उत्थान का सवाल है और सवर्णों के प्रायश्चित का सवाल है। मैं पूछना चाहता हूं कि सात लाख, आठ लाख भीलों का क्यों एक्सेप्शन हो ? १९६० चल रहा है, माननीय मन्त्री महोदय कह रहे हैं, यह समस्या चल रही है, विचाराधीन है। कौनसी मजबूरी है, क्या वजह है कि सारे ऐतिहासिक, सामाजिक, परम्परागत संदर्भों, सारे तथ्यों के होते हुए भी इन सात लाख लोगों को शिड्यूल्ड एरिया में क्यों दाखिल नहीं किया गया है ? आज क्यों महरूम किया जा रहा है उन लाभों से, जो लाभ दूसरे क्षेत्रों के भीलों और मीणों को मिल रहे हैं ? सारे राजस्थान में ११ लाख भील और मीणे हैं, जिनमें से तीन लाख के करीब शिड्यूल्ड एरिया में दाखिल किये गये हैं; बाकी सात लाख, आठ लाख को छोड़ दिया गया है, यह बड़े दुःख की बात है। मैं कहना चाहता हूँ कि हरिजनों का सवाल है, पिछड़ी हुई जातियों का सवाल है, मैं समझता हूँ, वह सामाजिक और आर्थिक सवाल है। लेकिन भील और मीणों का सवाल है, मैं कहना चाहता हूं कि न तो वह सामाजिक सवाल है और न आर्थिक सवाल है, बल्कि वह मानवता के उत्थान का सवाल है। भील और मीणों के पीछे एक इतिहास है, उसको हम जानते हैं। आज सवर्ण जनता भील और मीणों के प्रति जितनी अहसानमन्द हो उतना कम है। उस सात लाख, आठ लाख राजस्थान की जनता के लिए थोड़ा आर्थिक सहयोग दिया जा रहा है, थोड़ा बहुत विकास का काम हो रहा है और जो भारतीय संविधान ने सुरक्षा दी है, जो भविष्य की आशा दी है, जो वायदा दिया है, उसका फायदा नहीं मिल रहा है। मुझे अधिक कुछ नहीं कहना है। मैं यह कहना चाहता था कि यह जो राजस्थान का पिछड़ा

(श्री जनार्दनराय नागर)

हुआ तबका है वह तबका आज उन बातों से महरूम कर दिया गया है, यह किसकी भूल है, यह मैं पूछना चाहता हूं। जिन्होंने भूल की है, मेरी दृष्टि से वे क्षमा के योग्य नहीं हैं।। सभापति महोदय, हमारे यहां क्षमा देने की छूट है, किन्तु जान बूझ कर इन सात लाख, आठ लाख-भील और मीणों के गले पर छुरी फेर दी गई. १६५० मे, यह इतना दर्दनाक है कि उनको कटघरे में खड़ा करके दलील मांगी जाय तो उचित बात होगी।

(विराम)

आप कल्पना कीजिये,११ वर्ष में सात लाख,आठ लाख लोगों को कहां ले जा सकते थे। हमारे माननीय मंत्रीजी उस सारे दर्द को मुझसे ज्यादा जानते हैं। मैं तो एक सांस्कृतिक बुजुर्वा हूं हिन्दुस्तान का, इसलिए मेरी सहानुभूति में सांस्कृतिकता छिपी हुई है। लेकिन जो मंत्री महोदय, जो इस वंशवृक्ष से उत्पन्न हुए हैं, और बड़े ऊंचे नागरिक हैं उस जाति के, उनके क्षेत्र में जो सुरक्षा मौजूद है, जो लाभ की चीजें हैं, उनके क्षेत्र में उनका उपयोग हो रहा है। सवाल यह है कि चित्तौड़ में रहने वाले, भीलवाड़ा में रहने वाले, सवाई माधोपुर में रहने वाले भील-मीणें हैं, वे अलग नहीं हैं। सारे सवाल हमारे सामने हैं। आप कहना चाहते हों कि हरिजनों के लिए पाठशालायें खोल दी, उनको कुछ तकावी दे दी, कुंए खुदवा दिये, बैलों का इन्तजाम कर दिया, मकान बनवा दिये। हम कहते हैं, उद्धार किया है समाज कल्याण विभाग ने। मैं इससे इन्कार नहीं करता। मैं आपके सामने, व्यापक आधार पर जो अन्याय हुआ है, होता चला जा रहा है, आज भी हो रहा है, उसके लिए दलील मांगता हूँ। अगर किसी के पास दलील हो, तो वह दे। यह कहा जाने वाला हो, साहब हम सुनते हुए भी नहीं सुनना चाहते, हमारी मजबूरी है, हमारी विवशता है, तो मैं कहना चाहूँगा कि भील और मीणों का उद्धार करना समाज कल्याण विभाग का प्रोग्राम है, वह राजस्थान के एक-तिहाई को सुविधा दे और दो-तिहाई को छोड़ दे; तो वहां यह दलील नहीं चल सकती। यह बात मैं सदन में कहना चाहता था। मुझे अफसोस है कि इस बात को अनुभव के साथ कहने के लिए मैं पात्र नहीं रहा हूं क्योंकि संगम में काम करनेवाला हूँ। इसलिए राजस्थान और भारत सरकार के सामने रखी और जितना कुछ हो सकता था करने की कोशिश की। मुझे वास्तव में बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आज हमारे यहां पर इस तबके के मंत्री मौजूद हैं और दूसरे भी कई लोग इसी तबके के हमारे यहां सदन में मौजूद हैं मगर फिर भी ७-८ लाख भील और मीणों का प्रश्न आज भी उसी तरह से चला आ रहा है जैसा पहले चला आ रहा था और उसका कोई अभी तक हल नहीं हुआ है। इसलिये मैं आपके द्वारा ८ लाख मीणों और भीलों की जो अवस्था है उसकी ओर दिलाना चाहता हूँ और यह कहना चाहता हूं कि उनकी अवस्था आज भी वैसी ही है जो हजारों वर्ष पहले थी। आज उनकी तरफ बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है और उनको बहुत कम लाभ मिल रहा है। जो कुछ भी राहत उनको मिल रही है वह हमारे संविधान द्वारा मिल रही है और उसी से मैं समझता हूं कि उनका विकास हो रहा है।

(श्री जनार्दनराय नागर)

जो कुछ भी विकास उन

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

लोगों का हमें नजर आ रहा है और थोड़ी बहुत मदद समाज कल्याण विभाग द्वारा मिल रही है वह हमारे संविधान के द्वारा ही दी जा रही है !

एक अन्तिम बात आपकी इजाजत से कहूँगा । वह यह कि समाज कल्याण विभाग की इस सम्बन्ध में लोगों को विकास के लिये मदद देने की जो नीति है वह दोष पूर्ण है । समाज कल्याण विभाग में हर तीसरे महीने इन लोगों को मदद देने के लिये जो योजनाएं बनाई जाती हैं वे बदलती रहती हैं । कभी समाज कल्याण विभाग कहता है कि भील और मीणों को मदद दी जावेगी, तो कभी कहते हैं कि बस्तियों की योजना बनाली जाता है तो फिर किसी दूसरी बात के लिये कहते हैं । मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं उन सारी बातों कि चर्चा करूं और साबित करूं कि जो कार्यवाही समाज कल्याण विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में की जा रही है वह अनुचित है। मगर मैं यह कहूँगा कि समाज कल्याण विभाग मनमाने ढंग से योजनाएं बनाता है और मिटाता है और जब उससे कोई पूछता है तो उसका कोई जबाब नहीं देता । आज से तीन वर्ष पहले कहा गया था कि मकानों के लिये उनको ३००) रु० देंगे ।

१९५७ में मैंने कहा कि हरिजन और मीणों की बस्तियें बनाने की योजना है तो उसके बारे में कहा गया था कि बस्ती बसावेंगे, आप हमको बस्ती के लिये योजना दो। हमने योजना दी । हरिजनों की अर्जियां भी दी गई और भीलों व मीणों ने भी अर्जियां दीं, मगर अभी तक उस पर कुछ भी नहीं हुआ ।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भीलों और मीणों को थोड़ी बहुत मदद देने का सवाल भी पैदा नहीं होता है । मैं जानता हूं कि इस मामले में जो कार्यकर्त्ता हैं वे शायद ऐसी बातों को सुनना भी पसन्द नहीं करेंगे । मगर मैं यह समझता हूं कि यह मेरा कर्त्तव्य है कि मैं उन लोगों की आवाज को जहां से मैं आया हूं सुनाऊं और मैं सुनाये बिना नहीं रहूंगा जिन्होंने मुझे चुन कर भेजा है । अगर मैं उनकी आवाज को नहीं सुनाता हूं तो उनके प्रति न्याय नहीं करता ।

मैं यह नहीं कहना चाहता कि इस विभाग के द्वारा राजस्थान में काम नहीं हो रहा है या उदयपुर में काम नहीं हो रहा है। मैं यह कहूंगा कि मेरी कॉन्स्टिटुएन्सी में कुछ नहीं हो रहा है । मेरे निर्वाचन क्षेत्र से जितनी योजनाएं बना कर भेजी गईं उनमें से एक भी योजना मंजूर होकर नहीं आई, बावजूद कई बार विभाग के अधिकारियों और दूसरे कार्यकर्त्ताओं व मंत्रियों से बात करने के । इसलिये मेरी इस विभाग के प्रति बड़ी जोरों से शिकायत है । शिकायत करना मेरी आदत में नहीं है और मैं नहीं चाहता कि किसी की शिकायत करूं । लेकिन जब आदमी ऊब जाता है तब क्या करे, शिकायत करनी पड़ती है । जब समाज कल्याण विभाग वहां की एक भी योजना को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं तो ऐसी हालत में मैं सदन में नहीं कहूंगा तो कहां कहूंगा क्योंकि मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने वाला सदन ही है । इस-

(श्री जनार्दनराय नागर)

लिये मेरा हक है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र की बात यहां पर कहूं।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि कि यह मसला ७-८ लाख मीणों का है, जो सदन के सामने है। मैं यह कहूँगा कि इस सदन का विशेष रूप से एक अधिवेशन करके इन सारी बातों पर बहस करनी चाहिये और भारत सरकार के सामने जो भाषण हों उनको भेजना चाहिये जिससे पार्लियामेंट में कई बातों को रख कर कोई गल्ती हो तो वह सुधारी जा सके। इसलिये सदन को चाहिये कि इसके लिये विशेष रूप से अधिवेशन करे ताकि उनकी जो मुसीबतें और दूसरी अड़चनें हों वे हमारे सामने रखें। मैं समझता हूँ कि इस सदन को इन सारी बातों पर गंभीरता पूर्वक ध्यान देना चाहिये। इतना ही कह कर मैं यह कहना चाहता हूँ कि समाज कल्याण का यह दावा कि पिछड़ी हुई जातियों के लिये जो काम हो रहा है वह ठीक तरह से हो रहा है, वह उचित नहीं है। यदि हम भावुकता से नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो वास्तव में उनका विकास उनकी आर्थिक उन्नति करने से ही होगा। इसको देखते हुए मैं समझता हूं कि जितनी प्रगति हमारे समाज कल्याण विभाग ने की है या हिन्दुस्तान भर में की है वह पूरी नहीं, अंशों में आती है। आज जितना उनका आर्थिक उद्धार करते जावेंगे उन क्षेत्रों के लोगों की समस्या सुलझती चली जावेगी। लेकिन यह हम कब कर सकते हैं? यह हम तभी कर सकते हैं जब कि हमारे हरिजन जाति के जो बहुत सारे नेता हैं वे ईमानदारी से काम करें। उन्हीं नेताओं ने उनकी प्रगति और उनके उद्धार को रोक रखा है। वे उन नेताओं को पुराने मान कर बैठे हैं और जब तक वे ईमानदारी से काम नहीं करें और उनकी ईमानदारी के प्रति आपको और हमको विश्वास न हो सके तब तक कोई भला नहीं हो सकता, बिना आर्थिक विकास के उनका किसी भी तरह से विकास नहीं किया जा सकता। अगर सेन्टीमेंट्स में बह कर या भावुकता में बह कर यह कहें कि हमने सब कुछ कर दिया है, तो यह तो उचित नहीं है; हमें अब इस समस्या का मुकाबला करना है और हम मुकाबला तभी कर सकते हैं जब कि बहुत सारे बनावटी बिन्दु हैं, जिनको हमने नेता बना रखा है वे बिन्दु हटाये न जाएं। मैं यह कहूंगा कि वे बिन्दु अपने आप पानी के बुलबुले की तरह से बैठ जाएंगे, तब आप काम करेंगे।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) : माननीय सभापति महोदय, आज जो विषय हमारे सामने है वह समाज कल्याण विभाग की तरफ से जो रिपोर्ट हमारे सामने सन् १९५८-५९ की है उस पर हमें विचार करना है। हमारे देश में वे जातियें जो पिछड़ी हुई जातियें कहलाती हैं जिसमें हरिजन भी हैं और दूसरे आदिवासी भी हैं और दूसरी पिछड़ी हुई जातियें भी आ जाती हैं, उन सब का मसला हमारे सामने है। हम यह पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि हमारे देश में ये पिछड़ी हुई जातियें एक आर्थिक दृष्टि से इस प्रकार पिछड़ी हुई हैं कि जिनका सामना हम सब को करना है और उन्हें सबको समान करने का प्रयत्न करना है जो हम कर रहे हैं। देश में वे लोग नीचे गिर जाते हैं जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर हों। आज भी जो लोग आर्थिक दृष्टि में मजबूत होते हैं वे बराबर बैठते हैं और बराबर खाते

(श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा)

हैं और पीते हैं चाहे किसी भी काम के हों। हम सब विधान सभा के सदस्य सभी साथ में खाते हैं और पीते हैं। लेकिन उसी जाति के व्यक्तियों से जो अपना धन्धा करते हैं उनके साथ बैठने के लिये बहुत से व्यक्ति एतराज करते हैं और उनसे दूर रहते हैं। वे लोग उनके साथ खाने से और पीने से घृणा करते हैं। यह हमारी सामाजिक कुरीति आर्थिक दृष्टि से उनकी कमजोरी का ही कारण है। इसलिये उन लोगों को ऊपर उठाना यानि उनको आर्थिक दृष्टि से ऊपर उठाना होगा और हमें उनको ऊपर उठाना चाहिये। मैं सबसे पहले उन हरिजनों की बात कहूंगा जो हमारे समाज के अंग हैं और जो देश की सबसे ज्यादा भलाई करते हैं। मैं उन जातियों के साथ जो इस देश की सबसे ज्यादा सेवा करते हैं और सबसे ज्यादा खराबियों को दूर करके देश के स्वास्थ्य को ठीक करने का प्रयत्न करते हैं उनके साथ कितना न्याय होता है, हमदर्दी जाहिर करूंगा। एक माता अपने पुत्र की विष्टा उठाती है और इसके लिये वह यह दावा करती है कि तेरी विष्टा मेरे नाखून में है और तुम मेरे ऋण से मुक्त नहीं हो सकते। लेकिन जो हरिजन जाति के लोग या भंगी हैं वे सदा अपने जीवन में जिस गांव में रहते हैं नगर वासियों की विष्टा उठा कर उनके स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं और आज इसी कारण दूसरे हरिजन कोमों के लोग है जैसे रेगर, चमार आदि वे भी उनके साथ बैठना ठीक नहीं समझते हैं। उनको अपने पास नहीं बैठाते। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि रिपोर्ट में जो उनके विरत सिस्टम का जिक्र है उसके बारे में विचार करना चाहिये। मैं यह कहूंगा कि जब तक यह उनका विरत सिस्टम रहेगा तब तक यह दोष कभी नहीं मिट सकता है। यही विरत सिस्टम ऐसा है जिसने हमारी इस हरिजन जाति को नीचे गिराया है। क्योंकि उस सिस्टम में क्या है कि एक भंगी मैला उठाता है उसको झूठा टुकड़ा सुबह शाम का दे दिया जाता है उसको एक आना और ज्यादा से ज्यादा चार आना महीना दे दिया जाता है। आप कहते हैं कि हरिजनोत्थान हो, कदापि इस दृष्टि से नहीं हो सकता। जब तक आप इस विधान सभा में यह नहीं पास कर देते कि जो उसको झूठी रोटी देगा, तो जुर्म होगा, इसके लिए कानून बना दिया जाय और म्युनिसिपैलिटी और पंचायत समितियों के कानूनों में इसका समावेश कर दिया जाय कि जो आदमी मैला उठाने का काम करता है उसको प्रत्येक घर से ७, ८, या १०) रु० महीना दिया जाय, नहीं तो उनको दंड दिया जायगा। म्युनिसिपैलिटी के मेहतर को ५०), ६०) महीने का मिलता है। वह किसी रेस्टोरेंट में जाकर खाना खा सकता है, चाय पी सकता है, चूंकि उसके पास पहिनने के लिए साफ कपड़े हैं, लेकिन एक गांव का जो मेहतर है जिसको एक आना महिने का मिलता है, झूठी रोटी जिसको दी जाती है, उसी झूठन पर जो अपना गुजर बसर करता है उसके साथ कौन बैठने के लिए तैयार होगा? समस्या तो असली यह है। हम कहते हैं कि हरिजन उद्धार हो। कैसे हो? जब तक उनकी आर्थिक दशा को नहीं सुधारेंगे, उनका सुधार नहीं हो सकता। म्युनिसिपैलिटी कानून बनाये और प्रत्येक घर के ऊपर दो, चार, ६ रुपया महीने का लगा दे कि जो सफाई करने वाला मेहतर है उसको दिया जायगा जब तक यह नहीं होगा तब तक उनकी दशा नहीं

(श्री पुरूषोत्तमलाल शर्मा)

सुधर सकती और उनका उद्धार नहीं हो सकता। म्युनिसिपैलिटी द्वारा मैला उठाने के लिए जो दूसरे साधन उपलब्ध हों उनको भी काम में लेना चाहिये जिससे कि उनकी आर्थिक दशा सुधारने में भी मददगार होगा और उनका उत्थान हो सकेगा। लेकिन जब तक यह नहीं होता है कोई भी व्यक्ति आज मेहतरों की जो हालत है उनके साथ बैठ कर खाना खाना पसन्द नहीं करेगा। एक तरफ तो आप कहते हैं कि स्वास्थ्य की दृष्टि से मैले-कुचेले से दूर रहिये और दूसरी तरफ कहते हैं कि उनके साथ बैठ कर खाना खाइये। आपको यदि उनकी हालत को ठीक करना है तो जो उनके तौर-तरीके हैं उनको ठीक करना होगा। जो विरत सिस्टम है उसको हटाये बगैर उनका उत्थान नहीं हो सकता।

इसके साथ २ उनको आर्थिक दशा सुधारने के लिए सहायता देते हैं। मकान बनाने के लिए ५००) दिया। क्या आज कोई ५००), ७००) में मकान बन सकता है? उनकी आर्थिक दशा ऐसी नहीं है कि वे कोई मकान बना सकें। म्युनिसिपैलिटी को ऑर्डर होना चाहिये कि समाज कल्याण विभाग जितना रुपया दे उतना ही रुपया म्युनिसिपैलिटी देकर हरिजनों के लिए वह मकान बनाये, नहीं तो आप स्वयं उनको रुपया देकर भ्रष्टाचार बढ़ा रहे हैं। जो लोग भ्रष्टाचार नहीं जानते उनसे भी कह रहे हैं कि वे भ्रष्टाचार करें। आप कहते हैं कि मकान के लिए ३००) आप दो और ३००) सरकार देगी। क्या ६००), ७००) में कोई मकान बनता है? जो उनके कार्यकर्त्ता होंगे वे लेकर फिर समाज कल्याण विभाग में झूठे हिसाब पेश कर देंगे। एक तरफ तो आप उनका और देश का उत्थान चाहते हैं और दूसरी तरफ नैतिक पतन कर रहे हैं। वे तो पहले से ही गिरे हुए लोग हैं; न तो पैसा है, न शिक्षा है। फिर आप कहते हैं कि इतना रुपया आप दीजिये। यह आदेश तो आप पंचायत समितियों और म्युनिसिपैलिटियों पर लगाइये। जमीन गवर्नमेंट दे और जितना रुपया सरकार दे उतना ही रुपया म्युनिसिपैलिटी या पंचायत समिति दे और हरिजनों के लिए मकान बनाये।

इसी प्रकार काश्त की जमीन के अलॉट-मेन्ट के लिए कलेक्टर को हिदायत करिये कि वे पहले भंगी जाति के लोगों की अर्जियों को स्वीकार करें और उसके बाद जो दूसरी हरिजन कौमें हैं; चमार, रेगर इत्यादि हैं उनको अर्जियों को। तब उनका उद्धार हो सकता है। आज तो जमीन सारी माली, गुजर-जाट वगैरह ले लेते हैं हरिजनों के तो जमीन पल्ले ही नहीं पड़ती है। वे तो झाड़ू ही लगाते रहेंगे। विधान सभा के हरिजन सदस्यों को अच्छी तनख्वाह मिलती है। यहां आनन्द से बैठते हैं उनके साथ, कोई भेद भाव नहीं है। लेकिन एक हरिजन वही मैले उठाने का काम करता है, उसके साथ बैठ कर कौन खाये-पीये? केवल झूठ-मूट कहेंगे तो यह नहीं चल सकता? कौन उसके साथ वैसा बर्ताव करने के लिए आज तैयार है। उनकी आर्थिक दशा और जो उनके काम के तौर तरीके हैं उनमें परिवर्तन नहीं करते हैं तो उनका सच्चा सुधार नहीं हो सकता।

आप हरिजन छात्रावास खोलते हैं। यह कदापि नहीं होना चाहिये। उनको तो उन्हीं छात्रावासों में रखना चाहिये कि जहां कि दूसरे लड़के सवर्णों के भी रहते हों। जहाँ तक

(श्री पुरूषोत्तमलाल शर्मा)

आप अलग छात्रावास इनके लिए खोलते रहेंगे तब तक ये जातियां सवर्णों से अलग ही रहेंगी। बचपन से अलग रहने की बच्चों में भावना अलग छात्रावास खोल कर पैदा कर रहे हैं इसलिए ऐसी। भावना पैदा न हो; तब ही उनका उद्धार हो सकता है। अलग अलग छात्रावास खोलेंगे, संस्थायें खोलेंगे तो उनका उद्धार नहीं हो सकता। पिछड़ी हुई जाति के बच्चों को २५) रु० स्कॉलरशिप के देते हैं। छात्रावास में रहने के लिए खर्चा दीजिये लेकिन उनको दूसरे बच्चों से अलग मत कीजिये। इस दृष्टि से इस पर विचार करेंगे तो अच्छा होगा।

जब आर्थिक दशा सुधरती है तो सामाजिक दृष्टि से लोग उनके साथ सम्मिलित होने लग जाते हैं। मनुष्य जीवन की एक गति है। जिसके पास अच्छा खाना और पहिनना हो; सबसे पहले मनुष्य के जीवन में अच्छा खाना, पीना और हवा होती है। ये तीनों चीजें उसके लिए आवश्यक हैं। जिसको अच्छा खाना मिलता है उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। पानी भी अच्छा चाहिये पीने के लिए और हवा भी शुद्ध चाहिये। हरिजन कौम को, भंगी को तीनों ही बातें अच्छी नहीं मिलती: खाने के लिए सुबह-शाम का झूठा खाना पड़ता है, तीन दिन की बासी रोटी उसको दे दी जाती है। पानी पीने के लिए उनको वे कुंए नहीं मिलते जो कि स्वच्छ पानी के हैं। उनको तो तालाब का पानी पीना पड़ता है या जिन कुओं का पानी अच्छा नहीं होता और लोगों के द्वारा छोड़ दिये जाते हैं उनके कुओं का पानी पीना पड़ता है। हवा भी शुद्ध नहीं मिलती क्योंकि गंदी बस्तियों में उनको बसाया जाता है। मैं मानता हूं कि सरकार की ओर से कोई कम प्रयत्न नहीं हुए हैं। सरकार नगर पालिकाओं को रुपया देती है वे उन हरिजनों के मोहल्लों में रुपया नहीं लगाती; उनका नगरपालिका दुरुपयोग करती है। जब तक इनको खाना पीना, और हवा शुद्ध नहीं मिलेगी तो फिर शुद्ध दिमाग चाहेंगे तो कहां से मिलेंगे? इन सब बातों को सोचना है और उनकी इस दृष्टि से आर्थिक दशा को सुधारिये। जितना भी आप अपनी तरफ से पैसा दें उसका सदुपयोग हो। दुरुपयोग होता है तो उसका पूरा नियंत्रण कीजिये।

इस तरह से हरिजन भाइयों से भी मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वे अपनी जाति में भी सुधार के प्रयत्न करें। केवल विधान सभा द्वारा कानून बना देने से कोई सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। हरिजनों की जातियों में भी आपस में भेदभाव है। एक जाति वाले दूसरी जाति वाले के साथ खा-पी नहीं सकते एक भंगी, सांसी, ढोली आदि के साथ खा नहीं सकता, रेगर भंगी के हाथ का नहीं खाता चमार भंगी के हाथ का नहीं खाता। जब वे अपने हरिजन जातिवालों के साथ खा-पी नहीं सकते तो वे यह आशा किस प्रकार कर सकते हैं कि राजपूत, ब्राह्मण, वैश्य आदि उनके साथ मिल कर खायें-पीयें? उनको चाहिये कि वे अपनी जाति में इस प्रकार का प्रचार करें, इस प्रकार का वातावरण पैदा करें जिससे जो भेदभाव उनकी जातियों में है वह मिट सके। यह ठीक है कि वह हिन्दुस्तान की एक पिछड़ी हुई जाति है जो हिन्दू समाज का एक अंग है; इसके उत्थान का जितना भी प्रयत्न हम कर सकते हैं करना चाहिये।

(श्री पुरूषोत्तमलाल शर्मा)

इसके साथ साथ जो अनिवार्य शिक्षा लागू की गई है, ११वर्ष तक के छात्रों केलिए उसके लिए पंचायत समितियों को चाहिए कि जो हरिजन छात्र हों उनको जबरदस्ती स्कूलों में लाने का प्रयत्न करें, उनको दस-पांच रुपया स्कॉलरशिप भी देनी पड़े तो दिया जाय, जिससे कि उनकी उन्नति हो सके।

इसके साथ साथ हमें समाज के पिछड़े हुए उस हिस्से की तरफ भी जो ध्यान देना है जिसको हम क्रिमिनल ट्राइब्स के नाम से पुकारते हैं, जो देश में चोरियां करते हैं, देश में डाका डालते हैं। इन जातियों के बारे में भी विभाग को पूरी तरह से सचेत होना चाहिये। जिन पर पुलिस की हमेशा नजर लगी हुई होती है यह विभाग उनकी उन्नति के लिए भी प्रयत्न करे। मैं जिस इलाके से आता हूँ उधर बावरी कौम के घर ज्यादा हैं। हमारा रूपनगढ़ का जो इलाका है वहां करीब २०० घरों की बस्ती है। उन लोगों ने काश्त की जमीन के लिए मांग की, बसने के लिए प्लाट्स की मांग की लेकिन आज तक इस विभाग ने उनकी इस मांग पर ध्यान नहीं दिया। वे पैसा नहीं चाहते, वे मकान बनाने के लिए जमीन चाहते हैं। पढ़नेवाले छात्रों के निवास के लिए छात्रावास नहीं खोलते। इसलिए मैं नम्र निवेदन करूंगा कि जो जातियां समाज को दुख देने वाली हैं,समाज को तकलीफ देती हैं उनके सुधार के लिये आपके विभाग को पूरा सहयोग देना चाहिये और जो गिरा हुआ समाज है उसके उत्थान के लिये प्रयत्न होना चाहिये।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अटेरा-सु०) : माननीय सभापति महोदय, आज दो दिन के लिए हमारे इस हाउस में अखिल भारतीय पिछड़ी जाति एवं हरिजन जाति के कमिश्नर की रिपोर्ट पर विचार हो रहा है। कितना अच्छा होता कि इस रिपोर्ट के पहले हम लोगों को राजस्थान राज्य समाज कल्याण बोर्ड की प्रगति को रिपोर्ट मिल जाती? जहां तक मैं समझता हूँ समाज कल्याण विभाग द्वारा क्या क्या प्रगति की गई है, उसकी रिपोर्ट किसी भी माननीय सदस्य के पास नहीं आयी होगी। इस बात के लिए हम भारत सरकार को धन्यवाद देते हैं कि भारत सरकार के कमिश्नर ने सारे भारत का दौरा किया जिसकी रिपोर्ट किताब के रूप में हमारे सामने पेश की। मगर दुःख की बात है कि राजस्थान सरकार ने अब तक उसका समाज कल्याण विभाग क्या क्या काम कर रहा है यह हमें नहीं बताया। हरिजनों के कितने लड़के आदवासियों, के कितने लड़के पढ़ रहे हैं अथवा आदिवासियों के इतने मकान बन गये हैं, इतने लोगों को जमीन दी गई है; इस बात की रिपर्ट हमारे पास नहीं आई है। हो सकता है वह रिपोर्ट मुझे ही नहीं मिली हो लेकिन और सदस्यों को भेज दी गई होगी। मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि वे जिस समय बोलें जरूर यह भी बता दें कि उनको इस प्रकार की कोई रिपोर्ट मिली भी है या नहीं।

किशनगढ़ से आनेवाले माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा, उन्होंने इस पिछड़े वर्ग के लिए जो भी बातें कहीं उसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने आदिवासियों के बीच में कार्य किया है। उन्होंने जोकुछ भी बातें कहीं अपने अनुभव के आधार पर कहीं उनके द्वारा बतायी हुई कमी को पूरा

Page No.93

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')

किया जाना चाहिये। जैसे पुरानी कहावत है माया थारा तीन नाम: परसियो परसो परसराम जिनके पास माया है उसका नाम परसराम" हो जाता है। जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी बताया कि भगवान् का भजन मन्दिरों में हरिजनों के प्रवेश से जब तक नहीं हो सकता जब तक कि उनकी आर्थिक दशा को न सुधारा जाय। भूखा हो तो उससे कुछ भी नहीं बन पड़ता। जैसे तुलसीदासजी ने भी कहा है:

"भूखे भजन न होय गोपाला, यह लो तुम्हारी कंठी माला।"

भूखे होने पर भगवान के दर्शन भी नहीं हो पायेंगे। इसलिये सबसे पहले समाज कल्याण विभाग का जो काम है वह यह है कि उनकी आर्थिक दशा को सुधारने का प्रयत्न करे, रोजी रोटी के लिए प्रयत्न करे। उनको मकान की सुविधा प्रदान करे। आज विधान सभा में करीब ४८ सदस्य हैं जो आदिवासी और हरिजनों में से चुन कर आये हैं। शायद इससे आप यह समझते होंगे कि ये लोग भारी संख्या में पिछड़ी जाति के प्रतिनिधि हैं उन्होंने काफी उन्नति कर ली है। मैं आपसे निवेदन कर दूँ कि केप्टिन साहब, "कालाबादल" ऊंचे उठे हुए हैं। हरिशंकरजी सिद्धान्त शास्त्री, मास्टर रामचन्द्रजी, अमृतलालजी यादव इन्होंने जो कुछ भी उन्नति की है वह आपके सामज कल्याण विभाग के कारण नहीं। ये तो वैसे भी उठते लेकिन मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि आपके विभाग द्वारा कितने लोगों को उठाया गया? यह आप नहीं बता सकते। मेरे कहने से मेरे परिवार के किसी आदमी को आपने किसी जगह लगा दिया होगा, हरिशंकरजी सिद्धान्त शास्त्री के परिवार के किसी आदमी को या अमृतलालजी यादव के किसी परिवार के लोगों को आपने बसा दिया होगा।

श्री अमृतलाल यादव (जालोर-सु०) : मेरे परिवार के किसी भी आदमी को नहीं बसाया।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (जारी) : मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर समाज कल्याण विभाग ने किसी को सहायता दी होगी तो इनके परिवार के लोगों को दी होगी क्योंकि ये लोग विधान सभा के सदस्य हैं। सही मायने में तो जब इस विभाग की रिपोर्ट आती तभी कुछ कहा जा सकता था। यह उसमें ही होता कि समाज कल्याण विभाग द्वारा किन लोगों को फायदा हुआ है। जो साधन सम्पन्न हैं उनको तो सहायता मिल ही जाती है लेकिन जो राजाओं के जमाने से पिछड़े हुए हैं, जो हमेशा से कुचले जाते रहे हैं, जिन लोगों को राजाओं ने कभी ऊंचा उठाने की कोशिश नहीं की आज भी वे ही लोग उसी हालत में हैं। उनके पास पेट पालने के लिए कोई साधन नहीं है। जिन जातियों को जरायम पेशा राजाओं के जमाने में करार दिया था उन लोगों को सुधार करना था लेकिन आज जो चोरी नहीं करते पुलिस के द्वारा लोगों को बाहर भेज कर चोरी करवाई जाती है। मुझे मालूम है कि सन् ४० के अन्दर मैं जिस गांव के अन्दर जाकर बसा हूं, गांधीजी की प्रेरणा से गांधीजी के सिद्धान्त के आधार पर जिस गांव में मैं जाकर बसा उस गांव को नया बास कहते हैं। वहां सन् ४० में आकर मैंने विद्यालय

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')

चलाया था उस समय वहां तीन चोर रह गये थे। उन दिनों वहां पुलिस का थाना हुआ। जिस महीने में थाना जमा उससे पहले महीने में तीन चोर रह गये थे लेकिन थाना जमने के बाद एक महीने में १४ चोर हो गये। दूसरे और तीसरे महीने में इसी प्रकार संख्या बढ़ती गई। उस समय भंवरसिंह एस. पी. और राजपालसिंह सी. आई. थे।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): पहले शायद पकड़नेवाले नहीं थे।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (जारी): माननीय सभापति महोदय, पिछड़े वर्ग का आपने क्या किया, यह बता रहा हूं। उस जमाने से आज की तुलना कर रहा हूँ कि हम उस जमाने से आज कितने आगे बढ़े हैं। इसका मैं बयान करूंगा।

चेयरमैन महोदय, मेरे तकलीफ थी, मैं शफाखाने में था; पर इस रिपोर्ट पर बोलना था इसलिए आना पड़ा है। तो मुझे सुनाने दीजिये। 'जाके पैर न फटे बिवाई, वो क्या जाने पीर पराई।' तो इसका दर्द तो हमें हैं, हम ही जानते हैं कि क्या हालत है। अन्य माननीय सदस्य समाज कल्याण की तारीफ करेंगे, सरकार की तारीफ करेंगे, पर मैं असलियत बतलाऊंगा कि हमारी आज क्या हालत है? इसलिए मुझे थोड़ा अधिक बोलने का समय दिया जावे।

माननीय सभापति, तो मैं बता रहा था कि हमने यह नारा उस समय लगाया था जब आजादी का युग नहीं था कि ये थाने चोरी करना सिखाते हैं। हमारा जमाना जिस दिन आवेगा तो हम इन थानों को विद्यालय बनावेंगे जिनमें चोरों को चोरी नहीं करने की शिक्षा दी जावेगी। आज सौभाग्य से जिस जमाने का हम सपना देखा करते थे वह जमाना आया। थाने की बिल्डिंग खराब हो गई। आज अगर समाज कल्याण विभाग वहां शिक्षा देता तो अच्छा होता। शिक्षा की ओर ध्यान देता, उनको शिक्षण देने के लिए शिविर लगाता और उनको चोरी छोड़ने की शिक्षा देता तो सचमुच कुछ काम होता और हमारे सपने साकार होते। उनकी रोजी-रोटी का प्रबन्ध करते, उनके मकान बनाते, जमीनें उनको देते। पर इसने इनमें से कुछ नहीं किया, बल्कि उन लोगों ने एक काम जरुर किया कि शराब जो वे पहले पीते थे वह शराब पीना छोड़ दिया। राजाओं के जमाने में चोरी की हुई रकम थी उससे शराब पीना छोड़ कर कुछ उन्होंने बिल्डिंगें जरुर बना लीं; जिनके लिये आज के जमाने में कहा जाता है कि ये लोग बड़ी-बड़ी चोरियां आज भी करते हैं।

पुलिस ने अभियान चलाया। चोरी को रोकने का उसका अभियान शुरू होता है। माननीय सभापति महोदय, तारीख मेरे पास शायद गलत दर्ज हो गई है। पर अभी एक अभियान अजीतगढ़ के गढ़ में शुरू हुआ। सात सौ पुलिस अधिकारी वहां इकट्ठे होते हैं। उनमें पन्द्रह-बीस थानेदार, आठ सी. आई., ६ डिप्टी एस. पी. और पांच एस. पी. थे। इस तरह उनका अभियान चलता है चोरों को पकड़ने के लिये। पर माननीय अध्यक्ष महोदय, (सभापति महोदय), मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने चोरी नहीं रोकी, बल्कि ये सारे के सारे चोर बन गये। इस अभियान में चालीस

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')

हजार रुपये पुलिस वाले खा गये।

अखबार में मैंने पढ़ा। मुझे प्रसन्नता हुई कि १६ चोरियों का कई लाख रुपयों का चोरी का माल, कई बन्दूकें और रिवॉल्वर उनको इस अभियान में मिले। मैं दंग रह गया कि अब तो चोरी खत्म हो गई मीणों से। अखबार में खबरें आई तो मैं भी ठंडा रह गया कि गजब हो गया। मैं इसका खंडन नहीं करना चाहता। हो सकता है चोरी की हो। उस अखबार का कटिंग देखिये, जिसमें लाखों की चोरी बरामद होने की बात है। पर मैं एक बात सिर्फ पूछना चाहता हूं सरकार से और इस अभियान को करने वाले से कि यह इतना सारा चोरी का माल कौनसी अदालत में कहां पर पेश किया गया है, किस अदालत में जमा है? नहीं है। बल्कि जब उनके ऊपर हाई कोर्ट में रिट् कर दी तो इस तरह के अत्याचार किये कि जिसकी हद नहीं और न जाने कितना रुपया उन्होंने चोरों से खाया है और उनको तो छोड़ दिया पर जो गरीब बेगुनाह थे उन पर खुल कर अत्याचार किये। सरकार एन्क्वायरी करे तो मैं बताऊं कि किस अधिकारी ने कितना रुपया किस चोर से खाया है। चोरों का उन्होंने कुछ नहीं किया।

माननीय सभापति महोदय, राजाओं के जमाने में जरायम पेशा लोगों से बेगार कराते थे पर अब प्रजातन्त्र में कैसे उठाया जाता है इन लोगों को, चोरी इनसे कैसे छुड़ाई जाती है? उनके बिजली का करेन्ट लगाया, नंगा करके इन्द्री पर करेन्ट लगाया। दो आदमियों को नंगा करके बिठा दिया और इन्द्रियों पर बिजली का करेन्ट लगाया, इस प्रकार की घटना हमारे लिए कितनी शर्म की बात है। चोरों के करेन्ट लगाते, उनको फांसी लगा देते तो 'कालाबादल' दुःखी होकर नहीं कहता कुछ भी। चोरों को लटका दिया भी जाता तो समाज का भला मानता 'कालाबादल', पर साहूकारों की इज्जत ली, महिलाओं की इज्जत लूटी।

श्री सभापति : आप विषय पर बोलिये।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : मैं यही तो बता रहा हूं कि हम पिछड़े लोगों का सरकार ने और इस विभाग ने कितना सुधार किया?

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): यह समाज कल्याण विभाग का काम नहीं, पुलिस का है।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : पुलिस अत्याचार करे और समाज कल्याण विभाग देखता रहे, यही तो बात मैं कह रहा हूं।

श्री सभापति : आप तो पुलिस के कल्याण करने की बात करते हैं, विषय पर बोलिये।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : आप कहेंगे तो तारीफ कर दूँगा मैं सरकार की और इस विभाग की। आठ औरतों को पकड़ कर, जुलूस बना कर लाया गया। एक औरत के सिर पर दही की मटकी रख दी। लूगड़ी उतारी। बगल में उसके बच्चा था....

श्री सभापति : ऑर्डर! ऑर्डर प्लीज़!! आपकी पुलिस की अत्याचारों की

(श्री सभापति)

बात से और इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। आप विषय पर आइये।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : माननीय चेयरमैन, आदिम जाति के लोगों और औरतों के साथ अत्याचार हों और मैं यहां हाउस में भी नहीं बोल सकता, मुझे दुःख है। समाज कल्याण विभाग उन अत्याचारों पर ध्यान दे, यही तो बता रहा हूं। उस औरत को नंगा कर दिया सारे बाजार, सबके सामने। आठ औरतों की बेइज्जती की गई और उनके साथ बलात्कार किया गया।

श्री सभापति : औरतों को नंगा करने की बात समाप्त करिये।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : माननीय सभापति महोदय, मैं तो कह रहा हूं आज ४८ सदस्य हम विधान सभा में हैं दोनों कौमों के, जिनके ऊपर आज राजस्थान सरकार जिन्दा है। आज उन्हीं के लोगों पर अत्याचार हों और पुलिस अत्याचार करे और यह सरकार करने दे और हम यहां कुछ कहें तो हमें कहा जाय कि तुम तो इस सरकार की, इसके समाज कल्याण विभाग की तारीफ ही करो। मुझे इसका दुःख है। यहां तक किया जाय कि लोगों के चूल्हे फोड़ दिये हैं, मकान ढहा दिये गये ईमानदार लोगों के बरतन तोड़-फोड़ दिये। मकान आज भी ढहा रखे हैं। उनके कपड़े छीन लिये गये। नीलाम कर दिये गये उनके नाज वगैरह; उनकी भेड़ें-बैल नीलाम कर दिये गये और चोरों से रुपया लेकर चोरों को कुछ भी नहीं कहा। तीन हजार मीणों पर अत्याचार किया गया। पुलिस ने छः जगह कैम्प किये।

श्री सभापति : रिपोर्ट में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि पुलिस की बात कही जाय। ऑर्डर प्लीज़! ऑर्डर!! आप अपना स्थान ग्रहण करिये। मैं निवेदन करूंगा कि रिपोर्ट के आधार पर ही आप अपना भाषण आरम्भ रखिये। रिपोर्ट में ऐसे तथ्य नहीं हैं कि पुलिस की बात कही जा सकती हो। समाज कल्याण के विकास की बातों पर प्रकाश डालिये, उसकी और बातों पर आप प्रकाश डाल सकते हैं। रिपोर्ट के आधार पर आप बोलें।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़): पुलिस के द्वारा इस प्रकार के अत्याचार हों, उसको भी हाउस नहीं सुनता?

श्री सभापति : सही रूप से सदन के काम सही ढंग से चलाने के लिये एक व्यवस्था की जाती है कि हमारे सामने एजेन्डा रहे, उसके अनुसार हम चलें। इस एजेन्डे में जो है वह रिपोर्ट आपके सामने विचारार्थ है। इसमें अब पुलिस के अत्याचारों की बात कहां आती है, मुझे बता दीजिये, मैं इजाजत दे दूंगा।

श्री हीराभाई : आदिवासियों के साथ में अत्याचार होता है, इसलिए हम चाहते हैं कि उसे सुना जाय।

श्री सभापति : पुलिस के द्वारा अत्याचार हरिजन, सवर्ण, किसी पर भी किये जा सकते हैं। उन पर भी उपयुक्त अवसर पर विचार किया जा सकता है। पर जहां तक आज के एजेन्डे का सवाल है और जहां

(श्री सभापति)

तक इन पुलिस के अत्याचारों की बात है आज के एजेन्डे में और इस रिपोर्ट में उसका कहीं जिक्र नहीं है । मैं माननीय सदस्य से कह रहा हूं कि रिपोर्ट की चीजों पर उन्हें बहस करनी है । इसमें एजुकेशन है, डेवलपमेंट की बातें हैं; उन पर बहस करिये । निर्माण की बातें हैं, सड़कों की बातें हैं उन पर बातें करिये, बहस करिये । मकान की स्कीमों पर बहस करिये ।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (जारी) : तो मैं इस विषय को छोड़ कर रिपोर्ट पर ही प्रकाश डालूंगा। आपके हुक्म का पालन करूंगा, पूरा पालन करते हुए मैं असल बात बताऊं ।

छात्रवृत्तियां दी जाती हैं अव्वल तो इसके लिये ३१ अगस्त की तारीख रखी जाती है और ३१अगस्त तक तो फार्म ही नहीं पहुंचते । मैंने कई बार डाइरेक्टर साहब को फॉर्मों के लिए लिखा। तो जवाब नहीं मिला। आखिर में फॉर्म भेजे जाते हैं २६ अगस्त को । नये साल की बात बताता हूं। लोग कहेंगे कि यह झूठ बोलता है । फॉर्म जो भेजे पांच रुपये से नीचे नीचे के भेजे गये । बाकी ऊपर के फॉर्म भेजे ही नहीं गये । तो मैं समझता हूं कि यह छात्रवृत्ति भी कौन लोग ले पाते हैं जो पहले से ही होशियार हैं और लिख-लिखा कर ले जाते हैं । पर गरीब छात्रों का यह अनुभव नहीं है और इसी कारण वे वंचित रह जाते हैं जिनको सबसे अधिक इसकी जरूरत है । अब वह छात्रवृत्ति भी कब दी जाती है ? साल के आखिर में, जिससे बड़ी परेशानी होती है । यह बहुत अच्छी बात होगी अगर माहवारी दी जावे ।

बैलों की तकावी के फॉर्म ? ये अलग लिये जाते हैं । इसमें एक आइटम है कि तहसीलदार सर्टीफाई करे । हमने कई जगह से फॉर्म भरवाये । सर्टीफाई कराने के लिए हम तहसीलदार के पास पहुँचते हैं तो तहसीलदार कहते हैं कि हमारे डिपार्टमेन्ट में ऐसा कोई सक्युंलर नहीं है कि सर्टीफाई करें और इसका फल यह होता है कि बहुत से जिनको वास्तव में जरूरत होती है, पर गरीब हैं, वंचित रह जाते हैं, पर जो होशियार हैं तहसीलदार से रसूक पैदा कर सकते हैं या जिनके रसूक हैं वे फौरन तस्दीक करवा लावेंगे, पर गरीब को नहीं होगा । इसलिए जो असल हकदार हैं पैसा पाने के उनको नहीं मिलती यह तकावी और दूसरे दूसरे लोग ले जाते हैं ।

समाज के कल्याण का हम नारा लगाते हैं और वोट लेते समय कहते हैं कि हम यह बेकारी मिटावेंगे,हम यह भला करेंगे : वोटदेने वालासमझ लेता है कि ये हमारे प्रतिनिधि बन कर सरकार में जाकर हमारा दुख मिटावेंगे, हमारी गरीबी मिटावेंगे, हमारा भला करेंगे । वोट देने वाला समझता है कि मेरी गरीबी मिटावेंगे और वोट लेने वाला यह कहता ही है, वह भी मिटाने की बात कहता है । पर सवाल उठता है किसकी ? वोट लेने वाला अपनी और अपने परिवार की मिटाता है । अब कहने वाला भी ठीक कहता है कि मिटाऊंगा। किसकी मिटाऊंगा, यह अलग बात है । वह मिटाता भी है, अपनी और अपने परिवार की, पर समझने वाले वोटर ने गलत समझ लिया कि उनकी मिटाई जावेगी । तो बात तो सही है । उसका समझना गलत था और

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')

उसका कहना सही था। इस तरह माननीय सभापति महोदय, समाज कल्याण कितना सुन्दर नाम है, समाज का कल्याण होगा। इस विभाग से हमारे आदिवासी भाई इस नाम पर लट्टू हो गये।

कल्याण किसका हो रहा है ? इस डिपार्टमेंट में काम करनेवालों का कल्याणहो रहाहै, समाज का कल्याण नहीं हो रहा है। जो भील झोपड़ियों में रह रहे हैं उनके पास कपड़े पहिनने को नहीं हैं, आज वे जंगल की लकड़ियां काट कर भी अपनी गुजर नहीं कर सकते। उनको जो फायदे समाज कल्याण विभाग के द्वारा होने चाहिए वे नहीं होते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको छोटी सादड़ी की बात बताऊं। हमारे अमराभाई ने बताया कि जो वहां के भील और मीणे हैं जिनका वहां की जमीन पर कब्जा है और जो उनके खेत हैं, उनमें पेड़ हैं, लेकिन जागीरदार उनके पेड़ का दस गुना मुआवजा ले रहे हैं और मुकदमा चल रहा है उनके ऊपर। ८० धारा के तहत यह अधिकार है कि जमीन पर जिसका कब्जा है उनके पेड़ भी उसके अधिकार में ही होंगे। ऐसे मुकदमे चल रहे हैं कि जिनसे आदिवासी आज परेशान हैं। राजस्थान में जिनके द्वारा हमारे जान-माल की रक्षा की जाती थी आज उनकी इन्क्वायरी कराई जाय। मैं समझता हूं कि आज डाकुओं और चोरों का जो आतंक राज्य में छाया है उसको खत्म करने का काम मीणों को दे दिया जाये या फिर मुझे डी० आई० जी० बना दो तो जो मौजूदा डी० आई० जी० हैं उनके बिजली का करेन्ट लगा दूं और फिर देखें कि कितनी चोरियों का पता लगता है। मैं उनके बिजली का करेन्ट लगा दूं तो वे कह देंगे कि चोरी मैंने को है, मीणों ने नहीं की। आज कितने निरपराध लोगों के साथ अन्याय हो रहा है ? मुझे इस बात की पीड़ा थी। हमारे मंत्री मण्डल के लोग चिड़ते होंगे कि आज 'काला बादल' क्या कह रहा है, लेकिन आश्चर्य होता है कि ऐसी चीजें क्यों होती हैं? जो कुछ है वह 'कालाबादल' बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं माफी चाहता हूं, यदि मेरे दिल से कोई इस प्रकार के शब्द निकल गये हों। पर मुझे पीड़ा हुई और मैंने यह कहा। आज उनकी महिलाओं के साथ अत्याचार हो जाये तो फिर देखें कि कितनी पीड़ा होती है। मगर क्योंकि हम आज पिछड़े हुए हैं, हमारे अन्दर समझ की कमी है, हमारे नाम पर आज दूसरे लोग मजे उड़ा रहे हैं इसलिए यह हमारी स्थिति राजस्थान में है।

श्री सभापति : श्री सोहनलाल भटनागर।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : माननीय सभापति महोदय, हरिजन और आदिवासी हमारे समाज के अविभाज्य अंग हैं। लेकिन कुछ लोगों ने "Might is right" के बल पर उनको दबोच दिया और जब से हमारे यहा, भारत में राजनीतिक आजादी और चेतना महात्मा गांधी ने प्रारम्भ की तब सबसे पहले हरिजनों की ओर हमारी सरकार का ध्यान गया और उन्हीं महात्मा गांधीजी के सिद्धान्तों को लेकर हमारी सरकार ने उनके हित के लिए, उनके भले के लिए ऐसी व्यवस्था की। इसी दृष्टिकोण को लेकर जो यह कमीशन की रिपोर्ट आई है उसके ऊपर मैं अपने विचार आपके

(श्र सोहनलाल भटनागर)

समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ।

सभापति महोदय, यह देखा है कि कुछ माननीय सदस्यों ने अपनी राय जाहिर की कि अब समय आ गया कि केवल जाति के आधार पर ही पिछड़ापन नहीं माना जाये बल्कि आर्थिक स्थिति के ऊपर यह मापदण्ड होना चाहिए। हमारा देश ही गरीब है और यदि गरीबी का और आर्थिक स्थिति का ही मापदण्ड होता तो अच्छा होता। लेकिन यदि हम दूसरी और जातियों की तरफ देखें तो हम ऐसा पाते हैं कि आदिवासी और हरिजनों का दूसरी जातियों से मिलान करें तो अधिकतर लोग हरिजन और आदिवासी होंगे कि जिनकी आर्थिक स्थिति ज्यादा खराब है। इसी दृष्टिकोण को लेकर गत दस वर्षों में आदिवासियों के लिए जो कार्य किये गये हैं और उनकी आर्थिक और सामाजिक और दूसरे जो कार्य किये हैं और उनको जिस तरह से ऊंचा उठाने की कोशिश की है उनको रिव्यू करें तो देखेंगे कि जिस अनुपात में हमने पैसा खर्च किया उतना लाभ प्राप्त नहीं कर सके। फिर भी हम देखते हैं कि उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में काफी अन्तर आया है।

सरकार का सबसे पहले ध्यान छुआछूत की ओर गया। किसी माननीय सदस्य के लिए आत्म सम्मान की कोई चीज हो सकती है तो वही चीज है और उसी को लेकर हमारे यहां पुराने रीति-रिवाज थे जिससे कि एक साथ बैठना, खाना और दूसरे कार्य जिनमें पहले रुकावटें आती थीं उनके लिए जो जो कानून पास किए उससे यह काफी दूर हुए हैं और ये चीजें मिटी हैं और जो रिपोर्ट आई है उसमें यह दिया हुआ है कि इस प्रकार के कानून ११२ बनें। यह ठीक है कि जो सफलता मिलनी थी। वह नहीं मिली है। लेकिन एक बात अवश्य है कि सारे समाज का ध्यान इस ओर आकर्षित हो गया है कि ऐसी चीज रहने वाली नहीं है और न केवल शहरों में बल्कि धीरे धीरे गांवों में इसको समझने लगे हैं और मैं आशा करता हूं कि कुछ ही वर्षों में छुआछूत की जो बीमारी है वह समाप्त हो जायेगी।

माननीय सभापति महोदय, हमारा ध्यान सबसे पहले इस ओर जाना चाहिए कि जो हरिजनों में भंगी हैं, जो समाज की सेवा सबसे ज्यादा करते हैं उनके लिए भी इस रिपोर्ट में कहा गया है, जिस तरीके से वे काम करते हैं, मैला उठाते हैं और जो उनकी स्थिति है उसकी ओर सबसे पहले सरकार का ध्यान जाना चाहिए। दूसरे, सभापति महोदय, जो रिपोर्ट के अन्दर बात कही गई है वह हमने देखा भी है कि फाइव ईयर प्लान के करीब ४ वर्ष पहले के गुजर जाते हैं तब भी समाज कल्याण की रकम जो खर्च होनी चाहिए वह खर्च नहीं होती है और जब प्लान के खत्म होने में एक-दो वर्ष रहते हैं तो उनमें वह रकम खर्च होती है, 'fag end of the year' में खर्च होती है। तब देखा जाये कि सब काम मार्च में समाज कल्याण विभाग के होते हैं। इस दृष्टिकोण से बहुत जरूरी होता है कि जो साल भर का खर्च हो वही समय पर वितरित होना चाहिए। हमारे गत वर्षों में जो राजस्थान में विकेन्द्रीकरण हुआ है उससे जरूर लाभ हुआ है। विकेन्द्रीकरण होने से समाज कल्याण के अन्दर जितनी छात्रवृत्ति की रकम है, कुओं की रकम है जितनी भी मदें हैं वे पंचायत समितियों को ट्रान्सफर कर

(श्री सोहनलाल भटनागर)

दी गई और जैसा कि माननीय सदस्य मानते हैं कि पंचायत समितियों को जो दी हुई रकम है वह लैप्स नहीं होती। इस दृष्टिकोण से इस वर्ष काफी प्रगति हुई है।

(४. म. प.)

दूसरा, माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि समाज कल्याण विभाग का जो पैसा है उसको समय पर खर्च करें। जैसा कि रिपोर्ट में भी सुझाव दिया गया है डाइरेक्टर को अधिक से अधिक अधिकार दिये जायं, जिस तरह से कि इसमें भी कहा गया कि यह पद जोइन्ट सेक्रेट्री के पद के समकक्ष कर दिया जाय; इसी तरह से जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं उनके भी फाइनेंशियल अधिकार बढ़ाये जाय जिससे कि समय पर रकम खर्च कर सकें।

दूसरा, माननीय सभापति महोदय, भारत सरकार ने एक स्टडी टीम बनाई थी। उस स्टडी टीम ने भी इस बारे में जो प्रतिवेदन दिया है उसमें लिखा है कि अगर इनका कल्याण करना है तो उनकी इकोनोमिक कंडीशन और उनकी कॉम्युनिकेशन की जो कंडीशन्स हैं उनको सुधारना चाहिए। दूसरा एजुकेशन और तीसरा पब्लिक हैल्थ में सुधार करना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, इकोनोमिक कंडीशन के बारे में तो हमें विदित होगा कि हमारा भारत कृषि प्रधान देश है। ७० प्रतिशत यहां पर किसान हैं जिनमें ज्यादातर आपको आदिवासी और हरिजन ही किसानों में भूमिहीन मिलेंगे। तो सबसे बड़ा आदिवासियों के लिए जो प्रश्न है वह भूमि का है। हमें मालूम है और रिपोर्ट में भी लिखा है कि २५ प्रतिशत भूमि हमारे यहां की आदिवासियों और हरिजनों को अलॉट करने के लिए रखी गई है। मेरे ख्याल से यह कोटा जो रखा गया है वह पर्याप्त नहीं है। कई जगह तो हरिजन और आदिवासी काफी संख्या में हैं तो पच्चीस प्रतिशत भूमि तो वे अपनी आबादी के लिहाज से ही प्राप्त कर सकते थे। इसके अतिरिक्त जो वितरण करने का तरीका है, जो अलॉटमेंट कमेटियां हैं उनमें हरिजनों और आदिवासियों का पूरा प्रतिनिधित्व नहीं है इस दृष्टि से भी आदिवासियों को पूरी भूमि नहीं मिल पा रही है। जो दूसरी बात भूमि सम्बन्धी है और जैसा कि कमीशन का भी सुझाव है उसके अनुसार जो आदिवासी और हरिजन हैं वे अपनी भूमि का हस्तांतरण नहीं कर सकेंगे। इसके बारे में टीनेंसी एक्ट में भी संशोधन कर दिया गया है फिर भी हम देखते हैं कि आदिवासी और हरिजनों से, जो मनीलैंडर्स हैं, जो बोहरे हैं, वे सैल डीड रजिस्टर्ड न हो तो भी किसी प्रकार से हथिया लेते हैं। इसके लिए कानून पास हो गया है, लेकिन फिर भी उसका दुरुपयोग होता है। इसलिए सरकार को इस तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए।

भूमि के बाद तालाबों के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा। सभापति महोदय, तालाबों के लिए यह नियम बना हुआ है कि उसका ढाई पर्सेन्ट रिटर्न होना चाहिए। लेकिन जो आदिवासी क्षेत्र हैं उनके लिए यह रिटर्न की समस्या नहीं होनी चाहिए। मुझे खुशी है कि इस वर्ष समाज कल्याण विभाग ने एक सेपरेट इंजीनियर इसके लिए मुकर्रर किया है और काफी रकम खर्च की जा रही है, लेकिन यह टैम्पो बराबर कायम रहे, यह टैम्पो बराबर जारी रहे तभी आदिवासी और

(श्री सोहनलाल भटनागर)

हरिजनों के लिए तालाब वगैरह की रकम खर्च की जा सकेगी।

दूसरा, माननीय सभापति महोदय, इकोनोमिक कंडीशन से सम्बन्ध रखने वाली और भी कई बातें हैं। मैं मानता हूं कि जितने भी तालाब हैं वहां भूमि बहुत कम है। तालाबों मे काफी कम लोगों को लाभ होने वाला है। यदि हम आदिवासी क्षेत्रों को आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहते हैं तो वहां के कुओं को ठीक किया जाय। कुओं को गहरा करने के लिए पांच सौ रुपये तक फ्री ग्रान्ट के तौर पर दिया जाता है। लेकिन जो रकम दी जाती है वह आखिरी साल के अन्दर दी जाती है। यह बात भी सही है कि वे इसका दुरुपयोग करते हैं। इसकी जांच भी करवाई जाय तो मालूम होगा सिक्स्टी पर्सेन्ट रकम बेकार में जाती है, समाज के कार्यों में खर्च कर देते हैं। मैं समाज कल्याण विभाग के मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं सभापति महोदय, कि जो रकम उनको कुओं या बैलों के लिए फ्री ग्रान्ट के तौर पर दी जाती है वह रकम केश में न दी जाकर काइन्ड में दी जाय तो काफी सुधार हो सकता है। क्योंकि हम देखते हैं कि अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड ने अभी कम्प्रेशर्स का वितरण किया था वह कुएं गहरे करने के लिए था। इसी तरह से बैलों की रकम न देकर बैल खरीद कर दिए जांय। माननीय सभापति महोदय, हम देखते हैं कि आदिवासियों के पास खास तौर से जब कि फसल खड़ी होती है उस वक्त नाज नहीं होता है। जो पहाड़ी प्रदेश हैं वहां पर यदि ग्रेन बैंक्स खोले जायं तो इससे भी आदिवासियों को राहत पहुँचाई जा सकती है। पहाड़ी इलाकों में रहने वाले आदिवासियों और हरिजनों के पास नाज नहीं होता और इससे उनको बहुत भारी दिक्कत होती है। ऐसा सुना जा रहा है कि मनी लैंडर्स बिल आ रहा है।

माननीय सभापति महोदय, इनके उत्थान का जो दूसरा पक्ष है, जो दूसरा पहलू है वह एजुकेशन का है। समाज कल्याण विभाग के अतिरिक्त कई संस्थाएं शिक्षण संस्थाएं चला रही हैं लेकिन हम देखते हैं कि जो प्राथमिक संस्थाएं हैं, जो शिक्षा केन्द्र हैं उनका जो कुछ स्टाफ है उनका एटीट्यूड होता है वह आदिवासियों में कार्य करने का एटीट्यूड हम नहीं देखते, उनका रीओरिएन्टेशन होना चाहिए। कई लोग तो आदिवासी क्षेत्रों में पहाड़ी इलाकों में कार्य करने को तैयार नहीं होते। जो तैयार होते हैं तो ये ही लोग तैयार होते हैं जिनको कोई धन्धा, कोई नोकरी नहीं मिलती। यही व्यक्ति वहां जाते हैं और वहां वे अपने आपको अनफिट देखते हैं, उनको सफलता नहीं मिलती।

माननीय सभापति महोदय, शैक्षणिक दृष्टि से जो छात्रवृत्ति दी जाती है, जो आदिवासी और हरिजनों को छात्रवृत्तियां दी जाती हैं वे काफी कम पर्सेंट लोगों को मिलती है। इस सम्बन्ध में तीसरा प्रश्न होस्टल्स का है। कई स्थानों पर होस्टल खुले हुए हैं, कई नोन ऑफिशियल एजेंसीज की ओर से होस्टल खुले हुए हैं। माननीय सभापति महोदय, मेरा भी एक होस्टल से ताल्लुक है लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि फाइनेंस और ऑडिटर्स वगैरह की इतनी स्ट्रिंजेंसी है कि जिनकी वजह से ठीक तरह से काम नहीं चल

(श्री सोहनलाल भटनागर)

पाता है। आज के मंहगाई के जमाने में बीस रुपया प्रति स्टुडेंट दिया जाता है वह भी बिल्कुल कम है। इस दृष्टिकोण से भी सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और रकम बढ़ानी चाहिए।

तीसरी बात, माननीय सभापति महोदय, इन आदिवासी एवं हरिजनों से सम्बन्ध रखने वाली है वह लीगल एड की है। इसके बारे में भारत सरकार ने काफी रकमें भी दी हैं लेकिन तीन वर्ष का समय हो गया, एक पाई भी खर्च नहीं हुई है। इसके लिए जो नियम बनाए गए लीगल एड देने के, क्योंकि हम देखते हैं कि यह लैंड रिफॉर्म्स के दौर में से हम गुजर रहे हैं जितने सबटिनैंट्स हैं, उप-काश्तकार हैं उनमें से अधिकांश आदिवासी और हरिजन भाई हैं। एक तरफ तो जमींदार हैं, लैंड लोर्ड्स हैं वे सब बिल्कुल पक्के आदमी हैं, जो सारे सम्पन्न साधनों से युक्त थे, उनके सामने आदिवासी हरिजन टिक नहीं सकते थे। इस तरह से यह लीगल एड की जो व्यवस्था रखी गई वह तो ठीक रखी गई है; लेकिन इसका कोई प्रचार नहीं हुआ है, यह उन लोगों तक नहीं पहुंचा है और इसके लिए जो नियम बनाए गए वे ऐसे हैं जिसके कारण रिलिफ नहीं मिल सकती। इसके लिए माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि जिस किसी जिले के अन्दर आदिवासी और हरिजन भाइयों का बाहुल्य है उनमें परिवर्तन किया जाय। एक स्टैंडिंग कौंसिल मुकर्रर की जाय जिससे लोगों को भी मालूम रहे, हम गरीबों के लिए आदिवासियों और हरिजनों के लिए वकील हैं जो सरकार से मिले हुए हैं और वे किसी भी समय उनसे सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

तीसरी बात, माननीय सभापति महोदय, मैं जंगलात के बारे में कहना चाहता हूं। सभापति महोदय, यह बिल्कुल ठीक है कि गत कुछ दिनों जंगलात के ठेके आदिवासिय को मिलने लगे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि राजस्थान के अन्दर काफी ठेके दूसरे ठेकेदारों को दिए जाते हैं और वे ठेकेदार आदिवासियों का शोषण करते हैं। इस दृष्टिकोण से जैसा कि कई प्रदेशों के अन्दर, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जंगलात का सारा सम्बन्ध आदिवासियों का है। वे जंगल का संरक्षण करते हैं, जिस दिन से वे पैदा होते हैं जंगल से उनका सम्बन्ध होता है। जंगलों का ठेका भी राजस्थान सरकार को इन आदिवासियों को ही देना चाहिए। इन आदिवासियों की जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनको भी ठेके दिए जायं। माननीय सभापति महोदय, कई बार ऐसा परीक्षण किया गया है, उदयपुर में फलासिया और कोटड़ा में आदिवासियों की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को ठेका दिया गया तो उन्होंने पचास हजार रुपये का लाभ प्राप्त किया। अगर हमको इन आदि-

(श्री सोहनलाल भटनागर)

वासियों को ठेकेदारों के शोषण से बचाना है, अगर हम चाहते हैं कि ठेकेदार जो कि काम करवा कर मजदूरी भी नहीं देते, इन गरीब आदिवासियों को ठेकेदारों के शोषण से बचाना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका जो है वह यह है कि जंगल के जितने भी ठेके हैं उन्हें ठेकेदारों को देना समाप्त कर आदिवासी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को दिये जाय।

दूसरी बात, माननीय सभापति महोदय, जो है वह है ऋण सम्बन्धी। हम देखते हैं और जैसा कि इस रिपोर्ट में भी कहा गया है, कुशलगढ़ के अन्दर इस बात का सर्वे किया गया तो मालूम हुआ कि छः सौ में से केवल तीन ही लोग ऐसे थे जो कि कर्जदार नहीं थे, बाकी जितने भी लोग थे वे कर्ज से दबे हुए थे। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि आदिवासियों का भला करें, जितनी भी उनकी समस्याएं हैं, शैक्षणिक, भूमि की, लीगल एड की उनको हल करना चाहते हैं, उनका उत्थान करना चाहते हैं, उनको ऊंचा उठाना चाहते हैं तो जो उनका सबसे बड़ा प्रश्न है उनको ऋण से मुक्त करने का, उसको सबसे पहले करें। राजस्थान सरकार सोच रही है मनी लैंडिंग एक्ट बनाने का, इससे जितने भी कर्ज वगैरह हैं वे समाप्त किए जायेंगे, ऐसी आशा है। लेकिन इसके अलावा यह देखना भी आवश्यक है कि आदिवासियों, हरिजनों को जो कर्ज की आवश्यकता होती है उसके लिए दूसरी ऋण दात्री जितनी भी समितियां वगैरह हैं उनसे कर्ज प्राप्त कर सकें, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। मैं यह समझता हूं कि पंचवर्षीय योजनाओं में, विकेन्द्रित शासन प्रणाली में हम जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ का निर्माण कर रहे हैं वे सब अधूरी हैं, कोई सफल होने वाली नहीं हैं जब तक कि बोहरों से छुटकारा नहीं मिले। यदि हमें आदिवासियों की आर्थिक स्थिति का सुधार करना है, उनकी सोसाइटीज़ को सफल बनाना है तो जहां उन्हें एड दी जाय वहां एक मैनेजर भी ऐसी सोसाइटीज़ को दिया जाय। इसके अतिरिक्त काफी तादाद में अनुदान इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को दिया जाय। यदि इन समितियों को सफल बनाना है, इन्हें जीवित रखना है तो ऐसी व्यवस्था कीजिए कि जिससे ये आदिवासी अपने पैरों पर खड़े हो सकें ऋणों से मुक्त हो सकें और इसके लिए उन्हें जहां अच्छा अनुदान दिया जाय वहां उनको एक मैनेजर भी दिया जाय।

एक बात, माननीय सभापति महोदय, जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह है और जिसके बारे में मावली से आने वाले सदस्य महोदय ने भी प्रकाश डाला है और अब मैं बहुत ज्यादा लम्बा नहीं डालना चाहता,

(श्री सोहनलाल भटनागर)

जिस वक्त शिड्यूल्ड एरिया बनाया गया उदयपुर डिविजन में, कई ऐसी तहसीलें जहां काफी संख्या में आदिवासी रहते थे उनको छोड़ दिया गया और केवल डूंगरपुर और बांसवाड़ा को ही शिड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर किया गया। जब श्रीकांत भाई उदयपुर आए थे और उसके बाद जब प्रेसीडेंट साहब वहां आए थे तो इस सम्बन्ध में उनसे भी निवेदन किया गया था। इसके अलावा एक और क्राइटेरिया भी दिया हुआ है कि पचास प्रतिशत की जहां संख्या हो तो शिड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर कर दिया जाय। लेकिन जैसे फलासिया, कोटडा, गोगुंदा आदि तहसीलें हैं जहां ७५ प्रतिशत भील एरिया है, घोषित नहीं किया गया है और केवल डूंगरपुर और बांसवाड़ा को ही केवल भील एरिया मान कर छोड़ दिया गया है। इसके अलावा भील और मीणों को भी अलग अलग मान लिया गया है। शुरू से भील और मीणों में शादी विवाह होते रहे हैं, खान-पान का सम्बन्ध रहा है लेकिन आज उनको अलग कर दिया गया है। दोनों का एक ही तरह का काम है, एक सा व्यवसाय है, एक साथ रहते हैं, एक साथ खाते-पीते हैं और बहिन-बेटी का व्यवहार है लेकिन एक को शिड्यूल्ड एरिया और दूसरे को ऐसा नहीं करने से दोनों में भेद-भाव पैदा हो गए हैं। इसलिए जल्दी से जल्दी उन इलाकों को शिड्यूल्ड एरिया घोषित कर दिया जाय।

माननीय सभापति महोदय, एक बात और जिसकी राजस्थान के अन्दर ही नहीं हिन्दुस्तान के अन्दर भी इस बारे में काफी चर्चा चल रही है कि आदिवासियों की और हरिजनों की जो कॉन्स्टीट्युएन्सीज़ हैं वे सैपरेट कर दी जांय। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि गत दस वर्षों में हरिजनों में काफी प्रगति हुई है और यदि उनको बल देना है, यदि आप चाहते हैं कि ये खुद अपने पैरों पर खड़े रह सकें तो जो कांस्टीट्युएंसीज़ हैं वे भी अलग अलग होनी चाहिए ताकि वे खुद अपना कार्य चला सकें, वर्ना होता ऐसा है कि जो डबल सीटेड कांस्टीट्यूएंसीज़ हैं मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हम आदिवासियों को, हरिजनों को अपने पैरों पर खड़ा रखना चाहते हैं और यह चाहते हैं कि वे स्वयं अपना कार्य कर सकें, दूसरों पर भरोसा न रखें तो यह बहुत ही जरूरी है कि ये सीटें जो हैं वे अलग कर दी जायं। मैं जानता हूं कि यह विषय यहां का नहीं है पार्लियामेंट का है, लेकिन पिछले चुनावों में इस बारे में जो अन्य सदस्यों को अनुभव हुए हैं, मैंने भी डबल कॉस्टीट्युएंसी से चुनाव लड़ा था, हम इसके परिणामों से परिचित हैं; अतः यह बहुत जरूरी है कि इनकी सैपरेट कॉस्टीट्युएंसीज़ कर दी जायं। इससे इनमें जो सुधार के काम चल रहे हैं उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा।

श्री किशनसिंह बाटड़ (लछमनगढ़) : माननीय सभापति महोदय, आज जो रिपोर्ट वगैरह सामने हैं और जो हरिजनों की समस्याएं हैं वे सब हमको पुराने राज्यों की दी हुई देन है। अंग्रेजों के वक्त में, अंग्रेज लोगों ने, जो लोग दबे हुए थे उनको और अधिक दबाने की कोशिश की थी और जो लोग हायर पोज़ीशन में थे उनको अपने पास लेने की कोशिश की थी। अंग्रेजों ने यह कोशिश की थी कि दबे हुए लोग और दब जांय तो उनको अपने धर्म में ले लें और इस देश में जिस प्रकार की हुकूमत थी, देश के अन्दर अंग्रेजों के वक्त में जो देशी राज्य थे उन्होंने इस बात को समझा नहीं था, उस दुख को समझा नहीं था। यह कोई नहीं मान सकता कि इन दस वर्षों में भारतवर्ष में पिछड़े हुए लोगों का विकास नहीं हुआ है। विकास होने में देर लगती है। हमें यह ज्यादा उत्साह इसलिए होता है कि जल्दी से जल्दी हमारा विकास हो, लेकिन इतना जल्दी होने में देर लगती है। इसके कई कारण हैं। यह चीज़ है। कई कठिनाइयां हैं। उन कठिनाइयों को हम हल नहीं कर पा रहे हैं। हरिजनों को बसाने के लिए जमीन चाहिए, हरिजनों को जोतने के लिए जमीन चाहिए। न तो जोतने के लिए जमीन है और न काश्त के लिए जमीन है और न रहने और बसने के लिए जमीन है। हमारे जिले के कई गांवों के सरपंचों ने गवर्नमेंट को लिखा है कि हरिजनों एवं दूसरे लोगों को बसाने के लिए इन गांवों के पास इतनी जमीन नहीं है, इतनी जमीन चाहिए। लगातार २, ३ साल हो गये हैं लेकिन जमीन मिलती नहीं है। ऊपर तक आये हैं। पंच और सरपंच गवर्नमेंट से मिले हैं कि कहीं पर जमीन मिलनी चाहिए और उत्तर यह मिलता है कि गवर्नमेंट तय नहीं कर पाई है कि कौनसी ज़मीन दे, तालाब की नहीं दे सकते हैं, काश्त की नहीं दे सकते हैं। यह कठिनाई है। वह आती है और गवर्नमेंट सोचती है। विकास होगा, आपको जमीन काश्त के लिए मिलेगी और दूसरी तरफ रहने के मकान बनाने के लिए जमीन नहीं मिलती है। इस तरह के उदाहरण हैं कि उन पर खास तौर से गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। जो पिछड़े हुए लोग हैं उनके साथ बरताव होता है। इलाज नहीं कर पा रहे हैं। हम खुद भी सोचते हैं। एक आपको बताऊं कि अभी एक चर्चा आई है हरिजनों को सुधारने के लिए, जिले में एडवाइज़री बोर्ड बना देंगे। वह बना कि नहीं, यह मेरे ख्याल से किसी को भी पता नहीं है। हम लोगों को मालूम नहीं। कोई मीटिंग नहीं हुई। हमको बताया नहीं गया कि कोई बोर्ड है, वर्ना हम भी जाते और चर्चा करते।

इसके अलावा जहां पर हरिजनों और गरीब लोगों की बस्तियां हैं वहां पर सरकार शराब की दूकानें खोलती है। जहां पर अच्छे लोग हैं वहां पर शराब की दूकानें नहीं खोलती है। दूकानें वहां खोलती हैं जहां कि गरीब ज्यादा हैं। उस शराब की दुकान का असर यह पड़ता है कि पास में होने की वजह से पी लेते हैं और गाली-गलोच करते हैं, जिसको पास में स्त्रियां भी सुनती हैं और दूसरे मौहल्ले वाले लोग भी सुनते हैं। एक तरफ कहते हैं कि शराब नहीं होनी चाहिए और दूसरी तरफ शराब बेचते हैं गरीबों के पास में, क्योंकि दूसरे लोग; महाजन, ब्राह्मण हैं वे पीते नहीं हैं इसलिए उसका विरोध करते हैं, इसलिए वहां पर खोल नहीं पाते हैं और हरिजनों के यहां

(श्री किशनसिंह)

खोलते हैं इसलिए बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। शराब की दूकानें उनके मोहल्लों में नहीं होनी चाहिए। आप खोलें तो आम रास्तों पर खोलिये, स्टेशन पर खोलिये। बाजार में नहीं खुलने देते हैं तो बन्द कर दें। शराब से जहां गवर्नमेंट को आमदनी होती है वहां समाज का ह्रास होता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि अगर गवर्नमेंट शराब बेचना चाहती है तो दूकान जो हरिजनों के मोहल्ले में जाकर खोलती है वह वहां न खोल कर स्टेशन पर बेचे। चोरी से क्यों बेचते हैं, गरीबों के मोहल्लों में?

इसके साथ साथ नौकरियों की बात आती है। नौकरियों में जो हैं, वे दूसरे लोगों को भी मुश्किल हो रही है मिलना। तो नौकरी का जो कायदा- कानून बना हुआ है उसके हिसाब से जो नौकरी देने वाले हैं वे इन्टरव्यू लेते हैं। वे अपना काम करते हैं और उसके बाद में मौका नहीं मिलता है कि किसी के लिए बचायें। यह दूसरी समस्या है। यह हरिजनों के लिए ही नहीं होती है, दूसरे जो सवर्ण लोग हैं, गवर्नमेंट में बैठे हैं, गवर्नमेंट के साथ में हैं उनको भी सर्विस नहीं मिलती है। इसलिए मुझे विचार आया है कि नौकरियों के लिए ज्यादा विचार करना चाहिए कि इतनी पर्सेन्टेज हरिजनों को देना है, रिज़र्वेशन रखना है। नहीं जगह मिलती है तो भी कोई बात नहीं। इतना रिज़र्वेशन करना है, वह तय कर लें। कायदे कानून कागजों में पड़े हैं। मेरी भावना जो मेरे दिल में है वह मैं कहता हूं। इस कारण से लोगों को दुःख होता है। विचार करना चाहिये कि गवर्नमेंट से क्या न्याय मिलता है। लोग चर्चा करते हैं। यदि कानून के हिसाब से आप नौकरी देते हैं तो दीजिये, किसी को दुःख नहीं होगा। जैसे कानून-कायदे बनाये हैं उनके हिसाब से जितने पढ़े-लिखे लोग थे उनको नौकरी देना है वह दे दें। उसमें नहीं आते हैं तो न दें। लेकिन इस योग्यता वाले बैठे रहते हैं और अयोग्य आगे बढ़ जाते हैं; यह क्यों होता है? इसलिए कि हमारी कमजोरी है।

छात्रवृत्ति के बारे में मैं ऐसा मानता हूं कि छात्रवृत्ति या तो होशियार हरिजन बच्चों को मिलती ही नहीं है या जो एम. एल. ए. वगैरह के जान-पहिचान के लोग होते हैं उनको मिलती है। इसमें पक्षपात होता है, यह मैं नहीं मानता, लेकिन वे फॉर्म भर देते हैं और समय पर पहुँच जाते हैं और दूसरे साधारण हरिजन बच्चों के फॉर्म टाइम पर नहीं पहुँच सकते इसलिये उनको नहीं मिलती है। एक हरिजन छात्र नायक हमारे गांव का है जो सेकिन्ड ईयर में पढ़ रहा है। उसकी दर्ख्वास्त आ गई थी लेकिन उसको कहा गया कि उसको छात्रवृत्ति रह गई। नायक महतरों से भी ज्यादा पिछड़े हुए होते हैं, हरिजनों में भी पिछड़े हुए होते हैं। उनमें कई कास्ट्स अलग अलग हैं; जैसे नायक है, कालबेलिया है, सांसी, साटिये, कंजर, लोहार आदि।

श्री सभापति (श्री आबिदअली): I feel neither the Minister is there nor his Dputy. The Minister-in-charge must pay attention to it.

श्री धर्मपाल पंवार (नोहर-सु०): सभापति महोदय..

श्री सभापति : Order ! Order Please !! Let the Minister - in- charge come.

श्री भीखाभाई (सिंचाई मन्त्री) : I am here...

श्री सभापति : So you are listening to the Debate, But I wisth that the Minister-in-charge must be in House.

(सम्बन्धित मन्त्री महोदय के सदन में पदार्पण के पश्चात्)

श्री किशनसिंह बाटड़ : मेरे पास बोलने की बहुत बातें है, लेकिन समय नहीं है इसलिए इतना ही अर्ज करना चाहता हूं कि हरिजनों व पिछड़ी जातियों के लिए अलग से ऐसा बोर्ड बनाया जाय जो बिल्कुल उनमें से ही लिए हुए लोगों का हो क्योंकि वे लोग उनके सारे दुःख को जानते हैं। जो उनके दुख को नहीं जानते हैं वे उनका पूरी तरह से विकास नहीं कर सकते। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपका समाज कल्याण विभाग काम करता रहे, लेकिन एक ऐसा बोर्ड बना दिया जाय जो हरिजनों का हो और उनका विकास करने का काम उसको दीजिये। पंचायत समितियों या तहसीलदारों की मार्फत यह काम नहीं हो सकता। मैं अर्ज करूं कि जिला बोर्ड बन जाने से जो काम उससे हुआ वह तहसीलदारों के हाथ से नहीं होता क्योंकि जिला बोर्ड वाले सीधे गांवों में गये और उन्होंने काम किया। तो सीधा हरिजनों के पास पहुँचने के लिए उनमें से एक बोर्ड बनायेंगे तो विकास ज्यादा होगा। रुपया सीधा उन्हीं को दीजिये ताकि वे गांवों में फिर कर देखें और काम करें वहीं, तो जिस तरह से व्यवस्था चल रही है उससे विकास नहीं होगा और न रुपयों का उपयोग होगा। इतना अर्ज करने के बाद मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री नाथूलाल करोल (लालसोट-सु०): माननीय सभापति महोदय, आज सन् ५७-५८ व ५८-५९ की कमिश्नर की रिपोर्ट पेश की गई है। उस पर विचार हो रहा है। इस रिपोर्ट में आदिवासियों और हरिजनों के लिये विकास के मुतल्लिक कहा गया है। हरिजनों के लिए पेज नं० ४३ पर कहा गया है कि उनके लिए मकान बनाने के लिए काफी रुपया राजस्थान सरकार ने खर्च किया है। लेकिन मैं माननीय मन्त्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जितनी भी कोलोनीज़ हरिजनों व शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के लिये बनी हैं वे पूरी नहीं बनी हैं, इस ओर देखना चाहिये। उनके काम को शुरू हुए तीन-चार साल हो रहे हैं लेकिन उनमें से एक भी अभी तक, एक भी कोलोनी पूरी तरह से बनी हो, ऐसा देखने में नहीं आया है। ये सब की सब अधूरी पड़ी हैं। इसलिए मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि नया काम हाथ में न लेकर पहले उनको पूरा किया जाय तो अच्छा होगा। सभापति महोदय, इन पर राज्य सरकार का काफी पैसा खर्च हुआ है, फिर भी ये अधूरी क्यों पड़ी हैं ?

इसके साथ साथ सरकार ने और भी कई काम किये हैं, जैसे कहीं पर हरिजन कोलोनी है तो वहां टेनरी वगैरह बनाई हैं; लेकिन उनकी हालत भी ऐसी है कि वे

(श्री नाथूलाल करोल)

आज तक अधूरी पड़ी हैं। मैं मन्त्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि उनके इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट का इन पर कब्जा है। मैं उदाहरण के तौर पर सांगानेर के पास कुंदनपुरा के बारे में बता दूं कि वहां पर ३ साल के करीब से पहले एक टेनरी बनानी शुरू की है लेकिन वह अब तक पूरी नहीं हुई। किसी न किसी तरह से उसमें रोड़े अटकाये जा रहे हैं। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उस टेनरी की तरफ ध्यान दें ताकि वह पूरी हो जाय।

सभापति महोदय, अब मैं आपका ध्यान छात्रवृत्ति की ओर आकर्षित करता हूं। जो स्कोलरशिप्स हरिजनों या आदिवासियों को दी जाती हैं वे नाममात्र की हैं। उनमें रकम कम हैं। इस रिपोर्ट में भी कहा है कि जो स्कोलरशिप आदिवासियों को बांटी जाती है वह कम हैं। मैं निवेदन करूं कि या तो छात्रवृत्तियां मेरिट के हिसाब से दी जाय या कुछ रकम और दी जाय। यह हाल यह है कि अच्छे से अच्छे लड़के जो अच्छे नम्बरों से पास होते हैं वे भी छात्रवृत्ति से महरूम रह जाते हैं।

सभापति महोदय, अब मैं आपका ध्यान जो पैसा हमको सेन्ट्रल गवर्नमेंट की ओर से मिलता है उसका उपयोग ठीक तरह से नहीं हो रहा है, इस ओर दिलाऊंगा। जैसे ड्रिन्किंग वाटर वैल्स बनाने के लिए तथा आदिवासियों के लिए टैन्क्स बनाने के लिए जितना पैसा आदिवासियों को मिला है वह पोपुलेशन बेसिस पर नहीं बंटा है। पोपुलेशन बेसिस पर हरएक डिस्ट्रिक्ट में बंटना चाहिये। लेकिन किसी जिले में ज्यादा चला गया और किसी में नाम मात्र का रह गया। इसलिए मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि जो पैसा टैन्क्स वगैरह के लिये दें या बनावें वह पोपुलेशन के बेसिस पर हर एक डिस्ट्रिक्ट में बांटा जाय, जिससे हर एक जिले के आदिवासियों को फायदा मिल सके। मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करूं कि जिला जयपुर, सवाई माधोपुर, अलवर, भरतपुर, टोंक में इर्रिगेशन के लिए पैसा बहुत कम मिला है और हर तहसील में किसी में ८ कुंए बने हैं, किसी में ६ बने हैं, किसी में ५ या किसी में ४ बने हैं। इस तरह से कुंए बनाये जाते हैं। उनसे लोग संतुष्ट नहीं हो सकते। जैसे लालसोट है, इस क्षेत्र में आदिवासियों की पोपुलेशन सन् ५१ की मर्दुमशुमारी में ३० प्रतिशत थी, लेकिन आज उनकी पोपुलेशन मेरे ख्याल से ४० या ४५ प्रतिशत से कम नहीं है। लेकिन उस तहसील के अन्दर मान लीजिये १५ कुंए बनते हैं तो वह नहीं बनने के बराबर है क्योंकि इस तहसील का ऐसा एरिया है, जिसकी मैं क्या अर्ज करूं, वहां कई फेरे हैं और उसके अन्दर ७० या ८० फीट गहराई पर कुंए बनते हैं। वहां के आदिवासियों की हालत ऐसी खराब है कि उन्हें मक्का का दलिया वह भी पानी का खाने को मिलता है और वह भी एक टाइम खाने को मिलता है, इतने पिछड़े हुए हैं। मैं राज्य सरकार से निवेदन करता हूँ कि उस एरिया का निरीक्षण किया जाय। जो बात मैं कहता हूं अगर वह गलत हो तो मैं दोष का भागी होऊंगा। इतनी दशा बिगड़ी हुई है और गांव के गांव आदिवासियों के इतने

(श्री नाथूलाल करोल)

सड़े हुए हैं कि जिसकी कोई हद नहीं । मैं निवेदन करूंगा कि आदिवासियों के जो एरिया पिछड़े हुए हैं, उनके लिए कुछ रकम ज्यादा इर्रिगेशन वैल्स के लिए दी जाय या इर्रिगेशन टैक्स के लिए दी जाय ।

अब, माननीय चेयरमैन महोदय, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि आदिवासियों के लिए २५ पर्सेन्ट रिज़र्वेशन रखा जाय, वह आदिवासियों के लिये कम है । क्यों कम है ? क्योंकि आदिवासी व हरिजनों के पास जमीनें बहुत कम हैं । इस कारण कुछ रिजर्वेशन ज्यादा बढ़ना चाहिए । यह मेरा एक निवेदन है और जो २५ पर्सेन्ट का कोटा रखा है, वह कोटा भी सरकार द्वारा पूरा नहीं किया जाता है और दूसरी कोमों को बढ़ावा दिया जाता है । इसके उदाहरण मैं एक नहीं २० बतलाऊंगा । अगर किसी आदिवासी को जमीन अलॉट होती है तो पटवारी महोदय उसके जानी दुश्मन हो जाते हैं । उस बेचारे को जमीन का कब्जा देने में बड़ी मुश्किल डालते हैं । वे नाजायज़ फायदा उठाने की इतनी कोशिश करते हैं कि उसकी कुछ हद नहीं । इसलिये मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि राजस्व मन्त्रीजी द्वारा इन पटवारियों का कुछ न कुछ इलाज होना लीजमी है क्योंकि पटवारियों के बारे में मैं आदिवासियों के लिये नहीं कहता हूं, ये सबको परेशान करते हैं । जिस वक्त बजट सेशन चल रहा था....

श्री सभापति : हर एक को परेशान करते हैं, इस तरह नहीं बोलिये । आप आगे बोलिये ।

श्री नाथूलाल करोल : माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं कि जो इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट की तरफ से आदिवासियों के लिये या कहीं समाज कल्याण विभाग से ताल्लुकात रखते हुये कुछ काम चलते हैं, जैसे अपने यहां काम चलते हैं, टेनरी, टेलरिंग का धन्धा चलता है और समाज कल्याण विभाग की तरफ से दी जाती है लेकिन इन्डस्ट्रीज विभाग भी इस ओर कुछ निगाह रखे तो उससे कुछ न कुछ फायदा हो सकता है । जैसा निवेदन किया कि जो टेनरीज़ का काम है, जिसे इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट चला रहा है जैसे चमड़ा रंगने का कारखाना आदि उनको धीरे धीरे कायम करने की कोशिश की जाय ।

अब मैं एक निवेदन करूं कि जो राज्य सरकार द्वारा हरिजनों के कुओं के अन्दर, खादी बोर्ड की तरफ से, विन्डमिल लगाई जाती है उनका पूरा फायदा नहीं मिला । क्यों नहीं मिला ? क्योंकि मैं अपनी कुन्दनपुरा कॉलोनी का सवाल उठाता हूँ । वहां विन्ड मिल लगा रखी है, उसने एक साल में एक रोज भी काम नहीं किया । मैं कुन्दनपुरा कॉलोनी के लिए ही कहता हूँ यह विन्ड मिल समाज कल्याण विभाग द्वारा लगाई गई या उद्योग विभाग द्वारा लगाई गई या खादी ग्रामोद्योग की की तरफ से लगाई गई या रूरल वाटर सप्लाई की तरफ से लगाई है, वह बेकार पड़ी है, क्यों सरकार ने इसको बेकार में लगाया है ?

एक माननीय सदस्य : वह काम करने के लिए नहीं है ।

श्री नाथूलाल करोल : जिस रोज से

(श्री नाथूलाल करोल)

लगाई है उस रोज से अभी तक पानी नहीं निकाला, वैसी की वैसी लगी है। या तो सरकार उसको चालू कर दे, या ठीक कराये या किसी दूसरी जगह लगा दे, कुछ उपयोग तो होना चाहिये ना। वह बिल्कुल बेकार पड़ी हुई है। मैं यह सरकार से निवेदन करूं कि जो काम हाथ में लिया गया है वह सबसे पहले पूरा किया जाय, उसको अधूरा न छोड़ा जाय। जैसे जयपुर जिले में कॉलोनियां बन रही है उनमें से एक भी पूरी होती दिखाई नहीं देती है। जो कोलोनी चार-चार वर्ष से बन रही हैं, उनको पूरा कर दीजिये, जिससे एक काम तो पूरा होता हुआ दिखाई दे।

दूसरी अर्ज यह है कि सरकार के द्वारा जो स्कूल्स चल रहे हैं, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए नहीं कह रहा हूं जो सोशियल वैलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से चल रहे हैं, उनके अन्दर सोशियल वैलफेयर डिपार्टमेंट ने कुछ कमी कर दी है। जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से स्कूल्स खोले जाते हैं वे कोटे के अनुसार खोले जाते हैं लेकिन सोशियल वैलफेयर का काम था, शिड्यूल्ड ट्राइब्स और शिड्यूल्ड कास्ट्स के लिए स्कूल चलाये जायेंगे, उसमें कुछ कमी हो गई है। हमने राज्य सरकार से बराबर अनुरोध किया लेकिन स्कूल खोलने की आशा प्राप्त नहीं हुई। इस रिपोर्ट में एजुकेशन के लिए कहा गया है कि प्राइमरी एजुकेशन में सोशियल वैलफेयर ने कुछ कमी की है। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आदिवासी और हरिजनों के जहां गांव हैं और जहां तीन मील के एरिया में स्कूल नहीं पड़ता है वहां स्कूल जरूर खोले जायं और उनका सोशियल वैलफेयर द्वारा जल्दी इन्तजाम किया जाय। इतना ही कह कर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि जो कोलोनियां अधूरी छोड़ी हुई हैं, उनको पूरा किया जाय।

श्री सभापति : श्री मोहरसिंह।

श्री मोहरसिंह (चुरू) : माननीय सभापति महोदय, आज सदन में रिपोर्ट पर बहस जारी है, जिसके अन्दर कि भारतवर्ष के तथा प्रादेशिक आधार पर प्रान्त की एक-चौथाई जनता से सम्बन्धित, उनके कल्याण के लिए, कुछ आंकड़े और हालात दिये गये हैं। माननीय सभापति महोदय, वास्तव में शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स नाम की, भारतवर्ष की तथा और प्रान्तों की एक-चौथाई जनता जिस हालत में वर्तमान में पहुँच चुकी है उसको हर तरह से उन्नति करना हमारा सब का फर्ज है और उसके लिए भारत सरकार ने समाज कल्याण महकमा बनाया है उसकी तरफ से रिपोर्ट पेश की गई है विधान सभा के सामने। माननीय सभापति महोदय, वास्तव में आज हमारे लिए और गवर्नमेंट के लिए यह एक बड़ी शर्म की बात है कि एक-चौथाई जनता भारतवर्ष की, यानि ३८ करोड़ में से साढ़े नौ करोड़ और हमारे प्रान्त की ड़ेढ़-पौने दो करोड़ में से एक-चौथाई जनता हर तरह से, हर स्तर पर गिर रही है, यह एक शर्म की बात है। वास्तव में इस रिपोर्ट के अन्दर काफी आंकड़े वगैरह प्रस्तुत किये गये हैं, लिखे गये हैं लेकिन जब इनको गांवों के अन्दर जाकर मिलान करके हम लोग देखते हैं तो इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि ये आंकड़े सिर्फ कागजों में हैं। इन आंकड़ों का, इन फिगर्स

(श्री मोहरसिंह)

का ग्रामों के हरिजनों को कितना फायदा पहुँचा है, इस चीज़ पर विचार करते हैं तो कहना पड़ता है कि उन लोगों के लिये हर विभाग में, हर जिले में रकम रखी है। एजुकेशन में, जमीन के सवाल में, तकावी में, जब हम सब बातों का विचार करते हैं तो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि यह जो रकम रखी गई है वह उन लोगों के हाथ में कहां तक पहुँच पाई है, इस पर विचार करते हैं तो इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि बहुत कम रकम पहुँच पाई है। उसके परिणाम स्वरूप उन लोगों का जितना उत्थान होना चाहिये उससे बहुत कम अंशों में हो रहा है ! सभापति महोदय, आज समयाभाव के कारण इस प्रसंग में नहीं जाऊंगा कि किस प्रकार से यह वर्ग प्रादेशिक तौर पर, चाहे अखिल भारतीय तौर पर गिराया गया, सामाजिक तौर पर डिप्रेस्ड किया गया, सामाजिक तौर से गिराया गया, धार्मिक तौर से गिराया गया, आर्थिक तौर से गिराया गया, किस तौर से ज्यादा गिराया गया, इस बात में मैं नहीं जाऊंगा। यह मानना पड़ेगा कि आर्थिक तौर से यह वर्ग देश के अन्दर सबसे ज्यादा गिराया गया, दबाया गया। सभापति महोदय, कोई नेशन, कोई देश, कोई वर्ग उस वक्त गिरता है जब कोई व्यक्ति रोजी चाहता है और धन्धा उसके हाथ से छूट जाता है। वह वर्ग, वह हिस्सा, आबादी का डिप्रेस्ड होता है, गिरता है। किसी जमाने के चक्कर, किसी समय की गर्दिश के चक्कर की वजह से यह एक-चौथाई वर्ग किसी प्रकार से धन्धों से विहीन हुआ, इस इतिहास में मैं नहीं जाता लेकिन आज इस तरह बहुत से आदमी धन्धे से विहीन होकर कई कोमों में बंट कर, कई खाना-बदोशों की शक्ल में फिरते हैं और कोई छोटी छोटी जमीनों पर आबाद हैं, जो डिप्रेस्ड हैं, क्योंकि जमीन को बांटने का तरीका है, जो वास्तव में बहुत गिरावट में ले जा रहा है। ये लोग उस प्रकार अपना कार्य क्षेत्र कर रहे हैं।

सभापति महोदय, वास्तव में हमें इन सारी बातों पर विचार करने के बाद में इस नतीजे पर पहुँचना पड़ता है कि जब तक इन लोगों के लिए रोजगार का पूरा इन्तजाम नहीं किया जावेगा तब तक किसी भी प्रकार से इनको डेवलपमेंट नहीं होगा, बगैर रोजगार के इनका डेवलपमेंट होना मुश्किल चीज़ है। सबसे पहली बात है रोजगार की और उसके बाद में दूसरे डेवलपमेंट की बातें आती हैं। सबसे पहले जो चीज़ हमारे सामने है वह इनके लिये रोटी का प्रश्न है; जहां तक मैं समझ पाया हूं। मैं समझता हूं कि हमारा कल्याणकारी राज्य का नारा है वह केवल कहने की बात है। इस एक्शन पर काम नहीं हो रहा है। अगर वास्तव में समाजवादी दृष्टिकोण से हमारी सरकार चले तो हरिजनों की हालत जो आज हो रही है वह नहीं रहती। आज आप हरिजनों के स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग को देखें तो आपको मालूम होगा कि किस प्रकार से उनके बच्चों की आंतड़ियां दिखाई देती हैं, उनको खाने को भी पूर्णरूप से नहीं मिलता है। जब उनको खाने को भी पूरा नहीं मिलता तो शिक्षा कहां से प्राप्त करा सकते हैं ! शिक्षा का प्रश्न तो खाने के बाद का प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न तो उनके सामने रोटी का है। अगर वास्तव में हम लोग उनके घरों पर जाकर उनकी स्थिति को देखें तो हम इसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि सरकार ने उनके लिए रोटी का कोई इन्तजाम नहीं किया है।

(श्री मोहरसिंह)

अब यह कहा जा रहा है कि उनके लिये जमीन का इन्तजाम किया जा रहा है। सभापति महोदय, मैं, माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि आज १५ वर्षों के बाद कितनी जमीन हरिजनों को आपने एलॉट की, कितना पर्सेन्ट एलॉटमेंट उनको दिया है ? मुझे बीकानेर और गंगानगर के केसेज़ अच्छी तरह से मालूम हैं जहां राजस्थान केनाल के सिलसिले में एलॉटमेंट ऑफ लैन्ड के प्रोपोजल बनाये जा रहे हैं। वहां पर हरिजनों को जो जमीन एलॉट की जा रही है उसके लिये मैं खूब अच्छी तरह से जानता हूं। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि हनुमानगढ़ के इलाके में सकमाड में आप देखें कि कितनी जमीन हरिजनों को एलॉट की गई है और कितनी कानूनन उनको एलॉट करनी चाहिये थी। कानून तो बहुत बनाये जाते हैं और कानून बनाना हमारा काम है। कानून तो तरह तरह के शिकंजों में कसने के लिए हम बनाते रहते हैं। लेकिन मैं यह कहूंगा कि उनके लिए सबसे पहला जो काम है वह रोटी का है, इसके लिए हमारी सरकार ने उनके लिए क्या किया ? इसलिए मैं साफ तौर से यह कहना चाहता हूं कि जब तक इन लोगों के लिए रोटी का पूरा इन्तजाम नहीं होगा तब तक किसी प्रकार से शिक्षण आदि का प्रबन्ध नहीं हो सकता। अगर शिक्षा आदि के लिये सरकार कोई प्रबन्ध करना चाहती है तो इससे पहले सरकार को चाहिये कि उनके लिये रोटी का प्रबन्ध करे।

अभी थोड़े दिनों पहले यह प्रश्न आया था कि हरिजनों को जमीन एलॉट करनी चाहिये। सरकार ने यह तय किया कि हम जमीन को नीलाम करेंगे। मगर मैं यह निवेदन करूंगा कि एलॉटमेंट पहले उन लोगों को हों जो गरीब हैं और उनको एलॉट करने के बाद में अगर कोई जमीन बचे तो उस जमीन को नीलाम पर चढ़ा सकते हैं। मगर जो सरकार की तरफ से नतीजा निकला है उससे हम इसी नतीजे पर पहुंचे हैं कि हरिजनों को जमीन एलॉट करने से मुल्तवना रखा जा रहा है। कहने के लिये तो बहुत कुछ कहा जाता है कि हम हरिजनों के लिये बहुत कुछ करते हैं लेकिन दरअसल देखा जाए तो कुछ नहीं किया जा रहा है। फील्ड में तो बहुत कुछ कहा जाता है लेकिन एक्शन में काम बहुत कम किया जा रहा है।

इसी तरह शिक्षा में वजीफों को लें तो हरिजनों के वजीफों के लिये बहुत रकम बताई जाती है लेकिन मैं यह कहूंगा कि इस बात की सूचना उन लोगों तक नहीं पहुँचती कि उनके लड़कों के लिये वजीफे की इतनी रकम सरकार द्वारा रखी गई है। इसलिये उन लोगों तक ये सारी खबरें पहुंचाई जानी चाहिये जिनके लिये यह रकम आप रखते हैं। जहां सरकार यह समझती है कि हम बड़े बड़े पेम्फलेट्स छाप कर यह बता दें कि हरिजनों के लिये इतनी रकम रखी है; मगर मैं यह निवेदन करूंगा कि सरकार को चाहिये कि छोटे छोटे पेम्फलेटों द्वारा उन लोगों तक यह खबर पहुँचाए कि फलां चीज के लिये इतना रुपया फलां कार्य के लिये रखा गया है। जब हर बात की खबर उनको मिलेगी तो हर आदमी यह समझने लगेगा कि हमको फलां चीज़ में इतनी रकम मिलेगी, हाउसिंग के लिये इतनी रकम मिलेगी, शिक्षा में हमारे लड़कों को इतनी छात्रवृत्ति मिलेगी, जमीन

(श्री मोहरसिंह)

के लिये इतनी तकावी मिलेगी। तब वे उसका अच्छी तरह से उपभोग कर सकेंगे। मगर यह सब उनको मालूम नहीं रहता है। उनको सूचना नहीं होने के कारण वे शिक्षा और दूसरी चीजों से महरूम रह जाते हैं। इसलिये सभापति महोदय, मेरा यही कहना है कि जो कुछ भी उनको दिया जावे वह उनको समय पर दिया जाए और उनको समय पर सूचित कर दिया जावे, अन्यथा सारी की सारी चीजों का उपभोग वे नहीं कर सकते और रुपया जो उनके लिये रखा जाता है वह लैप्स हो जाता है और उनके पास कुछ नहीं पहुंचता। मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। मैं यही कहूंगा कि किसी भी नेशन को वास्तव में बनाने के लिये सबसे पहले यह जरूरी है कि उनके लिये रोटी-रोजी का इन्तजाम किया जावे। इसलिये मेरा यही कहना है कि जमीन उनको जिस हिसाब से या जिस पर्सेन्टेज से मिलनी चाहिये, नहीं मिलती है और न नौकरी का भी वह पर्सेन्टेज जो उनको मिलना चाहिये, मिलता है। वह अवश्य मिलना चाहिये। यह गवर्नमेंट का फर्ज है कि वह यह देखे कि इसका क्या कारण है कि जो पर्सेन्टेज हरिजनों के लिये रखा गया है उसके मुताबिक उनको नौकरियें नहीं दी जाती हैं। इसलिये जितनी ज़मीन उनको एलॉट होनी चाहिये उनको दिलाई जावे और जितनी नौकरियों का पर्सेन्टेज सरकार ने रखा है उसके मुताबिक उनको नौकरियें भी दिलाई जावें। सरकार को चाहिये कि उन लोगों को जानकारी प्राप्त करा कर, सूचना देकर इनको आगाह करें। सरकार जिस तरह से कानून बनाने के लिये जिम्मेदारी समझती है उसी तरह से सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि वह गांव गांव में जाकर देखे कि कितने लोग खेत जोतते हैं, उनको जमीन मिली है या नहीं, कितने आदमियों की झोंपड़ियें टूटी हुई हैं आदि, आदि। मैं समझता हूं कि डेमोक्रेटिक सरकार आज समाजवादी सरकार का दम भर रही है तो सरकार के लिये यह जिम्मेदारी की बात है कि वह इस बात की जिम्मेदारी ले कि उसकी हुकूमत में कोई आदमी कपड़ों से, खाने से, मकान रहने के लिये होने से महरूम न रहे, कोई आदमी शिक्षा से विहीन नहीं रहे, सब को दोनों समय रोटी खाने को मिले। मगर हम देखते हैं कि बहुत से लोगों को दोनों समय रोटी खाने को नहीं मिलती है। जब तक लोगों को दोनों समय खाना नहीं मिले तब तक दूसरी बातों की तरफ उनका ध्यान जा नहीं सकता। आप जो भी रकम उन लोगों के लिये, हरिजनों के लिये रखते हैं जब तक उसकी रिपोर्ट उनकी झोंपड़ियों तक न पहुंचे तब तक उनका कोई कल्याण नहीं हो सकता।

इसके अतिरिक्त जो भी डेवलपमेंट आदि के कार्य और इन्तजाम हों वे बाद के हैं; सबसे पहले रोटी और कपड़े व मकान रहने के लिये होने का प्रबन्ध होना चाहिये। मैं समझता हूं कि जब तक यह नहीं होगा आप जो भी प्रोपेगेन्डा करते हैं वह सब ढोंग है। यह सब लोगों की नजरों में एक प्रकार का प्रोपेगेन्डा है। इन शब्दों के साथ मेरा तो यही कहना है कि वास्तव में सरकार की तरफ से जिस प्रकार से अनुदान दिये जाते हैं वे उन लोगों को दिये जावें और उन लोगों को आगे बढ़ने का मौका दिया जाना चाहिये; तभी हमारा राज्य समाज कल्याणकारी राज्य बन सकता है।

श्री लक्ष्मण हीरात (गोगुन्दा) : मान-

(श्री लक्ष्मण हीरात)

नीय सभापति महोदय, अनुसूचित' जातियों के कमीश्नर ने जो रिपोर्ट पेश की है उसकी कॉपी हमारे सामने समाज कल्याण मंत्रीजी ने हाउस में पेश की है ; उस पर बहस के दौरान में कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये। मैं भी इस पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि अगर यह रिपोर्ट हिन्दी में होती तो हम ज्यादा से ज्यादा समझ सकते थे। मगर यह रिपोर्ट हिन्दी में न होकर अंग्रेजी में है। अगर हमारा समाज कल्याण विभाग इस सम्बन्ध में जागरूक होता तो अंग्रेजो को हिन्दी में करा सकता था।

श्री रिखबचन्द धारीवाल (समाज कल्याण मंत्री) : यह तो कमीशन की रिपोर्ट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आई है।

श्री लक्ष्मण हीरात : माननीय मंत्री महोदय ने जो कहा वह ठीक है, लेकिन इस विभाग का यह फर्ज था और उसकी यह जिम्मेदारी थी कि हिन्दी में इसकी कॉपी बना कर हमें देते।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : (अश्रव्य)

श्री लक्ष्मण हीरात : मैं खास मुद्दे पर आता हूं और अपनी बात रखना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, कई माननीय सदस्यों ने बताया कि कई स्टेट्स की सरकारों ने ऐसे कानून बनाये हैं कि जिससे छुआछूत न हो। सार्वजनिक मंदिर हैं तो वहां पर एक बोर्ड लगाया होता है कि हर जाति के लोग आ-जा सकते हैं। इस प्रकार क्या हमारी सरकार नहीं कर सकती ? ऐसा कोई कानून बन सकता था लेकिन ऐसा कोई कानून यहां पर नहीं बनाया गया। मैं, सरकार और मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि ऐसा जल्दी से जल्दी कानून बनायें जिससे पिछड़े हुए लोग आगे आ सकें और अपना सामाजिक और आर्थिक स्तर बढ़ा सकें।

अब मैं खास मुद्दे पर आना चाहता हूं जिस पर कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। फिर भी कुछ ऐसी बातें रह गई हैं मेरे ख्याल से उनको मुझे बताना आवश्यक है। आदिवासियों के लिए, उनके आर्थिक सुधार के लिए हमारी सरकार और विभाग ने अब तक प्रयत्न नहीं किया है; यह मैं समझता हूं लेकिन सरकार को अब भी कोशिश करनी चाहिये। आर्थिक सुधार के लिए सरकार को क्या करना चाहिये; इसके लिए मैं दो, तीन सुझाव देना चाहता हूं। सरकार को सहकारी बैंक आदिवासियों के लिए खोलने चाहिये। जैसा कि सलूम्बर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि आदिवासी बहुत पिछड़े हुए हैं जिससे उनके आर्थिक सुधार के लिए सहकारी बैंक खोलना चाहिये। उनकी आर्थिक दशा इनसे सुधर सकती है। मैं, उस इलाके की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ जहां कि आदिवासी लोग रहते हैं। उनके पास दो-ढाई बीघा औसत जमीन है। उनके लिए कुछ खाने के लिए अनाज पक जाता है और जिससे उनका थोड़ा बहुत गुजर हो जाता है और बाज वक्त क्या होता है कि किसान का अनाज बोहरे के हाथ में चला जाता है।

(श्री लक्ष्मण हीरात)

सरकार से भी निवेदन किया था कि कोई ऐसा कानून बनाये जिससे कि आदिवासियों को जीवन चलाने के लिए राहत मिल सके। लेकिन सरकार ने इस तरफ कोई कदम नहीं बढ़ाया है। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि २५ प्रतिशत आदिवासियों को भूमि देनी चाहिये। २५ के बजाय ५ प्रतिशत भी भूमि आदिवासियों को नहीं दी गई है। भूमिहीन आदिवासी हैं उनकी सर्वे करके आंकड़े पेश किये जायं जिससे कि पता लग सके कि आखिर कितने भूमिहीन आदिवासी हैं। १७ लाख राजस्थान में आदिवासी हैं। उनमें से दो-तीन लाख आदिवासियों के पास भूमि होगी बाकी भूमिहीन हैं। एक-दो बीघा जमीन जिसके पास हो उसको कोई काश्त करने वाला किसान नहीं कहा जा सकता। उनके गुजारे के लिए कुछ उससे हो जाता है। इस ओर सरकार ने कोई कोशिश नहीं की जिससे आदिवासियों को राहत मिल सके और अपना आर्थिक स्तर ऊंचा उठा सकें।

अब शैक्षणिक सवाल आता है। स्टेट और सेंटर द्वारा दो छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। मैट्रिक से नीचे स्टेट की ओर से और बाकी सेंटर से स्टेट की ओर से छात्रवृत्ति समय पर नहीं दी जाती है। फॉर्म मांगते हैं तो समय पर नहीं मिलते हैं। यदि मांगने पर विभाग भेज भी देता है तो समय पर छात्रवृत्ति वितरित नहीं होती। इससे कई छात्र वंचित रह जाते हैं। इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये। सेंटर से मैट्रिक से ऊपर के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलती है। वह कम मिलती है। ज्यादा रकम दी जाय जिससे पिछड़े हुए आदिवासियों के छात्रवृत्ति मिल सके और विद्यार्थियों को लाभ पहुँच सके।

एक-आध बात और बताना चाहता हूं। सर्विसेज़ के विषय में कई माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किये और रिपोर्ट में भी बताया गया है कि नियुक्ति विभाग होगा वह हर विभाग को लिखेगा कि कितने स्थान रिक्त हैं। हमारा विभाग पिछड़े वर्ग के लिए है लेकिन वह विभाग भी ऐसा कमजोर विभाग है कि कुछ करता नहीं है। कम से कम उस विभाग को यह तो मालूम करना चाहिये कि किस विभाग में सर्विस के लिए पिछड़े वर्ग के लिए कितने स्थान हैं और किस किस पोस्ट के लिए हैं। इस विभाग को कोशिश करनी चाहिये और ज्यादा से ज्यादा आदिवासियों को सर्विस दिलानी चाहिये। मैं समझता हूँ कि १७ लाख आदिवासी हैं। इनमें से कोई गजेटेड ऑफिसर भी नहीं है। एक-आध होगा भी तो ऊंचे अफसर भी यही कोशिश करते हैं कि ये लोग न आवें और दूसरे सवर्ण आ जावें। इस ओर सरकार को ज्यादा ध्यान देना चाहिये और इस कमी को दूर करना चाहिये।

शिड्यूल्ड एरिया के बारे में मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा। छः-सात तहसीलें हमारे यहां हैं; गोगुन्दा, फलासिया, कोटड़ा, खेरवाड़ा, सराड़ा। ये दो दो डिस्ट्रिक्ट, जैसे डूंगरपुर-बांसवाड़ा। १९५२ के पहले से यह शिड्यूल्ड एरिया हो गया था। बाद में उसके लिए कोशिश कर रहे थे। इसके लिए कमीशन भी बना था। काका साहब कालेलकर चेयरमैन थे। उनके सामने विज्ञापन दिया था। आश्वासन भी दिया था कि पिछड़े वर्ग के लोगों की ऐसी

Page No.116

(श्री लक्ष्मण हीरात)

समस्या है इसलिए इसको शिड्यूल्ड एरिया घोषित कर देंगे। लेकिन सरकार सोती रही और वह काम वैसा ही पड़ा है। अब भी हमारी सरकार जागरूक हो तो यह कमीशन बना हुआ है। सही आंकड़े बना कर, सही प्रतिनिधित्व सरकार करे तो शिड्यूल्ड एरिया घोषित हो सकता है। इस ओर सरकार को कोशिश करनी चाहिये।

अब मैं उस एरिया की सड़कों के बारे में ध्यान खींचना चाहता हूं। चाहे शिड्यूल्ड एरिया न हो लेकिन ऐसी कोशिश करनी चाहिये कि शिड्यूल्ड एरिया में अधिक से अधिक सड़कें, तालाब, सिंचाई के साधनों की व्यवस्था हो जाय। इस ओर हमारी सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है। अब मैं आशा करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा, हमारे मंत्री महोदय पोपुलर हैं, इस मामले में ध्यान देंगे।

माननीय चेयरमैन महोदय, घरियावद में आदिवासी बस्ती बसी हुई है।

श्री पी० के० चौधरी : It is already 5.

श्री सभापति : Let him finish his debate.

श्री लक्ष्मण हीरात (जारी) : घरियावाद में आदिवासी बस्ती बसी हुई है। इस विभाग का अधिकारी रहता है घरियावाद में, लेकिन जो आदर्श बस्ती बसी हुई है वह है जवारहनगर के नाम से। घरियावाद गांव में वे रहते हैं, ड़ेढ़-दो मील दूर रहते हैं। जहां वे रहते हैं वहीं उनका ऑफिस चलता है। इसलिये अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया गया, लेकिन अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। इस ओर भी हमारी सरकार का ध्यान जाना चाहिये।

इसके बाद एक बात और कहना चाहता हूं कि कुछ संस्थाओं को हमारी सरकार की ओर से अनुदान दिया जाता है लेकिन देखा यह गया है कि वह अनुदान समय पर नहीं मिलता। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस प्रकार के अनुदान किसी भी संस्था को समय पर दे दिये जायं। केवल सरकारी संस्थायें ही यह काम करती हों, यह बात नहीं। अन्य प्राइवेट संस्थायें भी हैं जो पिछड़े हुए लोगों में काम करती हैं। ऐसी संस्थाओं की ओर हमारी सरकार का ध्यान रहना चाहिये और जल्दी से जल्दी सहायता देने की कोशिश करनी चाहिये।

जिला स्तर पर समाज कल्याण बोर्ड बने हुये हैं। पहले उदयपुर डिस्ट्रिक्ट सोशियल वेलफेअर बोर्ड नाम की संस्था थी, लेकिन हम देखते हैं उसकी भी दो-तीन साल से कोई मीटिंग नहीं हुई। हमारी सरकार इस मायने में कितनी कमजोर है जो कुछ नहीं कर रही है। कुछ नहीं कर रही है इसी लिये मैं कमजोर कहता हूं। इस ओर सरकार का ध्यान जाकर इस विभाग के अधिकारियों को नमक हलाल की तौर पर काम करना चाहिये। जो हमारे नाम से खाते हैं लेकिन हमारे नाम से काम नहीं करते हैं; जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा ऐसे विभाग को तो बन्द कर देना चाहिये। मैं भी यही कहता हूं कि यदि विभाग जिस काम के लिये उसको पैसा मिलता है अगर वह उस काम को ठीक प्रकार से नहीं कर सकता

(श्री लक्ष्मण हीरात)

तो ऐसे विभाग की आवश्यकता क्या है ?

इसके लिये मन्त्रणा–परिषद् भी बनी हुई है जिसको माननीय गवर्नर महोदय ने बनाया है उसका फंक्शन भी बराबर नहीं होता है। इसके जरिये जो एडवाइस मिलनी चाहिये वह भी नहीं मिल पाती; इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये। अगर इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो हमें विशेष कोशिश करनी पड़ेगी ताकि हमारी सरकार इस विभाग में कुछ तेजी लाये। इसके साथ ही अन्त में मैं सरकार को इस बात के लिये धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस पर दो दिन बहस के लिये रखे।

श्री सभापति : अब सदन की कार्यवाही दिनांक २६ अगस्त, १९६० के ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है। उस दिन यही रिपोर्ट ली जायगी।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म० प० ५.५ बजे दिनांक २६ अगस्त, १९६० के ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

संक्षिप्त-विवरण

(गुरुवार, २५ अगस्त, १६६०)

	स्कम्भ		स्कम्भ
तारांकित प्रश्नों के शीर्षक	७४७	बुक्स ।	
सिरोही जिले में मद्य निषेध ।		यात्री-सड़क—यातायात बसेज का राष्ट्रीयकरण ।	
तहसील रतनगढ़ के सरकारी अस्पताल ।		भदूण ग्राम, तहसील रूपनगढ़ में रिक्त स्थानों के पंचों का उप-चुनाव ।	
लूणी नदी पर बांध योजना ।			
पुलिस चौकी सिद्धमुख (चूरू) का भवन ।		श्री वी० के० माथुर, फोडर डेवलपमेंट ऑफिसर ।	
सरपंच, पंचायत नगर (टोंक) के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव ।		मेडिकल कॉलेज, जयपुर के बागवान ।	
मेडिकल कॉलेज, जयपुर में मलेरिया रोग की शिक्षा में रुकावट ।		राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, धौलपुर में रोगी शय्याओं की व्यवस्था ।	
चम्पावती-बांध क्षेत्र में आने-वाले ग्रामों का पुनर्स्थापन ।		अर्बन इम्प्रूवमेंट एक्ट को जयपुर नगर में लागू करना ।	
राजस्थान विश्वविद्यालय-एरोड्रोम सड़क ।		मत्स्य निरीक्षकों की नियुक्ति ।	
संचालक, सार्वजनिक सम्पर्क विभाग द्वारा की गई हवाई यात्राएं ।		राजस्थान सर्विस रूल्स की धारा २५८ में 'गवर्नमेंट सर्वेन्ट' के स्थान पर 'ऑफिसर' शब्द का संशोधन ।	
सांचोर की विलेज स्कीम तथा वेटरनरी विभाग स्टाफ की सर्विस		राजस्थान राज्य रोडवेज़ तथा राजस्थान स्टेट गैरेज का	

एकीकरण ।

सब–इन्सपेक्टर पुलिस, थाना बगड़ी द्वारा ग्राम पंचायत, खारची के पंचों के विरुद्ध दर्ज किये गए मुकदमे ।

नगरपालिका रायसिंहनगर द्वारा रायसिंहनगर में डी. ई. ब्लॉक्स में रिहायशी अहातों की नीलामी ।

कारखानों में कार्य करनेवाले चौकीदारों तथा चपरासियों के प्रति फैक्ट्री एक्ट को लागू किया जाना ।

बनास नदी बांध योजना ।

थाना थोई, जिला सीकर के इलाके से एक माली की लड़की उड़ाया जाना ।

सहकारी क्रय–विक्रय संघों द्वारा गोदामों का निर्माण ।

टी० बी० अस्पताल, जिला बांसवाड़ा ।

निम्बाहेड़ा हत्याकाण्ड जांच हेतु नियुक्त समिति का प्रतिवेदन ।

कालन्द्री एवं सरूपगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ।

गांधी अस्पताल, जोधपुर में मरीजों तथा स्टाफ की संख्या ।

चतुर्थ श्रेणी जेल कर्मचारियों का अवकाश ।

तहसील लालसोट में पुलिस चौकियों का अभाव ।

स्थगन प्रस्ताव ८२३

भरतपुर सिटी में कॉलेरा की बीमारी से सम्बन्धित श्री श्रीभानसिंह के स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति अध्यक्ष महोदय द्वारा नहीं दी गई ।

स्वास्थ्य मन्त्री ने इस सम्बन्ध में स्थिति का स्पष्टीकरण किया ।

सदन की मेज पर रखा गया पत्र

श्री रामकिशोर व्यास, गृह मन्त्री होम (बी) १ विभाग की अधिसूचना संख्या डी० ८६६८ । एफ १ (४) १५ ।-एच. (बी–जी आर–१) । ५८ दिनांक २ जुलाई, १९६०, जिसके द्वारा राजस्थान मोटर व्हिकल्स् नियम, १९५१ के अध्याय ५ में नियम २२६ ए से २२६ एल जोड़े गये हैं, सदन की मेज पर रखा ।

आयुक्त, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिवेदन, १९५७-५८ व १९५८-५९ पर विचार ८२६

श्री रिखबचन्द धारीवाल, मंत्री, समाज कल्याण विभाग ने निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत किया:-

"अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त की रिपोर्ट, १९५७-५८ व १९५८-५९ को, जहां तक उनका राजस्थान राज्य से सम्बन्ध है, विचारार्थ लिया जाय।

इस पर की गई बहस में निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया:—

(१) श्री रामचन्द्र
(२) रावल श्री नरेन्द्रसिंह
(३) श्री हरिप्रसाद यादव
(४) श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री
(५) श्री दयाकृष्ण विजय
(६) श्री जनार्दनराय नागर
(७) श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा
(८) श्री भैरवलाल 'कालाबादल'
(९) श्री सोहनलाल भटनागर
(१०) श्री किशनसिंह बाटड़
(११) श्री नाथूलाल करोल
(१२) श्री मोहरसिंह
(१३) श्री लक्ष्मण हीरात

तदनन्तर सदन की बैठक ५ बज कर ५ मिनट पर दिनांक २९ अगस्त, १९६० को प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित की गई।

दिनांक २९ अगस्त, १९६० की कार्य सूची

(१) कार्य-सलाहकार समिति के पन्द्रहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन।

(२) विधेयकों का पुरःस्थापन।

(३) आयुक्त, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के प्रतिवेदन १९५७-५८ व १९५८-५९ पर विचार।

———

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ११४ का उत्तर देखिये)

आलनियां बांध से सिंचित होनेवाले गांवों की सूची .

आलनियां बांध की बांई नहर से सिंचित ग्राम:-

(१) रूपरेल (२) मवासा (३) जामपुरा (४) नागापुरा (५) प्रहलादपुरा

आलनियां बांध की दांई नहर से सिंचित ग्राम:-

(१) धानी
(२) मवासा
(३) बड़ोदिया
(४) बोरिया खेड़ी
(५) छिप्पन हेड़ी
(६) शंकरपुरा
(७) पिपल हेड़ा
(८) अरलिया
(९) चारण हेडी
(१०) परलिया
(११) अरंड खेड़ा
(१२) दीपपुरा
(१३) किथल हेडा
(१४) सम्बल हेडी
(१५) बरदा माफी
(१६) खजुरी
(१७) खाडीपुरा
(१८) बनियाती
(१९) ढिकोली
(२०) आमली
(२१) पिसाहेडी

(२२) देवली
(२३) खुरारा
(२४) ब्रजनगर
(२५) बालापुरा
(२६) गंदीपुली
(२७) रानीपुरा
(२८) अभयपुरा
(२६) किशनपुरा
(३०) जोंकदा
(३१) गोदल्या खेडी
(३२) केथून
(३३) लाडपुरा केथून
(३४) किशनपुरा
(३५) भगवानपुरा
(३६) कादी हेडा

———

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ११७ का उत्तर देखिये)

सांचोर-पशु-पालन एवं की-विलेज अधीनस्थ स्कीम के कर्मचारियों की सर्विस बुकों की सूची जिन्हें पंचायत समिति को हस्तांरित कर दिया गयाः-

को-विलज स्कीम

(१) श्री कल्याण दास	स्टॉक मैन
(२) श्री देवराम	,,
(३) श्री पेयरराज	,,
(४) श्री नन्दलाल	,,
(५) श्री भोजराजसिंह	,,
(६) श्री भैंरूबक्श	,,
(७) श्री बाबूलाल	ड्राइवर
(८) श्री केशरसिंह	अटेन्डेन्ट
(९) श्री अनूपसिंह	,,
(१०) श्री उदयसिंह	,,

पशु-पालन-

(१) श्री बनवीरसिंह	कम्पाउन्डर
(२) श्री लक्ष्मणसिंह	स्टॉकर्मन
(३) धर्मा	भंगी
(४) कल्डाराम	सईस
(५) मधुआ	ऊंटसवार
(६) भूरा	पानीवाला

सूचि उन कर्मचारियों की जिनकी सर्विस बुक पंचायत समितिको नहीं संभलाई गई :-

(१) श्री मदनसिंह	स्टोकमैन

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १२० का उत्तर देखिये)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

FINANCE (DEVELOPMENT) DEPARTMENT.

ORDER

No. 1D-2386/F.D./ (Dev)/60, Dated, Jaipur, April 29,1960.

Subject : PAY SCALES.

In supersession of this Department order No. 10 1464/F.E./Dev./60, dated the 15th April, 1960, the Governor has been pleased to prescribe the pay-scale of 250-25-500E-B-25-700 for the post of Feed and Fodder Development Officer in the Animal Husbandry Department with effect from the issue of this order.

Requisit qualifications for the post are also prescribed as under:—

Essential (1) M. Sc.(Agr.) or at-least Second Class B. Sc. (Agriculture) from a recognised Institution in India or abroad.

(2) At least two years' experience of Development and Management of fodder crops on Scientific line, and

(3) adequate experience of carrying Agricultural Extension Work under Indian conditions.

PREFERENTIAL:—(1) Post Graduate Degree with Specialisation in Agronomy (Agroistology as evidenced from Research Work) from a recognised Instituion in India or abroad, and

2. Ability of independently carrying out breeding trials of fordge crps with a view to developing and introducing new varieties of forage crops adoptable to local conditions.

By order,
Sd/-G.S. Purohit.
Secretary to the Government.

Copy forwarded to the :—

1. Accountant General, Rajasthan, Jaipur with 90 copies.

2. Agriculture Deptt. Government Secretariat, Jaipur.

3. Director of Agriculture, Rajasthan, Jaipur.

4. The Superintendent, Government Press, Jaipur with one spare copy of publication in the next issue of the Rajasthan Gazette.

5. Finance Department (Expd.) Government Sectt., Jaipur.

6. Appointment (O & M) Codification section with two spare copies.

Sd/-B. L. Rangaraya.
Asstt. Secretary to the Government.

———

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १३१ का उत्तर देखिये)

सूची पत्र:--ग्रामों की जो डूब में आ रहे हैं।

१. बीसलपुर
२. बटेरा
३. चोपड़ां चोपड़ी
४. सूरजपुरा
५. बालापुरा
६. थाली
७. नया गांव
८. शानपुरा
९. सांकरवाड़ा
१०. दोवलावाल
११. सुजानपुरा
१२. भंवरथला
१३. ठीकरीया
१४. सरसड़ी
१५. सांडला
१६. बनेरिया खुर्द
१७. मानसिंहपुरा
१८. तलवासा
१९. डाबरकला
२०. चोसला
२१. इन्दोली
२२. कासिया
२३. खेजड़ी
२४. देवपुरा
२५. वासचतरा

२६. इन्द्रपुरा
२७. नगेडिया
२८. कुलेड़ा
२९. चान्छली
३०. दूदावास
३१. रावता
३२. फालेड़ा
३३. थाडोला (दामा का झोंपड़ा व वास चतरा)
३४. थाड़ोती
३५. नयावास
३६. बाड़ा का पुरा

परिशिष्ट ५

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १३७ का उत्तर देखिये)

सन्	कुल अन्तः रोगी	कुल बाह्य रोगी	दैनिक उपस्थिति अन्तः	दैनिक उपस्थिति बाह्य
१६३२	३,५०७	६२,२४४	२००	६६६
१६३३	३,६६४	१,१३,३३६	२१८	८४०

१६५८-५६ में मरीजो की संख्या की सूची

सन्	कुल अन्त रोगी:	कुल बाहय रोगी	दैनिक उपस्थिति अन्तः	दैनिक उपस्थिति बाह्य
१६५८	११;३३१	२,५६२५६	५०८,१६	१६८० २७
१६५६	११,८६२	२,७७,६४१	५२७.३	१८५३. १

———

SANCTION STRENGTH OF MAHATMA GANDHI HOSPITAL, JODHNPUR.

1960-61

Specialists 2 (one Surgeon and one Physician)

Junior Specialists	8	(one for each of the specialities Eye, E. N. T. Skin & V. D., 2-for Surgery, Radiology, Pathology, Anaesthesa and Medicine)
C. A. S. Class I	13	
C. A. S. Class II	16	
Matron	1	
Sister Tutors	3	
Sisters	7	
Staff Nurses	22	
Compounders Gr. I	67	
Compounders Gr. II	6	
Compounders Gr. III	43	
Technicians	4	
Superintendent	1	This includes strength of Jodhpur and Jaisalmer Medical District administration Office of P. M. H. O. also.
Accountant	1	
Stenographer	1	
U. D. C.	3	
L. D. C.	8	
Driver	3	
Tailor	5	
Mistry	1	
Class IV Servants	231	
Occupational Therapist	1	

परिशिष्ट ६

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १२२ का उत्तर देखिये)

क्रम संख्या	नाम, पिता का नाम, जाति व पता।	राज्य सेवा में आने की तिथि	स्थाई व अस्थाई
१.	श्री चौथु पुत्र श्री गणेश कोम बलाई ग्राम सूरजपुरा वाटका, तहसील सांगानेर	३०.७.१९५६	स्थाई
२.	श्री भूरापुत्र श्री नारायण कोम अहीर, खुर्रा लुहारान अहीरों की इमली के पास चौ० घाट दरवाजा, जयपुर	१.१२.१९५२	स्थाई
३.	श्री भोरीलाल पुत्र श्री नानुराम, कोम अहीर यादव ऊंडा कुवा, महादेव चौकड़ी घाट दरवाजा, मोहल्ला अहीरान, जयपुर	८.६.१९५२	स्थाई
४.	श्री लालूराम पुत्र श्री महादेव कोम मीणा साकिन मोजा सोरा, तहसील जमवा रामगढ़	२३.६.१९५८	अस्थाई

शुद्धि-पत्र

(गुरूवार, दिनांक २५ अगस्त, १९६०)

स्कम्भसंख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
७४८	१	मद्य निषेब	मद्य निषेध
,,	अन्तिम से २	आधकारी मंत्री	आबकारी मंत्री
७५०	२१	लिये मैंने।	लिये। मैंने
७५१	१४	चाहटे हो	चाहते हों
७५४	१४	फीस है नियत	फीस नियत है
७५५	२	यह सही है शिकायत	यह शिकायत सही है
७६३	१४	चिकित्स मंत्री	चिकित्सा मंत्री
,,	२३	में तक	में अब तक
७६८	११	कैसे होगा	कैसे होगा ?
७७०	१३	दी गई और	दी गई है और
७७६	१	Die the	Did the
७९०	अन्तिम से २	जो है	जो हैं
७९३	२२	मनाई की म्युनिसिपल	मनाई म्युनिसिपल
७९७	९	कंटालिग तहसील	कंटालिया तहसील
८००	४	श्री शकरलाल	श्री शंकरलाल
८११	१५	there whetn	there, when
८१४	६	१।८	१३८
,,	२४	समय य ? नि	समय यानि
,,	२५	जेले के	जेल के
८१५	१०	वे भो	ये भी
८१८	अन्तिम से २	धोंकेल व श्री माती	धोकल व श्री मोती
८३६	२	चाहिये जिस कि	चाहिये कि जिस
,,	५	पीलर्स कायम किये	पिलर्स कायम किये
८३९	८	चाहते यह,	चाहते, यह
,,	२४	पड़कती जा रही	पकड़ती जा रही
८५४	१	जनता जनार्दनी	जनता जनार्दन
८५५	अन्तिम से ३	अन्दर में	अन्दर मैं
८५६	४	बेसे दुनियां जानते हैं	सब दुनिया जानती है
,,	२०	नाथ द्वारेकी	नाथद्वारे की
८६४	१६	चुचुन्दर छोड़े	छुछुन्दर छोड़े
,,	१७	(हंसी)	(विराम)
८६५	७	लया है,	लिया है,
८७०	१६	उसमें गी	उसमें भी
८८९	अन्तिम से ५	उसकी पर्सोनेलिटी	उनकी पर्सोनेलिटी

(२)

१	२	३	४
८६७	६	विद्या थियो को	विद्यार्थियों की
६०३	अन्तिम	इनइन दोनों	इन दोनों
६०५	८	मकामों के	मकानों
६२६	७	खाना पीना, और	खाना, पीना और
६४१	शीर्ष	(श्र सोहनलाल	(श्री सोहनलाल
६५६	अन्तिम से ३	his Dputy	his Deputy
६५७	७	I wisth	I wish
६८०	अन्तिम	गैरेंज का	गैरेज का
६८१	७	रार्यासिहनगर	रायसिंहनगर
६८५	३	होन वाले	होने वाले
६८७	६	विलज स्कीम	विलेज स्कीम
६८८	अन्तिमसे ६-५	fordge cops	for age crops.
६६३	२	JODHHPUR	JODHPUR
,,	२४	Th s includes	This includes